राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर

याचिका संख्या राविविआ 238/10, 239/10, 240/10

वार्षिक राजस्व आवश्यकता (वाराआ) एवं विव 2011–12 के लिए
फुटकर आपूर्ति टैरिफ के संशोधन के विषय में

कोरम – श्री डी.सी. सामन्त, अध्यक्ष
श्री एस. के. मित्तल, सदस्य (वित्त)
श्री एस. धवन सदस्य (तकनीकी)

याचिकाकर्ता –

1. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर (याचिका संख्या 238/10)
2. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर (याचिका संख्या 239/10)
3. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर (याचिका संख्या 240/10)

सुनवाई की तिथि	26.4.2011
आदेश की तिथि	08.09.2011

आदेश

भाग –1: पृष्ठ भूमि

1.1 राविविआ (टैरिफ के विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2009 (आगे चलकर टैरिफ विनियम, 2009 के रूप में विनिर्दिष्ट) का विनियम 6 अनुज्ञप्तिधारी की बहुवर्षीय समग्र राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) के विनिर्धारण तथा राविविआ टैरिफ विनियम, 2009 का विनियम 11 टैरिफ के विनिर्धारण का प्रावधान करता है।

1.2 तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों (याचिकाकर्ताओं) की विव 10–14 की नियन्त्रणावधि के लिए

बहुवर्षीय एआरआर के विनिर्धारण के मामलें में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने दिनांक 15.4.10 के अपने आदेश द्वारा उन्हें दो माह की अवधि के अन्दर– अन्दर टैरिफ संशोधन हेतु याचिका दायर करने के लिए निर्देश दिया था। डिस्कॉमों ने 14.8.2010 तक की और पुनः 14.10. 2010 तक की समय वृद्धि चाही। अन्तिम अभिवृद्धि, यह उल्लेख करते हुये कि आगे और कोई अभिवृद्धि अनुमत नहीं की जायेगी, आयोग ने दिनांक 4.11.2010 के पत्र द्वारा 14.12.2010 तक की अन्तिम अभिवृद्धि स्वीकृत की थी।

1.3 तीनों वितरण कम्पनियों अर्थात् जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जविविनिलि), अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. (अविविनिलि) तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. (जोविविनिलि) सामूहिक – रूप से डिस्कॉमों या अनुज्ञप्तिधारी के नाम से कही जाती हैं, ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा 64 के अन्तर्गत विव 11–12 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता तथा फुटकर आपूर्ति टैरिफ संशोधन हेतु 4.1.2011 को याचिकायें दायर की।

1.4 आयोग ने निर्देश दिया कि वितरण निगमों द्वारा जन– सामान्य की टीका– टिप्पणी/आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु याचिकाओं का एक संक्षिप्त सारांश समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जाये।

1.5 तद्नुसार, प्रस्तुत करने वाले इच्छुक व्यक्तियों से आपत्तियां/टीका–टिप्पणी/ सुझाव आमंत्रित करते हुये याचिकाओं की प्रमुख विशेषताओं के साथ निम्नलिखित समाचार पत्रों में, सार्वजनिक सूचनायें प्रत्येक के सामने दर्शायी गयी तिथियों को प्रकाशित की गई थी और आयोग तथा डिस्कॉमों की वेबसाईटों पर भी उपलब्ध करवाई गयी थी :

क्र.स.	स्माचार– पत्र का नाम	जविविनिलि	अविविनिलि	जोविविनिलि
1	राजस्थान पत्रिका	11.1.2011	–	11.1.2011
2	दैनिक नवज्योति	–	12.1.2011	–
3	दैनिक भास्कर	11.1.2011	11.1.2011	11.1.2011
4	टाईम्स ऑफ इण्डिया	11.1.2011	11.1.2011	11.1.2011

1.6 बाद में याचिकाकर्ताओं द्वारा 13.1.2011 को जविविनिलि, 18.1.2011 को अविविनिलि तथा 17.1. 2011 को जोविविनिलि के सम्बन्ध में दृश्य–श्रव्य प्रस्तुतीकरण किया गया था।

1.7 आयोग ने 3.2.11 को डिस्कॉमों को याचिकाओ की कमियॅा भिजवाई थी, जिनका उन्होनें अतिरिक्त सूचनाओं के साथ उत्तर 3.3.2011 को प्रस्तुत किया।

1.8 बाद में, डिस्कॉमों ने 7.3.11 को अनुपूरक याचिकायें दायर की, जिसके द्वारा उन्होनें दिन के समय (टी.ओ.डी.) की टैरिफ तथा सौर जल तापक के उपयोग पर प्रोत्साहन हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

1.9 अनुपूरक याचिकाओं की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुये, इच्छुक व्यक्तियों से आपत्तियां/ टीका– टिप्पणी/सुझाव आमंत्रित करते हुये, सार्वजनिक सूचनायें निम्नलिखित समाचार– पत्रों में प्रत्येक के सामने अंकित तिथियों को प्रकाशित की गई थी तथा आयोग व डिस्कॉमों की वेबसाईटों पर भी उपलब्ध करवाई गई थी।

क्र.स.	**समाचार– पत्र का नाम**	**जविविनिलि**	**अविविनिलि**	**जोविविनिलि**
1	राजस्थान पत्रिका	12.3.2011	–	12.3.2011
2	दैनिक नवज्योति	–	12.3.2011	–
3	दैनिक भास्कर	12.3.2011	12.3.2011	12.3.2011
4	टाईम्स ऑफ इण्डिया	12.3.2011	15.3.2011	12.3.2011

1.10 विभिन्न हितधारकों से कुल मिलाकर जविविनिलि की याचिका पर 25 टीका–टिप्पणियां/आपत्तियां, अविविनिलि की याचिका पर 32 आपत्तियां तथा जोविविनिलि की याचिका पर 21 आपत्तियां प्राप्त हुयी थी। इसी प्रकार जविविनिलि तथा जोविविनिलि की अनुपूरक याचिका पर एक– एक आपत्ति प्रत्येक पर तथा दो आपत्तियां अविविनिलि की अनुपूरक याचिका पर प्राप्त हुयी थी।

1.11 व्यक्तियों/संगठनों जिन्होनें याचिकाओं पर टीका–टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां दायर की थी, की सूची इस आदेश के अनुलग्नक–1 पर उपलब्ध है।

1.12 आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों/टीका–टिप्पणियों/सुझावों को आयोग ने इनका उत्तर प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित डिस्कॉमों को अग्रेषित किया। डिस्कॉमों ने उनका उत्तर आयोग को सूचित करते हुये, आपत्तिकर्ताओं को भिजवाया।

1.13 इस मामलें में 26.4.2011 को जयपुर में जन सुनवाई आयोजित की गई थी। जो व्यक्ति सुनवाई में उपस्थित हुये उनकी सूची अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध है।

1.14 सुनवाई के दौरान, जयपुर डिस्कॉम के अध्यक्ष जो अन्य डिस्कॉमों के भी अध्यक्ष है, ने याचिका में समाविष्ट प्रस्तावों के बारे में एक प्रस्तुति दी। उन्होने हितधारकों द्वारा उठाये गये मुद्दों का भी प्रत्युत्तर दिया।

1.15 इस आदेश में प्रयोग किये गये संक्षेपणों की एक सूची सुलभ सन्दर्भ हेतु इस आदेश के अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है।

1.16 इस आदेश में उपयोग में लाये गये सभी ऊर्जा इकाई आंकड़े, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, मिलियन इकाइयों (MU) में है।

1.17 अभ्यावेदन के प्रयोजनार्थ सारणी में दर्शाये गये आंकड़े पूर्णांकित दर्शाये गये हैं। तथापि, परिकलन के प्रयोजन से वास्तविक आंकड़ों को ही ध्यान में रखा गया है।

1.18 इस आदेश में अनुमोदित प्रक्षेपण, समग्र राजस्व आवश्यकता के प्राक्कलन किये जाने के प्रयोजनार्थ हैं। इसे किसी भी निवेश या प्रसारण अथवा उत्पादन संयन्त्र आदि की टैरिफ के लिए आयोग का औपचारिक अनुमोदन नहीं माना जायेगा।

1.19 हमने याचिकाकर्ताओं द्वारा आयोग के प्रश्नों के दिये गये उत्तर, जन–सामान्य से प्राप्त आपत्तियों/टीका–टिप्पणियों, याचिकाकर्ताओं द्वारा आपत्तियों/टीका–टिप्पणियों के प्रस्तुत किये गये उत्तरों तथा आपत्तिकर्ताओं व याचिकाकर्ताओं द्वारा किये गये मौखिक प्रस्तुतीकरणों को ध्यान में रखा है तथा इस आदेश को अन्तिम रूप देते समय सम्बद्ध अभिलेखों का अवलोकन किया है।

1.20 इस आदेश की, नीचे दिये गये चार भागों में, संरचना की गई है :–

(i) भाग– 1 – इस भाग में परिचर्चित पृष्ठभूमि

(ii) भाग– 2 – हितधारकों की टीका–टिप्पणियों/सुझाव, याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर, तथा उन पर आयोग का निर्णय/प्रेक्षितियां (पृष्ठ– 5 तथा आगे)

(iii) भाग– 3 – तीनों डिस्कॉमों की विव 11–12 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (पृष्ठ 52 तथा आगे)

(iv) भाग–4 – टैरिफ प्रस्ताव (पृष्ठ 93 तथा आगे)

भाग –2 हितधारकों की टीका–टिप्पणी/सुझाव, याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर तथा आयोग का मत :

आपत्तिकर्ताओं तथा याचिकाकर्ताओं के मुद्देवार निवेदनों पर निम्नानुसार तीन भागों में परिचर्चा की गई है:

(1) भाग– i सामान्य मुद्दे/टीका– टिप्पणी

(2) भाग– ii एआरआर सम्बन्धी मुद्दे/टीका– टिप्पणी

(3) भाग– iii टैरिफ सम्बन्धी सुझाव/प्रेक्षिति

भाग । – सामान्य मुद्दे/टीका– टिप्पणी

2.1 अंकेक्षित लेखे तथा ट्रयू–अप प्रस्तुत न किया जाना

2.1.1 हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणियां

उपरोक्त मुद्दे पर श्री शान्ति प्रसाद, श्री जी.एल. शर्मा, श्री पी. एन. भण्डारी, श्री भावनेश चन्द्र माथुर, श्री पी. सी. जैन, मै. संगम इण्डिया लिमिटेड, मै. रूद्राक्ष एनर्जी, मेवाड़ चैम्बर ऑफ कामर्स ऑफ इण्डस्ट्री तथा मै. ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा उठाये गये मुख्य बिन्दुओं को संक्षेप में निम्नानुसार दिया जा रहा है:–

(1) टैरिफ विनियम, 2009 के विनियम 12 के अनुसार याचिकाकर्ताओं को विव 2009–10 के अंकेक्षित लेखे संलग्न करने चाहिये थे और यदि विव 10 के अंकेक्षित लेखे उपलब्ध नहीं थे तो फिर विव 09 के अंकेक्षित लेखे विव 10 के अनांकेक्षित लेखों के साथ उपलब्ध करवाने चाहिए थे।

(2) सुनवाई के दौरान, कुछ आपत्तिकर्ताओं ने यह पूछा कि बिना अंकेक्षित लेखों के याचिका कैसे स्वीकार की गयी थी जबकि पिछले वर्षों का ट्रयूइंग – अप भी नहीं चाहा गया है ? हितधारकों ने यह भी बताया कि जविविनिलि व जोविविनिलि का 2008–09 व बाद का ट्रयूइंग–अप नहीं हुआ है तथा अविविनिलि का तो यह 2007–08 व बाद का नहीं हुआ था। श्री जी. एल. शर्मा ने दिसम्बर, 2006 के एपटेल (APTEL) आदेश का सन्दर्भ दिया, जो यह जोर देता है कि ट्रयूइंग–अप नियामक द्वारा निश्चित रूप से की जाने वाली प्रक्रिया है।

2.1.2 याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर

विव 2008–09 के अंकेक्षित लेखे तथा विव 09–10 के लिए अनांकेक्षित लेखे आयोग द्वारा संसूचित याचिकाओं की कमियों के प्रत्युत्तर में आयोग को, सम्बन्धित आपत्तिकर्ता को प्रतिलिपि

पृष्ठांकित करते हुये, उपलब्ध करवा दी गई थी।

2.1.3 आयोग का मत :–

(1) डिस्कॉमों ने बाद में विव 2008–09 के अंकेक्षित तथा विव 2009–10 के अनांकेक्षित लेखे उपलब्ध करवा दिये थे। तथापि, डिस्कॉमों को विव–10 के अंकेक्षित लेखे उपलब्ध करवाने चाहिए थे। डिस्कॉमों को एतद्द्वारा भविष्य में समय पर उनके अंकेक्षित लेखे तैयार करने और वाराआ/टैरिफ विनिर्धारण की याचिका के साथ प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

(2) आयोग ने यह भी प्रेक्षित किया है कि लेखों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण डिस्कॉमों के पक्ष पर ट्रयूअप की याचिकायें दायर करने में विलम्ब होता है। आयोग डिस्कॉमों को, सभी लम्बित ट्रयूअप याचिकायें तीन माह के अन्दर– अन्दर दायर करने के निर्देश देता है। डिस्कॉमों ने चालू याचिकायें टैरिफ विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत विव 2011–12 के लिए वाराआ तथा टैरिफ संशोधन के लिए दायर की हैं ओर उन्होनें अपनी पिछली हानियों को टैरिफ संशोधन के माध्यम से पूरा करने के लिए याचना नहीं की है। डिस्कॉम 25265 करोड़ रूपये की वाराआ की याचना कर रहे हैं और प्रस्तावित टैरिफ संशोधन के पश्चात् भी उन्होनें अपूरित अन्तर लगभग 8600 करोड़ रू. का प्रक्षेपित किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि डिस्कॉमों ने टैरिफ में संशोधन न किये जाने के कारण विगत के कई वर्षों में भारी हानि उठायी है और इसलिए ट्रयूइंग– अप भी विव 11–12 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में कमी का परिणामी नहीं होगा। इस तथ्य के कारण ट्रयूअप किये हुये आंकड़ों की अनुपस्थिति का प्रस्तावित टैरिफ में वृद्धि पर कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

2.2 अपूर्ण प्रपत्र, सूचनायें तथा मण्डल को प्राधिकृत न किया जाना

2.2.1 **हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणियां :**

श्री शान्ति प्रसाद, मै. डी. सी. एम., श्री राम कन्सोलीडेटेड लि., श्री जी. एल. शर्मा, श्री पी. एन. भण्डारी, श्री भावनेश चन्द्र माथुर तथा श्री पी. सी. जैन द्वारा शीर्षकस्थ मुद्दे उठाये गये मुख्य बिन्दुओं को निम्नवत् सारांशित किया गया है :

(1) कुछ आरूप यथा प्रपत्र 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2 तथा 7.3 रिक्त/अपूर्ण हैं या उचित तरीके से नहीं मिलाये गये हैं और टैरिफ विनियमों के अन्तर्गत यथावश्यक सूचनायें उपलब्ध नहीं करवाई गयी हैं।

(2) आपत्तिकर्ताओं ने विद्यमान टैरिफ तथा प्रस्तावित टैरिफ में आपूर्ति की वोल्टेजवार लागत तथा

प्रतिसहायिकी (क्रास सब्सिड़ी) की विस्तृतियां उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया।

(3) यह भी उल्लेख किया गया था कि टैरिफ विनियम, 2009 के विनियम 111 (1) के अनुसार श्रेणीवार तथा स्लेबवार उपभोक्ताओं की संख्या, विक्रय तथा विद्यमान टैरिफ से राजस्व की संगणना भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

(4) आपत्तिकर्ताओं ने कम्पनी के निदेशक मण्डल के संकल्प, (कम्पनी सचिव द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित/अनुप्रमाणित) जिसके द्वारा उनके अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को इन याचिकाओं को दायर किये जाने के लिए अधिकृत किया गया है, की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का भी निवेदन किया।

2.2.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

डिस्कॉमों ने आयोग द्वारा संसूचित याचिकाओं में कमियों को उनके उत्तर के साथ विधिवत् भरे हुये आरूप उपलब्ध करवा दिये हैं। अनुज्ञप्तिधारियों ने प्रतिसहायिकी का परिकलन, प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी से औसत प्रापण तथा आपूर्ति की औसत लागत को ध्यान में रखते हुये किया है और अपने उत्तर में दर्शाया गया है।

2.2.3 **आयोग का मत :**

डिस्कॉमों को एतद्द्वारा वोल्टेजवार आपूर्ति की लागत का परिकलन करने और अगले टैरिफ याचिका के साथ आयोग को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। डिस्कॉमों को ये भी निर्देश दिये जाते हैं कि पूर्ण आरूपों तथा वांछित सूचनाओं का वाराआ/टैरिफ याचिका के साथ ही प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। याचिकाओं के दायरीकरण हेतु निदेशक मण्डल द्वारा प्राधिकार के सम्बन्ध में विनियमों की यह भावना है कि याचिका सम्बन्धित पक्षकार या विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है। याचिकायें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक के प्राधिकार के आधार पर प्रस्तुत की गयी है और इसलिए अनुरक्षणीय है।

2.3 सरकारी सब्सिड़ी

2.3.1 स्टेकधारियों का मत :

श्री शान्ति प्रसाद, श्री नरेन्द्र अग्रवाल, श्री राजेन्द्र गोयल, श्री सुबोध कुमार भटनागर, श्री जी. एल. शर्मा, श्री पी. एन. भण्डारी, श्री पी. एन. मण्डोला, मै. डी.सी.एम., श्री राम कन्सोलिडेटेड लि., मै. श्री सीमेन्ट लि., मै. संगम इण्डिया लि., मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इण्डस्ट्री,

जोधपुर इण्डस्ट्रीज ऐसोसिएशन तथा मै. ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा दिये गये मुद्दों पर टीका–टिप्पणियों पर संक्षेप में निम्नलिखित उप–पैराओं में चर्चा की जा रही है:–

(1) डिस्कॉमों को प्रस्तावित टैरिफ के भाग के रूप में इंगित सहायिकी का आधार उपलब्ध करवाना चाहिए। सरकार से सहायिकी प्राप्त न होने की दशा में सहायता प्राप्त उपभोक्ता श्रेणी से पूरी टैरिफ प्रभारित किये जाने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सहायिकी की राशि सम्बन्धी विस्तृतियां भी डिस्कॉमों के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(2) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कृषि तथा गरीबी रेखा से नीचे के घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के कारण वहन की गई हानि को औद्योगिक/अन्य उपभोक्ता श्रेणियों को पारेषित नहीं करना चाहिए। यह भी कहा गया था कि व्यक्तिक श्रेणियों को सहायिकी का निर्धारण आपूर्ति की औसत लागत के आधार पर किया जाए।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 में यह उपबन्धित है कि यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं की श्रेणी को राज्य आयोग द्वारा धारा 62 के अन्तर्गत विनिर्धारित टैरिफ में किसी प्रकार की सहायिकी देना चाहती है, तो राज्य सरकार राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति से उसका अग्रिम रूप में संदान करेगी। इसलिए आयोग को टैरिफ का विनिर्धारण पहले राज्य सरकार के सहायिकी अभिवचन की राशि को ध्यान में रखे बिना करना चाहिए तथा सहायता प्राप्त टैरिफ का निर्धारण उसके बाद, सम्बन्धित उपभोक्ता श्रेणियों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली सहायिकी को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा।

2.3.2 याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :–

सरकार से सहायिकी की उपलब्धता विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है जो डिस्कॉमों के नियंत्रण में नहीं हैं।

2.3.3 आयोग का मत :–

डिस्कॉमों ने याचिकाओं में सरकार से प्राप्त होने वाली श्रेणीवार प्रति इकाई सहायिकी इंगित की है। इसके अतिरिक्त, विद्युत शुल्क तथा अन्य अनुदानों को मिलाकर 845 करोड़ रूपये (डिस्कॉमों द्वारा संगृहीत 830 करोड़ रूपये विद्युत शुल्क के प्रतिधारण तथा 15 करोड़ रूपये अन्य अनुदानों के रूप में) की सहायता तथा 400 करोड़ रूपये की संक्रमणकालीन नकद सहायता भी राज्य सरकार द्वारा दी जानी है। तथापि, आयोग ने प्रत्येक श्रेणी के लिए टैरिफ

का विनिर्धारण सहायिकी के तत्व को ध्यान में न रखते हुये किया है। यदि राज्य सरकार से सहायिकी प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग द्वारा विनिर्धारित टैरिफ प्रयोज्य होगी।

2.4 प्रसारण एवं वितरण हानियों का निर्धारण

2.4.1 हितधारकों की आपत्तियां/टीका– टिप्पणी :

श्री नरेन्द्र अग्रवाल, श्री पी. सी. जैन, श्री जी. एल. शर्मा, मै. समता पावर, मै. संगम इण्डिया लि. मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इण्डस्ट्री, मै. ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., मै. रूदाक्ष एनर्जी, मै. डी. सी. एम. कन्सोलीडेटेड लि.द्वारा उठाये गये मुख्य बिन्दु संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

(1) विव 2009–10 के लिए हानियों में वास्तविक कमी का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है और डिस्कॉमें हानियों में कमी के बारे में आंकड़े प्रस्तुत कर सकती हैं। हितधारकों द्वारा डिस्कॉमों से 1999 से दिसम्बर 2010 तक वर्षवार प्र. एवं. वि. हानियां तथा फीडर नवीनीकरण कार्यक्रम की स्थिति उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा गया था। हानियों को तकनीकी तथा वाणिज्यिक भागों में अलग–अलग किया जाए। ऊर्जा अंकेक्षण के मुद्दे को याचिका में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(2) यह अनुरोध किया गया था कि सभी परिस्थितियों में डिस्कॉमों द्वारा वितरण हानियों के लक्ष्यों की प्राप्ति न किये जाने का भार उपभोक्ताओं को पारेषित नहीं किया जाना चाहिए तथा टैरिफ का विनिर्धारण प्रस्तावित वितरण हानियां, जो आयोग द्वारा दिनांक 15.4.2010 के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में निर्धारित की गई थी से कम है, को ध्यान में रखते हुये किया जाना चाहिए।

(3) विभिन्न फीडरों पर हानियों के स्तर के आधार पर कुछ फीडरवार शास्ति/अधिभार अधिरोपित किये जाने की आवश्यकता है।

(4) वितरण ट्रान्सफार्मरों पर अधिष्ठापित मीटरों की मीटर पाठकों द्वारा अभिलिखित की गई रीडिंग ट्रान्सफार्मरों की ऊंचाई के कारण रीडिंग लेने में कठिनाई के कारण सदैव सही नहीं होती है। इस कठिनाई के कारण बहुधा रीडिंग, अवधारणाओं के आधार पर अभिलिखित की जाती है जो ऊर्जा लेखांकन को प्रभावित करती है।

2.4.2 याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर

(1) डिस्कॉमों ने सूचित किया कि विव 10–11 के दौरान उन्होनें हानियों में लगभग 3 प्रतिशत की कमी प्राप्त की है। हानियों को अलग– अलग किये जाने के सम्बन्ध में डिस्कॉमों ने बताया कि वर्तमान में हानियों के तकनीकी व वाणिज्यिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(2) डिस्कॉमों ने आपत्तिकर्ताओं के उनके उत्तर में फीडर नवीनीकरण कार्यक्रम तथा जनवरी, 11 तक पूरे किये गये वास्तविक लक्ष्यों की स्थिति उपलब्ध करवायी। ऊर्जा अंकेक्षण के सम्बन्ध में डिस्कॉमों के अध्यक्ष ने सूचित किया कि वर्तमान में फीडर प्रबन्धक आंकड़ों का संग्रहण कर रहे हैं परन्तु यह ऑन लाइन नहीं है, एक बार जब आरएपीडीआरपी कार्य पूर्ण हो जायेंगे, बेहतर अनुश्रवण सम्भव हो पायेगा। यह भी सूचित किया गया था कि आरएपीडीआरपी को आधारभूत लाइन आंकड़े स्थापित किये जाने तथा उप–प्रसारण व वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के माध्यम से तथा सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाकर एटीएण्डसी हानियों में कमी करने पर केन्द्रित किया जाकर क्रियान्वित किया जा रहा है। उठाये जा रहे उपायों में अन्य बातों के साथ– साथ उपभोक्ता अनुक्रमणिका, जीआईएस मैपिंग, वितरण ट्रान्सफार्मरों तथा फीडरों का मीटरीकरण भी शामिल है।

(3) याचिकाकर्ताओं ने वितरण ट्रान्सफार्मरों पर अधिष्ठापित मीटरों की रीडिंग लिये जाने की कठिनाई को स्वीकार किया और उल्लेख किया कि रीड़िग सम्बन्धी कठिनाई को और अधिक मानव शक्ति प्रतिनियुक्त कर तथा अन्य उपायों द्वारा हल किया जा रहा है। यह सूचित किया गया कि डिस्कॉमें उन अवस्थितियों पर विशेष मीटर अधिष्ठापित किये जाने पर विचार कर रही हैं, जो मीटर रीडिंग सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर कर पायेगी।

2.4.3 आयोग का मतः

(1) याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे प्र.एवं वि. हानियों में कमी के लिए सभी हर सम्भव प्रयास कर रहे है। तथापि, उन्हें ऊर्जा अंकेक्षण को और अधिक गम्भीरता से लेना चाहिए क्योंकि यह हानि के वर्तमान स्तर के निर्धारण तथा इसमें कमी का आधार है। उन्हें ट्रान्सफार्मरों पर अधिष्ठापित मीटरों की रीडिंग सम्बन्धी प्रचालनीय मुद्दों को शीध्रता से हल करने की आवश्यकता है।

(2) आयोग, डिस्कॉमों को उनकी अगली याचिका में तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों के रूप में हानियों के पृथक्करण के साथ ही साथ ऊर्जा लेखाकंन तथा प्रसारण एवं वितरण हानियों की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देता है। वर्तमान में आयोग ने विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण उपभोक्ताओं पर फीडरवार हानियों पर आधारित किसी प्रकार की शास्ति/ अधिभार के उद्ग्रहण पर विचार नहीं किया है।

(3) ऊर्जा आवश्यकता तथा लागत का विनिर्धारण करते समय आयोग ने डिस्कॉमों द्वारा यथा प्रस्तावित हानि स्तर, जो अविविनिलि तथा जोविविनिलि के मामले में दिनांक 15.4.2010 के

बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम तथा जविविनिलि के मामलें में बहुवर्षीय टैरिफ लक्ष्य के बराबर है, पर विचार किया है।

2.5 दोषपूर्ण मीटर/ट्रान्सफार्मर, अधिक तथा धटिया किस्म की सामग्री का क्रय

2.5.1 हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी

श्री पी. सी. जैन, श्री बी. एस. मील, अजमेर जिला विद्युत मजदूर कांग्रेस, श्री सन्तोष कुमार मिश्रा, श्री वाई. के. बोलिया, श्री सुभाष शर्मा, श्री गंगाधर सोंलकी द्वारा उठाये गये मुख्य बिन्दु संक्षेप में निम्नानुसार है :–

(1) यह होते हुये भी कि वितरण ट्रान्सफार्मरों की जलने की दर में कमी हुयी है, डिस्कॉमों को ट्रान्सफार्मरों का भारी भंडार संधारित किये जाने के कारणों का स्पष्टीकरण देना है।

(2) कई आपत्तिकर्ताओं ने बताया कि डिस्कॉमें अत्यधिक तथा धटिया किस्म के मीटरों/ट्रान्सफार्मरों/ केबिलों तथा अन्य सामग्रियों का क्रय कर रही हैं और उनके संविदाकार धटिया किस्म का कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण विफलता की दर अति उच्च है। डिस्कॉमों का आस्ति लेखांकन समुचित नहीं है।

(3) वितरण ट्रान्सफार्मरों में अधिष्ठापित मीटर दोष के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उनका प्रतिस्थापन उपभोक्ताओं के लिए महंगा है क्योंकि ट्रान्सफार्मर की स्थल से उपखण्ड कार्यालय तथा वापस स्थल तक की परिवहन लागत उपभोक्ता को वहन करनी होती है। अजमेर डिस्कॉम ने तो अपने स्वयं के स्तर पर जले हुये मीटर की कीमत बढ़ा दी है, जो आपूर्ति कोड विनियमों का उल्लंधन है।

(4) कुछ आपत्तिकर्ताओं ने उल्लेख किया कि डिस्कॉमों के आईएसआई चिन्ह के मीटर, बाजार में उपलब्ध आईएसआई चिन्ह वाले मीटरों की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक उपभोग दर्शाते हैं।

(5) डिस्कॉमों द्वारा खरीदे गये मीटर घटिया किस्म के हैं। भारी संख्या में मीटर दोषपूर्ण है और प्रत्याभूति अवधि पूर्ण करने में असमर्थ हैं और मीटर के दोषपूर्ण हो जाने पर औसत आधार पर प्रभारित किया जाना उचित नहीं है। मीटरों को समय पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि आमतौर पर विलम्ब होता है। मीटर राजस्थान का परिवेशी तापमान सहन करने में समर्थ नहीं हैं क्योंकि मीटर पर अंकित सूचना दर्शाती है कि वे 27 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए हैं।

(6) यह भी उल्लेख किया गया था कि उपभोक्ताओं को औसत विपत्रण के कारण परेशानी हो रही

है तथा डिस्कॉमें, यदि मीटर को समय पर नहीं बदला जाता है तो, आयोग द्वारा यथानुमत 5 प्रतिशत की छूट नहीं देती हैं।

2.5.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

(1) याचिकाकर्ताओं ने बताया की नये ट्रान्सफार्मरों की प्रत्याभूति अवधि 5 वर्ष है और जो इस अवधि के दौरान विफल हो जाते हैं, उनकी फर्म द्वारा निःशुल्क मरम्मत की जा रही है। ट्रान्सफार्मरों का क्रय नये कनेक्शन दिये जाने तथा तन्त्र संवर्द्धन सहित नये कार्यो के लिए किया गया है। क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों का प्रतिस्थापन डिस्कॉमों द्वारा केन्द्रीय श्रम दर संविदा पर किया जा रहा है। तथापि, समय की बचत की दृष्टि से, कुछ उपभोक्ता ट्रान्सफार्मरों को उतरवा लेते हैं और उपखण्ड कार्यालय लाते है और फिर अपने खेतों पर ले जाते हैं। ट्रान्सफार्मरों के क्रय के बारे में डिस्कॉमों के अध्यक्ष ने सूचित किया कि सामग्री में कुछ समस्यायें देखी गई हैं जिसके लिए सुधारात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जले हुये मीटर की कीमत, विद्युतापूर्ति सम्बन्धी निबन्धन व शर्तें 2004 के प्रावधानों के अनुसार ही ली जा रही है।

(2) सामग्री के भौतिक सत्यापन के बारे में डिस्कॉमों के अध्यक्ष ने सूचित किया कि डिस्कॉमों ने भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया तथा मालसूची का प्रबन्धन परामर्शदाता की सहायता से शुरू कर दिया है और उनके द्वारा इस कार्य को 8–9 माह में पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

(3) मीटरों को विभिन्न स्तरों पर निरीक्षित किया जाता है। तथापि, किसी प्रकार की शिकायत की दशा में मीटर का परीक्षण, उनके संतोषण हेतु, उपभोक्ता की उपस्थिति में किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया कि 27 डिग्री सेल्सियस एक निर्देशन तापमान है। तथापि, मीटर 60 डिग्री सेल्सियस तक कार्य करने में सक्षम है। याचिकाकर्त्ताओं ने यह भी स्वीकार किया कि विफलता दर काफी उच्च है और सूचित किया की आपूर्तिकारों को नोटिस जारी कर दिये गये हैं और काली सूची में डालने की कार्यवाही की जा चुकी है।

(4) औसत विपत्रण पर छूट के बारे में डिस्कॉमों ने सुनवाई के दौरान सूचित किया कि एक याचिकाकर्त्ता ने उसके लिखित उत्तर में 5 प्रतिशत की छूट के प्रावधान की समीक्षा किये जाने के लिए आयोग को पूर्व में भेजे गये अनुरोध का उल्लेख किया है।

2.5.3 आयोग का मतः

(1) डिस्कॉमों को उनके क्रय तथा गुणवत्ता नियंत्रण क्रियाविधि की, प्राप्त हुये सुझावों के प्रकाश में

समीक्षा करनी चाहिए और किसी भी प्रकार की अत्यधिक/घटिया क्रय को प्रतिबन्धित करना चाहिए। अविविनिलि द्वारा जले हुये मीटरों की उच्चतर राशि प्रभारित किये जाने के बारे में आयोग याचिकाकर्ता को निर्देश देता है कि आयोग को उचित दृष्टिकोण अपनाने में समर्थ करने के लिए दो महीने के अन्दर– अन्दर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(2) भारी संख्या में दोषपूर्ण मीटर एक ओर डिस्कॉमों को राजस्व/पूंजी की हानि के कारक हैं तथा दूसरी ओर उपभोक्ताओं में असन्तोष का भी मुख्य कारण हैं। इससे डिस्कॉमों के कार्यबल पर भी दबाव पड़ता है। आयोग के लिए मीटरों से सम्बन्धित भारी शिकायतें चिन्ता का विषय है और याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिये जाते हैं कि मीटर सम्बन्धी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निवारण किया जाये। उन्हें प्रभावी गुणवत्ता नियन्त्रण तन्त्र भी स्थापित करना चाहिए।

(3) औसत विपत्रण में उपभोक्ताओं को छूट के बारे में आयोग का मत है कि नियत प्रक्रिया को अपनाते हुये आपूर्ति कोड विनियमों में जब तक कि कोई परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है विद्यमान विनियम प्रचलित रहेंगे। तद्नुसार डिस्कॉमों को उसकी अनुपालना करनी और आयोग के विनियमों के अनुसार 5 प्रतिशत की छूट अनुमत करनी चाहिए।

2.6 फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं का रूपान्तरण

2.6.1 हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी

श्री जी. एल. शर्मा, श्री सुबोध कुमार भटनागर, मै. संगम इण्डिया लि., मेवाड़ चैम्बर ऑफ कामर्स ऑफ इण्डस्ट्री, मै. ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. तथा अन्य द्वारा उठाये गये मुख्य बिन्दुओं को संक्षेप में नीचे दिया गया है :

आयोग के निर्देश के बावजूद भी डिस्कॉमें फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत रूप से मीटरित श्रेणी में रूपान्तरित करने में विफल रही हैं। यह भी ध्यान में लाया गया है कि फ्लेट रेट श्रेणी से मीटरित श्रेणी में रूपान्तरण की गति अत्यन्त धीमी है और भारी संख्या में उपभोक्ता अभी भी फ्लेट रेट में विद्यमान हैं, जिन्हें मीटरित में रूपान्तरित किया जाना चाहिए।

2.6.2 याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर

कृषि (फ्लेट) उपभोक्ताओं को रूपान्तरित किये जाने की मन्द गति कुछ क्षेत्रों से उपभोक्ताओं के प्रतिरोध के कारण है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी आशा करते हैं कि सान्द्रित प्रयासों से सुपर ट्रान्सफार्मरों से मीटरिंग सम्बन्धी कार्य अगले वित्तीय वर्ष तक पूरा कर लिया जायेगा।

2.6.3 आयोग का मतः

याचिकाकर्ताओं द्वारा फ्लेट रेट उपभोक्ताओं को मीटरित श्रेणी में शत– प्रतिशत रूपान्तरण की प्राप्ति हेतु कठोर कदम उठाये जाने चाहिए। आयोग ने भी प्रेक्षित किया है कि फ्लेट रेट से मीटरित श्रेणी में रूपान्तरण की गति धीमी रही है, जिसके फलस्वरूप याचिकाकर्ता दिनांक 15.4.2010 के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के अन्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाये है। इसलिए आयोग याचिकाकर्ताओं को निर्देश देता है कि दिनांक 15.4.10 के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के अन्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये।

2.7 ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबन्धन

2.7.1 हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी

यूएसएआइडी तथा श्री संतोष कुमार मिश्रा व अन्य द्वारा दिये गये सुझाव, संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

(1) विव 2011–12 की वाराआ याचिकायें दर्शाती है कि राज्य में उपभोगित कुल विद्युत में कृषि उपभोग की प्रतिशतता का महत्वपूर्ण योगदान है। यह सुझाव दिया गया कि विद्यमान अदक्ष पम्प सैटों को उच्च दक्षता वाले पम्प सैटों, जो भारी बचत और बदले में अतिरिक्त क्षमता के परिणामी होगें, से प्रतिस्थापित किये जाने के लिए विद्यमान राजस्व सहायिकी को एक बारगी पूंजीगत सहायिकी में रूपान्तरित कर दिया जाए। नये कनेक्शन केवल स्टार रेटिंग के पम्प सैटों के साथ ही दिये जायें या ऐसे कृषकों को कनेक्शन दिये जाने में प्राथमिकता दी जाये तथा कुछ टैरिफ प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है।

(2) यह भी प्रस्ताव दिया गया कि सरकारी/अर्द्ध– सरकारी कार्यालयों तथा संस्थानों में सीएफएल तथा सौर आधारित उपकरणों का उपयोग अनिवार्य कर दिया जाये।

2.7.2 याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :

(1) याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे पहले से ही ऊर्जा दक्ष पम्पों की प्रोन्नति तथा कुछ अन्य मांग पक्ष प्रबन्धन की परियोजनाओं की दिशा में कार्यरत हैं। जो किसान ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रमाणित पम्प सैट अधिष्ठापित करते है उन्हें 500/– रूपये प्रति एचपी की सहायिकी ग्राहय् है। 3 स्टार तथा ऊपर की रेटिंग वाले पम्प सैट अधिष्ठापित करने वाले किसानों को 10 पैसे प्रति इकाई की छूट प्रस्तावित की गई है।

(2) याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि वे उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं परन्तु उन पर ऐसे उपकरण उपयोग में लाये जाने के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं।

2.7.3 आयोग का मत :

ऊर्जा दक्ष पम्पों के लिए प्रस्तावित छूट अनुमत की जा रही है। आयोग, याचिकाकर्ताओं को आगे और निर्देश देता है कि मांग पक्ष प्रबन्धन की, मार्गदर्शी परियोजना के रूप में, साध्यता का परिकलन करे। सरकार ने पहले से ही ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों के अनिवार्यतः उपयोग के अनुदेश जारी कर दिये हैं। डिस्कॉमें ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों के उपयोग से होने वाले लाभ के बारे में सामान्य जन – चेतना के लिए सरकार तथा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत केन्द्रक अभिकरण) के साथ मिलकर सधन कार्य करें।

2.8 डिस्कॉमों की बकाया

2.8.1 हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी :

श्री पी. एन. मण्डोला, श्री मामराज सिंह तथा श्री गंगाधर सोलंकी द्वारा उठाये गये बिन्दु संक्षेप में निम्नानुसार हैं :

(1) आपत्तिकर्ताओं ने, स्थानीय निकायों की ओर 2000 से 2010 तक, लम्बित बकाया की सूचना उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

(2) यह उल्लेख किया गया कि भुगतान में दोषी पाये जाने पर नगर निगमों सहित उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदित किये जायें। अविविनिलि की 121 करोड़ रूपये की राशि बकाया चल रही है, जिसकी वसूली नहीं की जा रही है।

2.8.2 याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :

जविविनिलि तथा अविविनिलि ने उनके उत्तर के साथ वांछित सूचना उपलब्ध करव दी। डिस्कॉमों के अध्यक्ष ने सूचित किया कि उन्होनें दोषी स्थानीय निकायों के कनेक्शन काटना शुरू कर दिया है और अभी हाल ही में कोटा नगर निगम को आपूर्ति काट दी है।

2.8.3 आयोग का मत :

बकाया राशि का संचयन डिस्कॉमों के वित्तीय संसाधनों को क्षति पहुंचाता है और कार्यशील पूंजी की जरूरत को बढ़ाता है। डिस्कॉमों को बकाया राशि की वसूली करनी चाहिए और यह

सुनिश्चित करना चाहिए कि बकाया में कमी हो रही है।

2.9 उपभोक्ताओं की शिकायतें

2.9.1 हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी :

विकास समिति, ब्यावर, श्री गंगाधर सोलंकी, अजमेर जिला विद्युत मजदूर कांग्रेस, श्री वाई. के. बोलिया, श्री सन्तोष कुमार मिश्रा, कन्ज्यूमर लीगल हेल्प सोसायटी एवं मै. समता पावर, श्री मामराज सिंह, श्री बी. एस. मील, श्री पी. एन. मण्डोला, मै. समता पावर, जन जागरण मंच तथा मुक्तिधाम विकास समिति द्वारा उठाये गये मुख्य बिन्दु संक्षेप में निम्नानुसार हैं :

(1) उपभोक्ता शिकायतों की अभिस्वीकृति नहीं दी जाती है तथा उनका नियत समयावधि में उचित निवारण नहीं किया जाता है।

(2) विहित मानकों के अनुसार उपयुक्त सेवा उपलब्ध करवाने हेतु डिस्कॉमों की मानव शक्ति तथा संसाधनों में कार्यभार के अनुपात में वृद्धि की आवश्यकता है। ग्रामीण सब– स्टेशनों पर समुचित स्टॉफ तथा सुविधायें उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है, क्योंकि विद्यमान व्यवस्थायें अपर्याप्त हैं। निष्पादन के मानकों की पुस्तक की कीमत 50 रूपये है, जो बहुत अधिक है।

(3) यह भी उल्लेख किया गया था कि डिस्कॉमों के विरूद्ध उपभोक्ता न्यायालयों में भारी संख्या में वाद लम्बित हैं। यह बताया गया था कि उपभोक्ता न्यायालयों में लगभग 70 प्रतिशत वाद डिस्कॉमों के विरूद्ध निर्णीत किये जाते है। आपत्तिकर्ताओं ने विभिन्न समझौता समितियों, चौपाल प्रणाली आदि के माध्यम से जन साधारण को शामिल किया जाकर भागीदारी की वकालत की।

2.9.2 आपत्तिकर्ताओं का प्रत्युत्तर :

उठाये गये मुद्दे प्रचालनीय प्रकृति के हैं और वाराआ एवं टैरिफ याचिका से सम्बन्धित नहीं है। मानव शक्ति की कमी के बारे में डिस्कॉमों ने सूचित किया कि उन्हें अभी हाल में राज्य सरकार से 8500 कर्मचारी भर्ती किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। डिस्कॉमों के अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि उपभोक्ता सेवा के सुझाव को नोट कर लिया गया है और सुधार हेतु प्रयास किये जायेंगे। उन्होनें यह भी आश्वस्त किया कि निष्पादन के मानक की पुस्तक की कीमत कम कर दी जायेगी।

2.9.3 आयोग का मत :

आयोग यह स्पष्ट करना चाहेगा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों और परिवादों का निवारण

किया जाना वितरण अनुज्ञप्तिधारी का महत्वपूर्ण कार्य तथा उत्तरदायित्व है, अतः डिस्कॉमों को इस बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। आयोग ने उपभोक्ता परिवादों के निवारण हेतु उपयुक्त तन्त्र स्थापित किया है और विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता परिवाद निवारण मंचों (CGRF) के कार्यरत होने के अलावा राज्य में एक पूर्णकालीन लोकपाल भी कार्यरत है। डिस्कॉमों को उक्त शिकायत निवारण तन्त्र का उचित प्रचार– प्रसार करना चाहिए ताकि जन–साधारण को विद्यमान मंचों/स्तरों की जानकारी मिल सके। डिस्कॉमों को वृहत्तर उपभोक्ता संतोषण के लक्ष्य की और कार्य करना, अग्र सक्रिय उपागम को अपनाना चाहिए तथा उपभोक्ता शिकायतों का समयबद्ध रीति से निपटारा करना चाहिए।

भाग –II: समग्र राजस्व आवश्यकता सम्बन्धी

2.10 सराआ के परिकलन की कार्यप्रणाली में परिवर्तन

श्री जी. एल. शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने विव 2010–11 तथा विव 2011–12 की समग्र राजस्व आवश्यकता का पूर्वानुमान विकसित किये जाने में आयोग की पूर्वानुमति, जो कि राविविआ टैरिफ विनियम, 2009 के विनियम 6 के अनुसार पूर्वापेक्षित है, के बिना ही एक परिवर्तन कर लिया है। अनुज्ञप्तिधारी ने बताया कि इसी प्रकार की कार्यप्रणाली विव 12 की सराआ के विनिर्धारण हेतु सभी डिस्कॉमों द्वारा उपयोग में ली गई है और सबसे अच्छी उपलब्ध सूचनायें विव 12 की सराआ तथा टैरिफ याचिका तैयार किये जाने के लिए उपयोग में लाई गयी है। आयोग ने समग्र राजस्व आवश्यकता को अन्तिम रूप दिये जाते समय आपत्तिकर्ताओं तथा डिस्कॉमों के विचारों को ध्यान में रखा है।

2.11 बहुवर्षीय टैरिफ आदेश से विचलन

2.11.1 हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी

श्री शान्ति प्रसाद, श्री नरेन्द्र अग्रवाल, श्री पी. एन. भण्डारी तथा श्री जी. एल. शर्मा ने शीर्षकस्थ मुद्दा उठाया जो संक्षेप में नीचे दिया जा रहा हैः

सभी तीनों डिस्कॉमों की अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता की तुलना में दायर की गई याचिकाओं के आंकड़ों में विचलन है। आयोग को संशोधन को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा किया जाना बहुवर्षीय टैरिफ, जो हितधारकों के लिए दीर्धकालीन आधार पर योजना बनाने में समर्थ होने के लिए अगले पांच वर्षों का ध्यान रखती है, के प्रयोजन तथा भावना का पूर्णरूपेण उल्लंधन होगा। डिस्कॉमों को दिनांक 15.4.2010 के बहुवर्षीय सराआ

आदेश से आयोग द्वारा अनुमोदित आंकड़ों की समीक्षा किये जाने के कारण इंगित करने चाहिए।

2.11.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर**

डिस्कॉमों ने अनुरोध किया कि समग्र राजस्व आवश्यकता के प्राचलों में, विव 09–10 के लिए उपलब्ध वास्तविक आंकड़ों के आधार पर संशोधन हो गया था। अतः ये बहुवर्षीय टैरिफ के आंकड़ों से भिन्न हैं।

2.11.3 **आयोग का मत :**

दिनांक 15.4.2010 का बहुवर्षीय टैरिफ आदेश ऊर्जा विक्रय, विद्युत क्रय लागत तथा समग्र राजस्व आवश्यकता के अन्य तत्वों का पिछले वर्षों के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर एक निर्धारण था। तथापि, इस अवधि के दौरान ऊर्जा विक्रय, विद्युत क्रय लागत तथा अन्य प्राचलों में प्राक्कलित थी तुलना में विभिन्न कारणों से परिवर्तन हो गया था। वर्तमान प्रयोग मुख्यतः सराआ से सम्बन्धित प्राचलों पर विव 11–12 में सम्भावित स्थिति को यथासम्भव सही तौर पर प्राप्त करना लक्षित है। इसलिए यह कहना व्यर्थ होगा कि चालू प्राक्कलन समग्र राजस्व आवश्यकता को अन्तिम रूप दिये जाने में, जो पहले बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के दौरान प्राक्कलित था की तुलना में अधिक सुसंगत होंगे। तथापि, विद्युत क्रय तथा अन्य प्राचलों के परिकलन में बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के सिद्धान्तों पर उचित ध्यान दिया गया है, जैसी कि इस आदेश में सम्बद्ध स्थानों पर परिचर्चा की गयी है।

2.12 **प्रक्षेपित विक्रय एवं राजस्व – कृषि (मीटरित तथा फ्लेट रेट)**

2.12.1 **हितधारकों की आपत्तियां/टीका– टिप्पणी :**

श्री शान्ति प्रसाद, श्री जी. एल. शर्मा, श्री नरेन्द्र अग्रवाल, श्री गंगाधर सोलंकी, श्री पी. एन. भण्डारी, श्री भावनेश चन्द्र माथुर, श्री पी. सी. जैन, श्री सुभाष शर्मा, मै. रूद्राक्ष एनर्जी, मै. राजस्थान विद्युत विकास संस्थान, मै. संगम इण्डिया लि., मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इण्डस्ट्री, मै. ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा उपरोक्त मुद्दे पर उठाये गये मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:

(1) डिस्कॉमों द्वारा दायर की गई याचिका (ओं) में कृषि मीटरित तथा फ्लेट रेट उपभोक्ताओं को ऊर्जा विक्रय के प्रक्षेपित आंकड़ों तथा विव 11–12 के लिए दिनांक 15.4.2010 के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में इंगित आंकड़ों में भारी भिन्नता प्रेक्षित की गई है। उन्होनें आगे और बताया

कि डिस्कॉमों ने पिछले वित्तीय वर्षों में वास्तविक विक्रय पर आधारित विव 10–11 व विव 11–12 के लिए सभी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विक्रय के प्रक्षेपण हेतु 5 वर्षीय संवासंद (CAGR) कार्य प्रणाली को अपनाया है। आपत्तिकर्ताओं ने डिस्कॉमों से कृषि विक्रय की संगणना के लिए बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में अनुमोदित कार्यप्रणाली से विचलन के कारण बताने का आग्रह किया।

(2) यह बताया गया था कि डिस्कॉमों ने फ्लेट रेट के मामलें में विशिष्ट उपभोग की उच्चतर दर अपनाने के लिए सन्तोषप्रद कारण उपलब्ध नही करवाये, यहाँ तक कि आयोग ने बहुवर्षीय टैरिफ आदेशमें विशिष्ट उपभोग 1945 किवाध/कि.वा./वर्ष से अधिक अनुमोदित नहीं किया था, जो आयोग की अवमानना की संज्ञा मे आता है। यह भी बताया गया था कि डिस्कॉमों ने फ्लेट रेट उपभोक्ताओं को विक्रय के बढ़े हुये आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, जिसके कारण प. एवं. सं. लागत तथा विद्युत क्रय लागत बढ़ जाती है।

(3) एक आपत्तिकर्ता ने उल्लेख किया कि कृषि श्रेणी को विक्रय के प्रक्षेपण हेतु नए तथा रूपान्तरित उपभोक्ताओं की संख्या पर विचार नहीं किया गया है। यह बताया गया कि डिस्कॉमों द्वारा प्रक्षेपित भार एवं उपभोग पूरे वर्ष के लिए दैनिक आपूर्ति के 8 धण्टे से अधिक बनता है, जो स्पष्टतया अत्यधिक है। कुछ अन्य आपत्तिकर्ताओं ने बताया कि कृषि क्षेत्र को वास्तविक आपूर्ति 4–5 घण्टे के बीच है और यह होते हुये भी कृषि श्रेणी हेतु उच्चतर संवृद्धि प्रस्तावित है।

2.12.1 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

विगत वर्षों में ऊर्जा विक्रय को विव 2010–11 के विक्रय के प्राक्कलन तथा विव 2011–12 के प्रक्षेपण हेतु ध्यान में रखा गया है। आयोग ने फ्लेट रेट उपभोक्ताओं के लिए विशिष्ट उपभोग 1945 किवाध/किवा/वर्ष अनुमोदित किया है जबकि 2009–10 के दौरान अंकित उपभोग उच्चतर हैं। प्रति पम्प सैट औसत भार बढ़ गया है परन्तु उसे अभिलेखों में प्रतिबिम्बित नहीं किया जाता है क्योंकि उपभोक्ता स्वेच्छा से इसे प्रकट नहीं करते हैं। डिस्कॉमों ने कृषीय उपभोक्ताओं के भार की जाँच का एक अभियान शुरू किया है और यह प्रत्याशित है कि विव 2011–12 के अन्त तक कृषि उपभोक्ताओं का सही भार अभिलिखित किया जा सकेगा। कृषि श्रेणी का उपभोग मीटरित तथा फ्लेट रेट उपभोक्ताओं का कुल योग है और यदि अधिक उपभोक्ता फ्लेट रेट से मीटरित श्रेणी में रूपान्तरित हो जाते है तो भी कृषि का कुल उपभोग

का योग अपरिवर्तित रहेगा।

2.12.3 **आयोग का मत :**

आयोग ने डिस्कॉमों द्वारा कृषि विक्रय के सम्बन्ध में आंकड़ों के लिए गये प्रक्षेपण में असमानता तथा विसंगतियों को नोट किया है। आयोग ने इस आदेश में आगे विभिन्न मुद्दों, जो इस क्षेत्र को ऊर्जा विक्रय के बारे में उठाये गये है, को विस्तारपूर्वक व्यवहृत किया है। जैसा कि इस आदेश के समग्र राजस्व आवश्यकता को व्यवहृत करने वाले भाग 3 से देखा गया है, आयोग ने फ्लेट रेट उपभोक्ताओं के लिए विशिष्ट उपभोग, डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तावित काफी उच्चतर विशिष्ट उपभोग के मुकाबले बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में अपनाये गये के अनुरूप 1945 किवाध/किवा/वर्ष अनुमत किया है। यह इसलिए है कि डिस्कॉमों ने बहुवर्षीय टैरिफ जारी होने के बाद फ्लेट रेट उपभोक्ताओं के विशिष्ट उपभोग में वृद्धि को प्रमाणित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है। यह मुद्दा राज्य सलाहकारी समिति की बैठक के दौरान आया तब डिस्कॉमों ने उपभोग प्रतिरूप ज्ञात करने के लिए फ्लेट रेट उपभोक्ताओं का एक प्रतिनिधिक नमूना अध्ययन संचालित किये जाने की और उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सहमति व्यक्त की थी। चूंकि इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है, आयोग ने उपभोग प्रतिरूप के बारे में विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में 1945 किवाध/किवा/वर्ष के विशिष्ट उपभोग को बनाये रखा है। इसी प्रकार मीटरित श्रेणी के विशिष्ट उपभोग में संवृद्धि डिस्कॉमों द्वारा इंगित निम्नतर ली गई है।

2.13 परिचालन एवं संधारण लागत तथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज

2.13.1 हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणीः

श्री पी. एन. भण्डारी, श्री शान्ति प्रसाद, श्री जी. एल. शर्मा तथा श्री सुभाष शर्मा द्वारा इस मुद्दे पर उठाये गये बिन्दु संक्षेप में ये हैं कि डिस्कॉमों ने कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का परिकलन किये जाने में प. एवं. सं. व्ययों को पिछले सेवान्त लाभों सहित लिया है जब कि यह प्रासमिक प. एवं. सं. व्यय का भाग नहीं हैं। तद्नुसार, मांगे गये अधिक ब्याज को अस्वीकृत किया जाए।

2.13.2 याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :

याचिका तथा आरूप संख्या 3.2 में दर्शाये गये आंकड़े एक जैसे ही हैं, आरूप संख्या 3.2 में केवल सेवान्त लाभ की सूचना भी उपलब्ध करवायी गई है। कार्यशील पूंजी के परिकलन में

सेवान्त लाभों को सम्मिलित किया जाना टंककीय भूल है।

2.13.3 **आयोग का मत :**

आयोग ने प. एवं. सं. लागत एवं कार्यशील पूंजी पर ब्याज, जो प्रासमिक आधार पर अनुमत किये गये हैं, को व्यवहृत करते समय मुद्दे को सम्बोधित किया।

2.14 **उच्च सेवान्त लाभ**

2.14.1 **हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी**

श्री शान्ति प्रसाद, श्री पी. सी. जैन, श्री जी. एल. शर्मा, श्री पी. एन. भण्डारी, मैं. रूद्राक्ष एनर्जी, मै. संगम इण्डिया लि., मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इण्डस्ट्री तथा मै. ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ने संक्षेप में नीचे दिये अनुसार बिन्दु उठाये –

याचिकाकर्ताओं ने उनकी याचिकाओं में सेवान्त लाभ मांगे है, जो उच्चतर लगते है। उन्होनें डिस्कॉमों से इस दायित्व को बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में दायर न किये जाने के कारण बताने तथा ऐसी राशि मांगे जाने का आधार बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ उपलब्ध करवाने के लिए कहा। याचिकाकर्ताओं ने डिस्कॉमों से यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा कि क्या यह राविप्रनि द्वारा अपनी याचिका संख्या राविविआ/210/10 में आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई के अलावा है? यह भी उल्लेख किया गया कि आयोग के विनियम 20.7.2000 के बाद के बीमांकिक दायित्व पर विचार किये जाने का प्रावधान नहीं करते हैं।

2.14.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

(1) डिस्कॉमों ने सेवान्त लाभ दायित्वों को सम्बन्धित डिस्कॉम की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रक्षेपित किया है। डिस्कॉमों ने प्रस्तुत किया कि बीमांकिक मूल्यांकन विव 2008–09 के लिए सम्पादित किया गया है तथा विव 2008–09 के लेखों को अन्तिम रूप अप्रेल, 10 के बाद दिया गया था और इसलिए इसे बहुवर्षीय टैरिफ याचिकायें, जो उससे बहुत पहले दायर की गई थी, दायर करते समय नहीं भेजा जा सका।

(2) डिस्कॉमों ने प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा मांगी गई सेवान्त लाभ देयतायें राविप्रनि द्वारा लिये जाने से रहित हैं और इस प्रकार की देयतायें विगत में डिस्कॉमों द्वारा नहीं मांगी गई है। इसलिए डिस्कॉमों के लिए इस लागत को सराआ में मांगा जाना परमावश्यक है।

2.14.3 **आयोग का मत :**

आयोग के मत का उल्लेख इस आदेश के सराआ भाग, जहां इस मुद्दे को विश्लेषित किया

गया है में किया गया है।

2.15 विद्युत क्रय

2.15.1 हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी :

श्री शान्ति प्रसाद, श्री जी. एल. शर्मा, श्री पी. सी. जैन, श्री भावनेश चन्द्र माथुर, श्री नरेन्द्र अग्रवाल, मै. रूद्राक्ष एनर्जी, मै. संगम इण्डिया लि., मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इण्डस्ट्री, मै. ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. तथा मै. समता पावर जन जागरण मंच व मुक्तिधाम विकास समिति ने संक्षेप में निम्नानुसार प्रेक्षित किया :

(1) द्विपक्षीय ट्रेडिंग के माध्यम से क्रय की गई ऊर्जा अनुमोदित मात्रा से कई गुना बढ़ गयी है और उसका क्रय अत्यधिक उच्च दरों पर किया गया था। यह उल्लेख किया गया था कि राविउनि के केन्द्रों (को.ता.वि.के. के इकाई । से VI, सूताविके इकाई । से V, सू.ता.वि.के. इकाई VI, रागैताप इकाई । तथा माही चरण । व II) से विद्युत उपलब्धता, जिस पर डिस्कॉमों ने विव 2011–12 के उनके विद्युत क्रय प्रक्षेपण में विचार किया था, राविउनि द्वारा विव 2010–11 की याचिका में दर्शायी गई विद्युत उपलबधता से अत्यधिक निम्नतर (कम) है।

(2) गैर– पारम्परिक स्त्रोतों से कुल क्रय वर्ष 2009–10 के लिए बहुत ही कम (2.7%) है और इसका 2010–11 के दौरान 8.5% की अक्षय क्रय बाध्यता के मुकाबले 3.8% ही रहना प्रत्याशित है।

2.15.1 याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर :

(1) निश्चित विद्युत की वास्तविक उपलब्धता निम्नतर थी जबकि विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों का विक्रय विव 2009–10 के लिए अनुमोदित विक्रय से उच्चतर था। इसलिए मांग–आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने के उद्देश्य से डिस्कॉमों को द्विपक्षीय व अन्य अल्पकालीन स्त्रोतों से विद्युत का क्रय करना पड़ा।

(2) डिस्कॉमों ने विभिन्न उत्पादन केन्द्रों (राविउनि के उत्पादन केन्द्रों सहित) से उपलब्धता का प्रक्षेपण पिछली प्रवृति तथा विभिन्न स्त्रोतों से अद्यतन उपलब्ध सूचना के आधार पर किया है। डिस्कॉमों ने बताया कि गैर– पारम्परिक स्त्रोतों से विद्युत की उपलब्धता, अक्षय क्रय बाध्यता लक्ष्य के मुकाबले कम थी, जिसके फलस्वरूप निम्नतर क्रय हुई।

2.15.2 आयोग का मत :

(1) आयोग ने डिस्कॉमों द्वारा विक्रय तथा विभिन्न स्त्रोतों से ऊर्जा उपलब्धता के सम्बन्ध में दिये

गये कारणों को नोट किया है। गैर– पारम्परिक स्त्रोतों के बारें में आयोग, डिस्कॉमों द्वारा निम्नतर उपलब्धता के फलस्वरूप अक्षय क्रय बाध्यता रोड मैप की तुलना में अक्षय ऊर्जा के निम्नतर हिस्से के सम्बन्ध में किये गये उल्लेख को, स्वीकार करता है। राविविआ (अक्षय ऊर्जा बाध्यता) विनियमों द्वारा एक संशोधन पहले ही जारी कर दिया गया है तथा 2011–12 के लिए अक्षय क्रय बाध्यता को 6.00% के रूप में संशोधित कर दिया गया है, जो पूर्व में निर्धारित किये गये लक्ष्य से निम्नतर तथा प्राप्त किये जाने योग्य है।

(2) 2011–12 के लिए, राविउनि केन्द्रों से उपलब्धता का प्रक्षेपण करते समय आयोग ने राविउनि द्वारा विव 11–12 की टैरिफ विनिर्धारण के लिए उनकी याचिका में विभिन्न संयन्त्रों से यथाप्रक्षेपित उपलब्धता को ध्यान में रखा है।

(3) आयोग ने हितधारकों द्वारा विद्युत क्रय की उच्च लागत, विशेषतः द्विपक्षीय स्त्रोतों से, के बारे में व्यक्त किये गये महत्व को ध्यान में रखा है। डिस्कॉमों को गैर– अनुसूचित विनिमय (UI) सहित उच्च लागत वाली अल्प कालीन विद्युत क्रयों को विवेकपूर्ण स्तर तक प्रतिबन्धित करना चाहिए ताकि इस प्रकार की क्रय का समग्र राजस्व आवश्यकता पर न्यूनतम संधात पड़े।

2.16 मै. राजवेस्ट पावर लि. से विद्युत क्रय

2.16.1 हितधारकों की आपतियां/टीका–टिप्पणी

मै. राजवेस्ट पावर ने निम्न बिन्दुओं को उठाया :

मै. राजवेस्ट पावर लि. से कुल विद्युत क्रय लागत पर सीमा बांधने के डिस्कॉमों के अनुरोध के प्रत्युत्तर में, यह बताया गया है कि आयोग द्वारा टैरिफ, इसके विनियमों के अन्तर्गत उचित प्रक्रिया अपनाते हुये याचिका सं. 184/09 के अन्तर्गत विनिर्धारित की गई है और याचिकाकर्ता, राज वेस्ट पावर लि. की याचिका के प्रतिवादी थे और इस प्रकार याचिकाकर्ता मुद्दे तभी उठा सकते हैं जबकि टैरिफ याचिका मै. राजवेस्ट द्वारा दायर की गई होती तथा अन्यथा नहीं। याचिकाकर्ताओं का इस मामले पर अनुरोध अनुज्ञेय नहीं है और आयोग द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए।

2.16.2 याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर :

मै. राजवेस्ट पावर लि. के नये संयन्त्रों के माध्यम से विद्युत के क्रय की लागत विव 11 एवं विव 12 के लिए 3.88 रू. प्रति इकाई ली गई है। मै. राज वेस्ट मूल रूप से लिग्नाइट आधारित इकाई है। तथापि, आयातित कोयला होने के कारण इससे विद्युत क्रय की लागत

बढ़ रही है और राज्य में राविउनि के नये उत्पादन केन्द्रों की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए आयोग से मै. राज वेस्ट से क्रय की गयी विद्युत की कुल लागत की सीमा बांधने के लिए निवेदन किया गया था, ताकि यह डिस्कॉमों के लिए वहनीय हो सके।

2.16.3 **आयोग का मत :**

आयोग, टैरिफ विनिर्धारण का कार्य विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत केवल डिस्कॉमों की किसी उत्पादन संयन्त्र से विद्युत क्रय की सहमति के पश्चात् ही हाथ में लेता है और वह आयोग द्वारा संरचित विनियमों पर आधारित है।

2.17 ब्याज एवं वित्त प्रभार

2.17.1 हितधारकों की आपत्तियां/टीका– टिप्पणी :–

श्री शान्ति प्रसाद, श्री जी. एल. शर्मा, श्री पी. एन. मण्डोला, श्री पी. एन. भण्डारी, मै. संगम इण्डिया लि., मेवाड चैम्बर ऑफ कामर्स ऑफ इण्डस्ट्री, मै. ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., मै. रूद्राक्ष एनर्जी, मै. श्री सीमेन्ट लि. ने इस मुद्दे पर संक्षेप में निम्नलिखित बिन्दु उठाये –

(1) डिस्कॉमों ने बहुवर्षीय टैरिफ आदेश की तुलना में ब्याज व वित्त प्रभार उच्चतर प्रक्षेपित किये है। उन्हें यह स्पष्ट करना है कि क्या ब्याज तथा ह्रास के प्रयोजनार्थ शुद्ध लागत के परिकलन में से उपभोक्ता अंशदान को कम कर दिया गया है। डिस्कॉमों द्वारा प्रक्षेपित अत्यधिक उच्च ब्याज तथा वित्त प्रभार से यह लगता है कि उधार ली गयी राशि का प्रमुख हिस्सा गैर– पूंजीगत ऋणों के लिए है और ऐसे ऋणों को अनुमत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये राविविआ टैरिफ विनियम, 2009 के अन्तर्गत अनुज्ञेय नहीं हैं।

(2) यह उल्लेख किया गया था कि कर्ज साम्या अनुपात टैरिफ विनियम, 2009 में उपबन्धित प्रतिमान 70:30 के अनुसार नही हैं। टैरिफ विनियम 2009 पर आधारित 1.4.2009 को सकल प्रासमिक ऋण की राशि जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर डिस्कॉम के लिए क्रमशः 1644 करोड़, 1279 करोड़ तथा 1483 करोड़ रूपये थी और उसी राशि को ब्याज अनुमत करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(3) यह उल्लेख किया गया कि अतिरिक्त विद्युत क्रय के लिए लिए गये अल्पकालीन ऋण पर ब्याज स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे ऋण परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं करते है।

2.17.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

(1) ब्याज तथा वित्त प्रभार में उच्च वृद्धि मुख्यतया विद्युत क्रय, ब्याज, कर्मचारी लागत आदि सहित विभिन्न लागत प्राचलों में वृद्धि के कारण वास्तविक राजस्व अन्तर, जो अनुमोदित से उच्चतर है, के कारण है। इसके फलस्वरूप अनुमोदित की तुलना में उच्चतर राजस्व धाटा हो रहा है तथा डिस्कॉमों को इसका निधियन उधार के माध्यम से करना पड़ता है। विव 10–11 के लिए प्राक्कलित ब्याज तथा वित्त प्रभार, विभिन्न लागतों में सतत् वृद्धि तथा उपभोग में वृद्धि होने के कारण विव 09–10 की तुलना अत्यधिक उच्चतर होना प्रत्याशित है। ऋणों का उपयोग डिस्कॉमों की आधारभूत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन, कार्यशील पूंजी तथा राजस्व धाटे को पूरा करने के लिए किया गया है।

(2) डिस्कॉमों का राजस्व अन्तर पिछले वर्षों में विगत छः से अधिक वर्षों से टैरिफ में संशोधन न किये जाने के कारण बढ़ गया है। इसलिए अपूरित अन्तर के लिए गये ऋण पर ब्याज, समग्र राजस्व आवश्यकता में मांगा गया है और अनुज्ञप्तिधारियों ने आयोग से उसे अनुमोदित किये जाने का निवेदन किया हैं।

(3) विनियम साम्या के अधिकतम स्तर की सीमा बांधता है, जो 30 प्रतिशत है। तथापि, साम्या अंश 30 प्रतिशत से कम भी हो सकता है। इसलिए प्रासमिक ऋण को केवल 70 प्रतिशत तक सीमित किये जाने के साथ ब्याज का परिकलन, आपत्तिकर्ताओं द्वारा यथापरिकलित, युक्तिसंगत नहीं हैं।

2.17.3 **आयोग का मत :**

हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं को, जैसा कि सराआ को अन्तिम रूप देते समय इस आदेश में आगे चर्चा की गयी है, सराआ में ब्याज व वित्त प्रभार अनुमत किये जाते समय ध्यान में रखा है। राजस्व धाटे, जो पिछले कई वर्षों से संचित हो रहा है, के प्रति लिये गये ऋण को, भारी राजस्व धाटे के मुकाबले, सीमित सीमा तक ही अनुमत किया गया है। पूंजी में साम्या के अंश के बारे में, आयोग ने, डिस्कॉमों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को संतोषजनक पाया है।

2.18 **प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज**

श्री शान्ति प्रसाद ने बताया कि जविविनिलि तथा अविविनिलि ने प्रतिभूति निपेक्ष पर ब्याज दिये जाने पर विचार किया है। वे यह स्पष्ट करें कि यह ब्याज किसे दिया गयाहै और ब्याज

की दर क्या है? याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि विद्युत आपूर्ति के निबन्धन व शर्तें, 2004 के उपाबन्ध 18 के अनुसार, उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप तथा मीटर प्रतिभूति पर ब्याज लेखा पुस्तकों में प्रदान किया गया है। आयोग ने पाया है कि डिस्कॉमों ने आवश्यक स्पष्टीकरण दे दिया है।

2.19 साम्या पर प्रतिफल

2.19.1 हितधारकों की आपत्तियां/टीका– टिप्पणी

श्री शान्ति प्रसाद तथा श्री सुबोध कुमार भटनागर ने संक्षेप में निम्नलिखित बिन्दु उठाये :–

आपत्तिकर्ताओं ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ताओं को विव 2011–12 के दौरान साम्या पूंजी, जिसे याचिका में नहीं दर्शाया गया था, की विस्तृतियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जायें। यह प्रेक्षित किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने विव 2011–12 के दौरान साम्या पर कोई प्रतिफल नहीं मांगा है। अतः आयोग को इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। समग्र राजस्व आवश्यकता तथा संशोधित टैरिफ में साम्या पर प्रतिफल की अनुपस्थिति वितरण कम्पनियों की वित्तीय व्यवहार्यता, संधारणीयता तथा संवृद्धि को प्रभावित करेगी।

2.19.2 याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर

साम्या पूंजी की विस्तृतियां आरूपों (आरूप सं. 3.8) के अन्तर्गत उपलब्ध करवा दी गई हैं और सम्बन्धित उत्तरों के साथ संलग्न है। अनुज्ञप्तिधारियों ने बताया कि पूरे राजस्व अन्तर की संशोधित टैरिफ से वसूली के अभाव में साम्या पर प्रतिफल का दावा अनावश्यक रूप से राजस्व अन्तर को बढ़ायेगा।

2.19.3 आयोग का मत :

आयोग सहमत है कि टैरिफ संशोधन हो जाने के बावजूद भी राजस्व अन्तर पर विचार किया जाकर साम्या पर प्रतिफल का समावेश इसे बढ़ायेगा। अन्यथा होते हुये भी आयोग, यदि स्वयं अनुज्ञप्तिधारी साम्या पर प्रतिफल का दावा नहीं कर रहा है तो, उपभोक्ताओं पर भार डालना नहीं चाहेगा।

2.20 राजस्व अन्तर/घाटा

2.20.1 हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी :

श्री सुबोध कुमार भटनागर तथा श्री जी. एल. शर्मा ने संक्षेप में, उक्त मुद्दे पर निम्नानुसार

प्रेक्षित किया :

याचिकाकर्ताओं ने यह इंगित नहीं किया है कि वे उनकी याचिकाओं में दर्शाये गये अपूरित राजस्व धाटे (31.3.2009 को 15540 करोड़ रूपये) को कैसे पूरा करेंगे। आपत्तिकर्ताओं ने उल्लेख किया कि आयोग ने दिनांक 15.4.2010 के अपने सराआ आदेश के पैरा संख्या 9.1 पर डिस्कॉमों द्वारा दिये गये इस आश्वासन कि ''राज्य सरकार 31.3.2009 तक के उनके 15540 करोड़ रू. के धाटे, जो पिछले संचित धाटे से सम्बन्धित है, को वहन करेगी और इसे 23 वर्षों की अवधि में परिसामपन का निर्णय लिया'' पर विश्वास किया। इस प्रकार के अभिवचन के बावजूद भी याचिकाकर्ता अब प्रस्तावित कर रहे हैं कि संशोधित फुटकर आपूर्ति टैरिफ के कारण किसी भी अपूरित अन्तर पर, पश्चात्वर्ती टैरिफ याचिकाओं के ट्रयु–अप के समय विचार किया जायेगा। यह कुल मिलाकर आयोग तथा जनता को गुमराह करने तुल्य है।

2.20.2 **याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर :**

ट्रयू–अप या पश्चात्वर्ती टैरिफ याचिका के समय विचार किये जाने वाले अपूरित अन्तर के सन्दर्भ में, अनुज्ञप्तिधारी उल्लेख करते हैं कि जैसा कि विव 11–12 के लिए सराआ एवं टैरिफ याचिका में प्रस्तुत किया गया है, वे समग्र राजस्व आवश्यकता की वसूली के हकदार हैं।

2.20.3 **आयोग का मत :**

आयोग मानता है कि वृहत् राजस्व अन्तर डिस्कॉमों की उपभोक्ताओं को सेवा देने की क्षमता को प्रभावित करता है। तथापि, सम्पूर्ण अन्तर को एक संशोधन द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है, अन्यथा यह उपभोक्ताओं को टैरिफ प्रधात् का कारण बनेगा।

इस मुद्दे को इस आदेश के सराआ सम्बन्धी भाग 3 में बाद में व्यवहृत किया गया है। सरकार द्वारा धारित 15540 करोड़ रूपये के पिछले धाटे को, डिस्कॉमों द्वारा राजस्व अन्तर को पाटने के लिए ऋण पर ब्याज अनुमत करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है।

भाग –III टैरिफ सम्बन्धी

2.21 **सामान्य टीका– टिप्पणी :**

2.21.1 **हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी :**

श्री नरेश चन्द्र शर्मा, श्री जी. एल. शर्मा, श्री बी. एस. मील, श्री नरेन्द्र अग्रवाल, श्री पी. एन. भण्डारी, श्री सन्तोष कुमार मिश्रा, श्री मामराज सिंह, श्री सुभाष शर्मा, श्री पुरूषोत्तम दास

सिंघल, राजस्थान स्टील चैम्बर, श्री सुबोध कुमार भटनागर, श्री वाई. के. बोलिया, मै. डीसीएम श्री राम कन्सोलीडेटेड लि., मै. समता पावर, कन्जूमर लीगल हेल्प सोसायटी, जिला उपभोक्ता जागरण समिति, किशनगढ़ मार्बल एसोशिएसन तथा विकास समिति व अन्य द्वारा उठाये गये मुख्य बिन्दु संक्षेप में निम्नानुसार हैं :–

(1) अधिकांश आपत्तिकर्ताओं ने टैरिफ प्रधात को टालने का निवेदन किया। यह उल्लेख किया गया था कि जब फीडर नवीनीकरण कार्यक्रम के फलस्वरूप हानियों में कमी हो गयी है, तो टैरिफ बढ़ाने की कोई आवश्कता नहीं है। राज्य के लिए टैरिफ प्रस्ताव अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं।

(2) सभी डिस्कॉमों में कृषि क्षेत्र को विक्रय का अनुपात बढ़ गया है और पूरे राजस्थान के लिए औद्योगिक क्षेत्र में धट रहा है। विगत 8 वर्षों में, कृषि सेवा श्रेणी विक्रय 29.8% से बढ़कर 39. 4 % हो गया है और औद्योगिक सेवा श्रेणी में 32.1% से घटकर 26.4% हो गया है। इस प्रकार जबकि प्रति सहायिकी आवश्यकता बढ़ गई है और जिस श्रेणी से सहायिकी दी जा सकती थी वह सिकुड़ गई है। उद्योग के लिए प्रस्तावित लगभग 33% की वृद्धि, उद्योगों का अन्य राज्यों या खुले अभिगमन को प्रवसन के कारण, स्थिति को और बदतर बना देगी।

(3) सभी श्रेणियों के स्थाई प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि डिस्कॉमों की अधिकांश परिसम्पत्तियों ह्रासित हो चुकी हैं और सेवा/मीटर संधारण व्यय, वृद्धि की प्रस्तावित सीमा तक नहीं बढ़े हैं। स्थाई प्रभारों में वृद्धि का ऊर्जा संरक्षण उपायों पर नकारात्मक संधात होगा।

2.21.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

(1) राजस्थान राज्य में फुटकर टैरिफ पिछले छः वर्ष से अधिक समय से संशोधित नहीं की गई है। तथापि, विभिन्न लागत प्राचल यथा विद्युत क्रय लागत, कर्मचारी लागत तथा ह्रास आदि पिछले वर्षों में यथेष्ट रूप से बढ़ गये हैं। टैरिफ का संशोधन न किये जाने के फलस्वरूप लागत की कम वसूली हुई है। यदि विव 11–12 के लिए टैरिफ का संशोधन नहीं किया जाता है तो उसी स्थिति का बना रहना प्रत्याशित है और यूटिलीटियों की वित्तीय स्थिति में आगे और अवनति होगी। इसलिए ऐसी स्थिति को टालने की दृष्टि से डिस्कॉमों ने सभी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए टैरिफ में संशोधन प्रस्तावित किया है।

(2) टैरिफ का अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर होने के बारे में, याचिकाकर्ताओं का कथन है कि

प्रत्येक राज्य के लिए विद्युत की औसत लागत विद्युत के स्त्रोतों, विद्युत उत्पादन हेतु कच्चे माल की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। राज्य, जिनके पास कोयला खानें, जल–सम्भाव्य आदि हैं, उनकी विद्युत क्रय लागत कम होती है। राजस्थान के पास कोयला खानें नहीं हैं और जल विद्युत उपलब्धता बहुत सीमित है, इसलिए विद्युत की भारी मात्रा बाहर से क्रय करनी पड़ती है। राज्य में उत्पादन की लागत भी कोयले के लम्बी दूरी से परिवहन के कारण उच्च है। इसलिए राजस्थान राज्य की टैरिफ अन्य राज्यों से तुलनीय नहीं है।

(3) चालू टैरिफ, विव 11–12 के लिए यथाप्रक्षेपित आपूर्ति की औसत लागत के आधार पर प्रस्तावित की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि औद्योगिक उपभोग के अंश में कमी आयी है, लेकिन विव 02–03 से विव 09–10 के दौरान औद्योगिक विक्रयों में वृद्धि हुयी है। अंश में कमी मुख्यतः घरेलू, अ–घरेलू, कृषि तथा अन्य श्रेणियों में उच्चतर वृद्धि के कारण है।

(4) याचिकाकर्ताओं ने बताया कि यद्यपि परिसम्पतियों का अवमूल्यन हो रहा है फिर भी डिस्कॉम वर्तमान वितरण तन्त्र के सुदृढ़ीकरण व संवर्द्धन के लिए भारी राशि व्यय करती रही है, जो स्थाई सम्पतियों में परिवर्धन की अग्रग है और जिसे सराआ में प्रभारित करना आवश्यक है।

2.21.3 **आयोग का मत :**

आयोग डिस्कॉमों की भयावह वित्तीय स्थिति के लिए बहुत चिन्तित है। आपूर्ति की लागत तथा राजस्व प्राप्ति के बीच अन्तर पिछले वर्षों में तीव्रता से बढ़ा है और इसका युग्म इस तथ्य से होता है कि डिस्कॉमों द्वारा कोई टैरिफ संशोधन पिछले छः वर्ष से नहीं मांगा गया था, जिसके फलस्वरूप डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति अत्यन्त दुर्बल हो गयी है। इस प्रकार की स्थिति डिस्कॉमों की उपभोक्ताओं को सेवा देने और उनके परिचालन को बनाये रखने की क्षमता के सम्बन्ध में गम्भीर अर्थापत्ति की हो गयी है। इसलिए टैरिफ संशोधन अपरिहार्य है। तथापि, इसके साथ ही आयोग, जैसा कि कुछ हितधारकों द्वारा सुझाया गया है, उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी को टैरिफ प्रधात देना नहीं चाहेगा।

2.22 राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति– आपूर्ति की औसत लागत

2.22.1 हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी :

श्री शान्ति प्रसाद, श्री पी. एन. भण्डारी, श्री नरेन्द्र अग्रवाल, श्री सुबोध कुमार भटनागर, श्री जी. एल. शर्मा तथा श्री भावनेश चन्द्र माथुर, श्री सन्तोष कुमार मिश्रा, मै. संगम इण्डिया लि., मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इण्डस्ट्रीज, मै. ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., मै. रूद्राक्ष एनर्जी लि., मै. समता

पावर, मै. डीसीएम श्री राम कन्सोलिडेटेड लि., मै. श्री सीमेन्ट लि., मै. राजस्थान विद्युत विकास संस्थान, राजस्थान चैम्बर एण्ड कॉमर्स ऑफ इण्डस्ट्री, राजस्थान स्टील चैम्बर, जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोशियसन व अन्य द्वारा उठाये गये मुख्य बिन्दु संक्षेप में निम्नानुसार हैं :–

(1) संशोधित टैरिफ संरचना प्रस्तावित करते समय, डिस्कॉमों ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा, 61, विनियम 126 (2) एवं राष्ट्रीय टैरिफ नीति (धारा 8.3.2) की अनुपालना नहीं की है। प्रस्तावित टैरिफ अनुसूची में प्रति –सहायिकियां बढ़ा दी गयी हैं जो उद्योगों पर और भार डालेगी। डिस्कॉमों को राष्ट्रीय टैरिफ नीति के प्रावधानों की अनुपालना न किये जाने के कारण बताने होंगे। यह उल्लेख किया गया था कि टैरिफ नीति के अनुसार प्रति –सहायिकी को. 20% की सीमा के अन्दर– अन्दर रखा जाये।

(2) विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों में, आपूर्ति की लागत, के मुकाबले उनके प्रति –इकाई प्राप्ति के सन्दर्भ में एक विलक्षण बेमेल होगा, उदाहरणार्थ घरेलू श्रेणी से आपूर्ति लागत का प्रति इकाई प्राप्ति 90%, कृषि 41%, अघरेलू 131% तथा एचटी 99% था। आगे और यह कहा गया था कि विद्युत आपूर्ति की लागत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा समान रूप से वहन की जानी चाहिए, न कि केवल उद्योगों तथा अधरेलू द्वारा।

(3) विद्यमान टैरिफ संरचना में भारी प्रति सहायिकियां प्रचलित हैं, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र अन्य उपभोक्ता श्रेणियों को सहायिकी दे रहा है। उदाहरण के लिए बृहत् उद्योग तथा कृषि मीटरित के बीच प्रति इकाई विद्युत प्रभार के अन्तर की वर्तमान प्रतिशतता 265% (1.10 रू. कृषि मीटरित के लिए तथा 4.01 रू. वृहत् उद्योगों के लिए) है, जबकि प्रस्तावित टैरिफ संरचान के अन्तर्गत यह 327% तक बढ़ा है। यह दर्शाता है कि प्रतिसहायिकी का स्तर प्रस्तावित टैरिफ संरचना के अन्तर्गत बढ़ेगा। आपत्तिकर्ताओं ने आगे और बताया कि उद्योगों के लिए उच्च टैरिफ, वितरण कम्पनियों से विद्युत के क्रय को निरूत्साहित करने का कारक हो सकता है। इसलिए अन्य उपभोक्ता श्रेणियों में उपभोग संवृद्धि की तुलना में औद्योगिक उपभोग की प्रतिकूल प्रवृत्ति के सन्दर्भ में देखे जाने की जरूरत है।

2.22.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

डिस्कॉमों ने बताया कि इन्होने इन टैरिफ याचिकाओं में एक यह प्रयास किया है कि टैरिफ आपूर्ति की लागत को उत्तरोत्तर दर्शाये और आपूर्ति की औसत लागत के $\pm$ 20% के अन्दर– अन्दर रहे। तथापि, इसे ध्यान में रखते हुये कि टैरिफ में संशोधन छः वर्ष से अधिक अवधि के

बाद किया जा रहा है और यह तथ्य होते हुये कि यूटिलीटियों का राजस्व धाटा विगत 4–5 वर्षों से काफी बढ़ गया है उल्लिखित दिशा– निर्देशों तथा विनियमों की पूर्ण अनुपालना एक एकल वर्ष में किया जाना कठिन होगा। इसलिए डिस्कॉमें इसे कुछ समयावधि के अन्तराल से पश्चात्वर्ती टैरिफ याचिकाओं में करने की भावना रखती है।

2.22.3 **आयोग का मत :**

आयोग ने हितधारकों के विचारों को विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए टैरिफ व्यवहृत करते समय ध्यान में रखा है, जैसा कि इस आदेश के भाग–4 में परिचर्चित है।

2.23 **शहरी उपकर**

श्री रतन लाल वर्मा व श्री गंगाधर सोलंकी तथा श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि राज्य सरकार ने पथ –प्रकाश प्रभार तथा विभिन्न अन्य शुल्क व उपकर विद्युत विपत्रों में अधिरोपित कर दिये हैं, जो अनुचित है। इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। आयोग इस मत का है कि उपकर सरकार द्वारा विद्युत (शुल्क) अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्रहित किया जाता है और आयोग द्वारा विनिर्धारित टैरिफ का हिस्सा नहीं है।

2.24 **घरेलू श्रेणी**

2.24.1 **हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी**

श्री शान्ति प्रसाद, श्री गंगाधर सोलंकी, श्री पी. सी. जैन, श्री मामराज सिंह, श्री सन्तोष कुमार मिश्रा, श्री रतन लाल वर्मा, श्री नरेन्द्र अग्रवाल, श्री जी. एल. शर्मा, श्री बी. एस. मील, श्री पुरूषोत्तमदास सिंघल, मै. रूद्राक्ष एनर्जी, श्री वाई. के. बोलिया, मै. समता पावर, कन्ज्यूमर लीगल हैल्प सोसायटी तथा आरसीसीआई द्वारा उठाये गये मुख्य बिन्दु संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

(1) यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित टैरिफ संरचना घरेलू श्रेणी को विद्यमान 2 स्लेबों के स्थान पर 4 स्लेबों में विभक्त करती है। यह अनुरोध किया गया था कि घरेलू श्रेणी में 2 स्लेबों को ही, इस आशोधन के साथ कि पहला स्लेब विद्यमान 0–50 इकाइयों के स्थान पर 0–100 इकाइयों का हो सकता है, बनाये रखा जाए। यह अनुरोध भी किया गया था कि घरेलू श्रेणी में 0–50 इकाइयों के स्लेब के लिए टैरिफ अपरिवर्तित रहनी चाहिए तथा अ–घरेलू श्रेणी के लिए टैरिफ बढ़ा दी जाना चाहिए।

(2) यह उल्लेख किया गया था कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ नहीं बढाई जाये क्योंकि वे

औधोगिक उपभोक्ताओं की तरह लाभ अर्जित नहीं कर रहे है। कुछ आपत्तिकर्ताओं ने यह उल्लेख भी किया कि 300 इकाइयां प्रतिमाह का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं की टैरिफ कम की जाए।

(3) आपत्तिकर्ताओं द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि टैरिफ को, टैरिफ विनियम, 2009 के विनियम 126 की तर्ज पर, इस प्रकार रखा जाए कि प्रस्तावित टैरिफ गरीबी रेखा से नीचे वाले तथा छोटे धरेलू उपभोक्तओं के लिए आपूर्ति की लागत मे कम से कम 50 प्रतिशत हो तथा अन्य श्रेणियों के लिए यह $\pm$ 20% की रेंज में होनी चाहिए।

(4) यह उल्लेख किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र के धरेलू उपभोक्ताओं के लिए छूट को इस कारण से समाप्त किया जाना प्रस्तावित है कि उन्हें चौबीसों धण्टे आपूर्ति मिल रही है, परन्तु इस प्रकार के उपभोक्ताओं को चौबीसों धाटे आपूर्ति नहीं मिल रही है, इसलिए छूट को समाप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(5) कुछ आपत्तिकर्ताओं ने अनुरोध किया कि यद्यपि धरेलू टैरिफ को तर्कहीन रूप से बढ़ाया जाता है और कृषि, जिसका सरकार द्वारा सहायिकी के रूप में निधियन किया जा रहा है, में नाममात्र की वृद्धि प्रस्तावित है। हानियों में कृषि की प्रमुख भागीदारी है, जबकि धरेलू क्षेत्र की बहुत ही कम। इसलिए धरेलू श्रेणी के लिए केवल युक्तिसंगत वृद्धि ही अनुमत की जानी चाहिए।

(6) सामान्य घरेलू सेवा तथा लधु घरेलू सेवा का उप– श्रेणीकरण स्पष्ट नहीं है। धरेलू श्रेणी के लिए सामान्य (कॉमन) टैरिफ होनी चाहिए तथा सरकार कतिपय उपभोक्ताओं, जिन्हें सहायिकी देनी है, को अन्तर की राशि प्रदान कर सकती है। 50 इकाइयों/माह से अधिक उपभोग करने वाले धरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि 3.50 रू. से 4.10–4.50 रू. प्रति इकाई है। यह निम्नतर तथा मध्यम श्रेणी में आ रहे उपभोक्ताओं के छोटे कुटुम्बों पर भार डालेगा।

2.24.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

(1) स्लेबों की संख्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये बढ़ाई गई है कि इसमें कम उपभोग वाले उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार न पड़े। इसके साथ ही यह अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को उपयुक्त रूप से प्रभारित किये जाने का प्रावधान भी करती है। यह राज्य में वर्तमान में ऊर्जा की कमी के परिदृश्य में विद्युत के उचित उपभोग को प्रोत्साहित करने में भी

सहायक होगी।

(2) घरेलू श्रेणी के लिए टैरिफ में वृद्धि, इस श्रेणी की आपूर्ति की औसत लागत तथा राजस्व प्राप्ति को ध्यान में रखते हुये की गयी है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में 10 प्रतिशत की वर्तमान छूट को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव इसविचार पर आधारित है कि अब अधिकांश फीडर चौबीसों धण्टे आपूर्ति प्राप्त करते हैं।

(4) सामान्य धरेलू तथा छोटे धरेलू के बीच अन्तर छोटे धरेलू उपभोक्ताओं, जो स्थिर आधार पर 0 से 50 के बीच इकाइयों का उपभोग करेंगे, पर आधारित है तथा अन्य नियमित उपभोक्ताओं का उपभोग माह दर माह भिन्न हो सकता है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सहायिकी कृषि उपभोक्ताओं, गरीबी रेखा के नीचे के उपभोक्ता तथा 50 इकाइयां प्रतिमाह तक के उपभोग करने वाले छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत, उपलब्ध करवाई जाती है।

2.24.3 **आयोग का मत :**

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, आपूर्ति की औसत लागत में वृद्धि के कारण टैरिफ में वृद्वि आवश्यक हो गयी है। टैरिफ का विनिर्धारण करते समय हितधारकों के विचारों को जैसा कि इस आदेश के भाग– 4 में चर्चा की गई है, उपयुक्त रूप से ध्यान में रखा गया है। धरेलू टैरिफ का ढांचा, हितधारकों की टीका–टिप्पणियों, को ध्यान में रखते हुये पुनर्संरचित किया गया है।

2.25 सौर उत्पादन की प्रोन्नति तथा सौर जल तापन तन्त्र पर छूट

2.25.1 **हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी :**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि., श्री पी. एस. शेखावत, श्री पी.एन. भण्डारी, श्री सुबोध कुमार भटनागर, श्री जी. एल. शर्मा, राजस्थान विद्युत विकास संस्थान, जनजागरण मंच, मुक्तिधाम विकास समिति तथा अन्य द्वारा उठाये गये बिन्दु संक्षेप में निम्नानुसार हैं –

(1) विभिन्न हितधारकों ने धरेलू उपभोक्ताओं के लिए सौर जल तापन तन्त्र की अधिष्ठापन के प्रति सहायिकी को बढ़ाकर 300 रू. प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के साथ 25 पैसे/इकाई किये जाने का सुझाव दिया। यह उल्लेख भी किया गया था कि 300 रू. प्रतिमाह की छूट को 1000/– रू. की सीमा तक बढ़ाकर सौर उत्पादन को प्रोन्नत किया जा सकता है।

(2) डिस्कॉम, आयोग द्वारा निर्धारित की गयी अक्षय क्रय बाध्यता के अनुसार सौर ऊर्जा क्रय करने

के लिए बाध्य हैं। सौर जल तापन तन्त्र के उपयोग पर प्रोत्साहन के फलस्वरूप, सौर स्त्रोत उत्पादन में वृद्धि किसी भी रूप में आयोग द्वारा निर्धारित की गयी ऊर्जा क्रय बाध्यता से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.52.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया कि मूल याचिका में प्रस्तावित छूट 5 पैसे/इकाई थी, लेकिन उन्होनें अब एक अनुपूरक याचिका दायर कर दी है, जिसमें अधिकांश घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा उनके द्वारा उनके घरों पर सौर जल तापन तन्त्र के उपयोग को प्रोत्साहित किये जाने और ऐसे उपभोक्ताओं को सौर जल तापन तन्त्र अधिष्ठापित किये जाने में होने वाले पूंजीगत निवेश की क्षतिपूर्ति की दृष्टि से 5 पैसे/इकाई की छूट को बढ़ाकर 300 रू./माह की अधिकतम सीमा तथा 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के अध्यधीन 25 पैसे/इकाई किया जाना प्रस्तावित किया है।

2.25.3 **आयोग का मत**

क्योंकि ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत के उपयोग की महती आवश्यकता है, आयोग डिस्कॉमों द्वारा छूट को बढ़ाये जाने के बारे में सहमत है। हितधारकों द्वारा सौर जल तापन तन्त्र के उपयोग पर प्रोत्साहन को अक्षय क्रय बाध्यता से जोड़ने के सुझाव के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के तन्त्र का उपयोग, उपभोग में कमी का सहायक होगा और इस प्रकार अक्षय क्रय बाध्यता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

2.26 आवासीय घरों में वाणिज्यिक गतिविधि

2.26.1 **स्टेकधारियों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी :**

कन्ज्यूमर लीगल हेल्प सोसायटी तथा अन्य ने कहा कि छोटे घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा उनकी परिसर में की जा रही अधरेलू गतिविधि पर डिस्कॉम अधरेलू टैरिफ प्रयुक्त कर रही है, जबकि ऐसे उपभोक्ताओं को राविविआ के आदेशानुसार धरेलू टैरिफ के अन्तर्गत ही प्रभारित किया जाना चाहिए।

2.26.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

डिस्कॉम छोटे घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा उनकी परिसर में स्वनियोजित या परिवार के सदस्यों की वाणिज्यिक गतिविधि पर अघरेलू टैरिफ उद्ग्रहित नहीं कर रही हैं। डिस्कॉमों ने इस विषय पर परिपत्र सं. जेपीआर 544 दिनांक 4.10.2001 भी जारी किया है।

2.26.3 **आयोग का मत :**

इस प्रकार के उपयोग के लिए विद्यमान टैरिफ में पहले से ही प्रावधान है। आयोग मानता है कि वह पर्याप्त है। तथापि, डिस्कॉमों को देखना चाहिए कि किसी भी कारण से उपभोक्ताओं को तंग नहीं किया जा रहा है तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को टैरिफ के प्रावधानों की अनुपालना करनी चाहिए।

2.27 अघरेलू श्रेणी

2.27.1 **हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी :**

श्री शान्ति प्रसाद, श्री नरेन्द्र अग्रवाल, श्री पी. एन. मण्डोला, श्री भावनेश चन्द्र माथुर, श्री सुभाष शर्मा, श्री वाई. के. बोलिया, तथा अजमेर जिला विद्युत मजदूर कांग्रेस व अन्य द्वारा उठाये गये मुख्य बिन्दु संक्षेप में निम्नानुसार हैं :–

(1) यह बताया गया था कि विद्युत क्रय लागत की तुलना में अघरेलू सेवा टैरिफ पहले से ही उच्चतर है, इसलिए इसें नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। दिनांक 15.4.2010 के बहुवर्षीय टैरिफ आदेशानुसार राजस्थान डिस्कॉमों की औसत आपूर्ति लागत 4.85 रू./किवाध बनती है। टैरिफ नीति के अनुसार विव 2011 के लिए टैरिफ की रेंज 3.88 रू. तथा 5.82 रू./किवाध के बीच होनी चाहिए। डिस्कॉमों द्वारा इस कार्यप्रणाली को नहीं अपनाया गया है और उन्होनें अघरेलू श्रेणी में विद्युत प्रभार 6.75 रू./किवाध प्रस्तावित किया है जो युक्तिसंगत नहीं है। अघरेलू आपूर्ति उपभोक्ताओं का भार घटक कम है और उनको विक्रय की दर, टैरिफ नीति के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट $\pm$ 20 प्रतिशत के सिद्धान्त को पार करती है। अतः इसे पुनरीक्षण की जरूरत है।

(2) कुछ आपत्तिकर्ताओं ने सुझाव दिया कि भारत संचार निगम लिमिटेड़ पर अघरेलू टैरिफ प्रयुक्त की जानी चाहिए।

2.27.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

(1) डिस्कॉमों द्वारा अघरेलू सेवा के लिए प्रस्तावित टैरिफ, आपूर्ति की लागत की 115 प्रतिशत है और पड़ौसी राज्यों की रेन्ज में है। टैरिफ एक लम्बे समय से संशोधित नहीं की गई है और डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु प्रस्तावित की गई है।

(2) राष्ट्रीय टैरिफ नीति में विनिर्दिष्ट लक्ष्य की वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्ति की जानी है।

निर्धारित किये गये लक्ष्य को एक टैरिफ संशोधन में प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं है और इसे यदि विव 05 के बाद नियमित आधार पर संशोधित किया जाता तो प्राप्ति हो सकती थी। तथापि, डिस्कॉम कुछ अवधि के अन्तराल में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगी।

(3) भारत संचार निगम लि. पर अघरेलू श्रेणी की टैरिफ की प्रयोज्यता के बारे में डिस्कॉमों ने याचिका में पहले ही प्रस्ताव दे दिये हैं।

2.27.3 **आयोग का मत :**

टैरिफ का विनिर्धारण करते समय, आयोग ने हितधारकों के विचारों पर पर्याप्त रूप से विचार किया है, जैसा कि इस आदेश के भाग 4 में आगे चल कर चर्चा की गई है तथा इस श्रेणी में टैरिफ को उचित रूप से आशोधित किया गया है।

2.28 औद्योगिक श्रेणी

2.28.1 **हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी :**

श्री शान्ति प्रसाद, श्री पी. एन. भण्डारी, श्री राजेन्द्र गोयल, श्री एस. एम. नाहर, श्री पी. एन. मण्डोला, अजमेर जिला विद्युत मजदूर कांग्रेस, मै. रूद्राक्ष एनर्जी, मै. श्री सीमेन्ट लि., मै. एसीसी लि., जोधपुर इन्डस्ट्रीज एसोशिएसन एवं मै. डीसीएम श्री राम कन्सोलिडेटेड लि., मै. उद्योग संध, राजस्थान स्टील चैम्बर तथा राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मै. संगम इण्डिया लि., मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इण्डस्ट्री तथा ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. एवं अन्य द्वारा उठाये गये मुख्य बिन्दु संक्षेप में नीचे दिये गये हैं :–

(1) सामान्य मत यह था कि अन्य श्रेणियों, विशेष रूप से कृषि श्रेणी, में निम्नतर टैरिफ के कारण उद्योग श्रेणी पर भार नहीं डाला जाना चाहिए तथा प्रति सहायिकी को कम किया जाना चाहिए। यह उल्लेख किया गया था कि वृहत् उद्योग श्रेणी के विद्युत प्रभारों में 4.01 रू. प्रति इकाई से 5.25 रू. प्रति इकाई तथा स्थाई प्रभारों में 90 रू. प्रति केवीए से 125 रू. प्रति केवीए का प्रस्तावित वृद्धि उच्चता की ओर है और उद्योगों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा तथा उन्हें रूग्न करेगा।

(2) यह उल्लेख किया गया था कि टैरिफ में वृद्धि उद्योगों, विशेषतः विद्युत सधन इस्पात उद्योग, के बन्द होने/स्थान परिवर्तन का कारक होगी या वे कैप्टिव उत्पादन या खुले अभिगमन को अपनायेंगे। यह भी उल्लेख किया गया था कि अन्य राज्यों में औद्योगिक टैरिफ बहुत कम है और आयोग फुटकर टैरिफ में वृद्धि/संशोधन करते समय अन्य राज्यों में विद्युत की प्रचलित

टैरिफ को ध्यान में रख सकता है।

(3) यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं के टैरिफ प्रस्ताव साम्यहीन हैं, क्योंकि आपूर्ति की लागत में वृद्धि उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को असंगत रूप से भारित की जा रही है। यह लगता है कि डिस्कॉमों के प्रस्ताव, टैरिफ नीति के सिद्धान्तों को अपनाने के स्थान पर पोपुलिस्ट नीति पर आधारित रहे हैं, जो प्रति– सहायिकी में उत्तरोत्तर कमी की कल्पना करते हैं। यह भी उल्लेख किया गया था कि राज्य में औद्योगिक टैरिफ लगभग 20 वर्ष की एक लम्बी अवधि के लिए घरेलू से कम रही है, जबकि विद्यमान टैरिफ पहले से ही उससे उच्चतर है और डिस्कॉमों के प्रस्ताव विद्यमान टैरिफ से ऊपर और अत्यधिक वृद्धि की कल्पना करते हैं।

(4) कुछ आपत्तिकर्ताओं ने मध्यम तथा लधु उद्योगों के लिए प्रस्तावित टैरिफ को टैरिफ प्रधात के अग्रणी होने के बारे में मुद्दे उठाये।

(5) एचटी मध्यम उद्योग श्रेणी के लिए प्रस्तावित टैरिफ, मध्यम औद्योगिक शक्ति एलटी मध्यम उद्योग की तुलना में उच्चतर है। यह कदाचार को बढ़ावा दे सकती है। यह सुझाव दिया गया था कि औद्योगिक श्रेणी में स्थाई प्रभारों के लिए दो स्लेब होने चाहिए अर्थात् एक 25 केवीए तक 50 रू./केवीए/माह की दर पर तथा 25 केवीए से अधिक 125 रू./केवीए/माह की दर पर।

(6) लधु औद्योगिक सेवा (5 किवा तक तथा 25 एचपी) में विभेदी टैरिफ व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि यह सम्बद्ध भार की जाँच किये जाने के बारे में कई विवादों/कदाचारों को उत्पन्न करेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये यह सुझाव दिया गया था कि औद्योगिक श्रेणी के अन्तर्गत केवल दो वर्गीकरण ही होने चाहिए अर्थात् औद्योगिक एलटी (सम्बद्ध भार 150 एचपी से कम और अधिकतम मांग 50 केवीए से कम) तथा औद्योगिक एचटी स्वीकृत सम्बद्ध भार 150 एचपी से अधिक और मांग 50 केवीए से अधिक।

(7) यह भी उल्लेख किया गया था कि 2 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार प्रभारित कर विद्युत कटौती (चरम) धण्टों के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति की एक योजना 2009 में लागू की गयी थी। डिस्कॉमों को यह इंगित करना चाहिए कि इस मद पर उनके द्वारा कितनी हानि वहन की गई है ?

(8) वृहद उद्योगों से विलम्ब से भुगतान का अधिभार 36% प्रतिवर्ष प्रभारित किया जा रहा है, जो

अत्यधिक है और इसे औचित्यपूर्ण किये जाने की आवश्यकता है।

2.28.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

(1) लघु औधोगिक उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से लघु औधोगिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं से कम रखी गयी है। इसी प्रकार, डिस्कॉमों ने एलटी मध्यम उद्योग के लिए एचटी मध्यम श्रेणी की तुलना में विद्युत तथा स्थाई प्रभार कम प्रस्तावित किये हैं।

(2) राजस्थान राज्य में फुटकर टैरिफ छः वर्ष से अधिक अवधि से संशोधित नहीं की गई है जबकि इस अवधि के दौरान आपूर्ति की लागत काफी बढ़ गई है। इसलिए यह परमावश्यक हो गया है कि वित्तीय स्थिति बनाये रखने तथा राज्य में उपभोक्ताओं को गुणवत्ता की व निर्बाध विद्युतापूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए डिस्कॉमों को पूरी लागत वसूल करनी चाहिए। टैरिफ में संशोधन न किये जाने का परिणाम लागत की कम वसूली किया जाना होगा। यदि विव 11–12 के लिए टैरिफ संशोधित नहीं की जाती है तो इसी स्थिति के बने रहने की प्रत्याशा है और डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति और बिगड़ सकती है। ऐसी स्थिति को टालने की दृष्टि से टैरिफ में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

(3) यह भी निवेदन किया है कि अन्य सभी राज्यों में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों की टैरिफ में संशोधन किया जा चुका है। यहां तक कि एक राज्य हिमाचल प्रदेश, जो जल उत्पादन विद्युत संयन्त्रों से सस्ती विद्युत का उपभोग कर रहा है, में भी औद्योगिक टैरिफ उर्ध्वमुखी संशोधित की जा चुकी है। डिस्कॉमों ने निवेदन किया कि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तावित टैरिफ मुख्य रूप से आपूर्ति की औसत लागत की वसूली के लिए है और किसी भी रूप में यह औद्योगिक उपभोक्ताओं पर अधिक भार नहीं डाल रही है।

(4) यह भी सूचित किया गया कि 2% अतिरिक्त राशि प्रभारित कर विद्युत कटौती (चरम) धण्टों के दौरान निर्बाध विद्युतापूर्ति किये जाने की योजना का प्रत्याहरण कर लिया गया है।

2.28.3 **आयोग का मत :**

(1) टैरिफ का विनिर्धारण करते समय आयोग ने हितधारकों के टैरिफ संरचना की तुलना में विद्यमान टैरिफ संरचना तथा अन्य श्रेणियों या उप– श्रेणियों के बारे में दिये गये सुझाव को ध्यान में रखा है। चूंकि आपूर्ति की लागत काफी बढ़ गयी है और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वृहद उद्योग की टैरिफ पिछले 10 वर्षों से संशोधित नहीं की गई है, उस श्रेणी में

उपयुक्त संशोधन अपरिहार्य है। तथापि, टैरिफ का विनिर्धारण करते समय आयोग ने हितधारकों तथा डिस्कॉमों के सुझावों पर उचित ध्यान दिया है।

(2) आयोग ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि निर्बाध विद्युत के लिए अतिरिक्त 2% प्रभारित किये जाने की योजना प्रत्याहरित जा चुकी है। तथापि, डिस्कॉमों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आयोग द्वारा यथानुमोदित टैरिफ ही प्रभारित करें और किसी भी दशा में टैरिफ संरचना को आयोग की अनुमति के बिना आशोधित नहीं करें।

(3) भुगतान में विलम्ब पर अधिभार के बारे में यह उल्लेखनीय होगा कि वर्तमान प्रावधानुसार यदि मासिक विपत्र का पूर्ण भुगतान विपत्र पर नियततिथि तक नहीं किया जाता है तो 0.1 प्रतिशत की दर से भुगतान में विलम्ब का अधिभार प्रयोज्य है। यह प्रावधान लम्बे समय से लागू है और आयोग इस मत का है कि किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

2.29 सार्वजनिक पथ प्रकाश

2.29.1 हितधारकों की आपत्तियों/टीका– टिप्पणी :

श्री पी. सी. जैन तथा श्री मामराज सिंह व अन्य ने निम्नानुसार उल्लेख किया :

(1) यह बताया गया था कि सार्वजनिक पथ प्रकाश के अन्तर्गत कई पाइॅन्ट मीटरित नहीं हैं।

(2) यह सूचित किया गया था कि पथ प्रकाश दिन में भी चालू रखा जाता है, जिससे विद्युत का अपव्यय होता है। पथ प्रकाश के लिए बहुत सारे अवैध कनेक्शन भी हैं।

2.29.2 आयोग का मत

यह जानकर आश्चर्य होता है कि इस श्रेणी में अभी भी बिना मीटर के पाइॅन्ट विद्यमान हैं। डिस्कॉमों को निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे सभी बिना मीटर वाले पाइॅन्टों को अभिज्ञात करें और उन पर मीटर लगायें। आयोग ने टाईम स्विच के प्रयोग पर प्रोत्साहन को जारी रखने की सहमति दी है ताकि विद्युत के अपव्यय को टाला जा सके। तथापि, डिस्कॉमों को मामला स्थानीय निकायों के साथ टाइमर व फोटो सेन्सिटव यन्त्र के प्रयोग हेतु व्यवहृत करना चाहिए।

2.30 कृषि

2.30.1 हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी :

श्री शान्ति प्रसाद, श्री पी. एन. भण्डारी, श्री जी. एल. शर्मा, श्री सुबोध कुमार भटनागर, श्री पी. सी. जैन, श्री बी. एस. मील, श्री रतन लाल वर्मा, श्री पुरूषोतम दास सिंघल, श्री नरेन्द्र

अग्रवाल, मै. रूद्राक्ष एनर्जी, मेवाड़ चैम्बर ऑफ कामर्स ऑफ इण्डस्ट्री तथा मै. संगम इण्डिया लि., अजमेर जिला विद्युत मजदूर कांग्रेस, कन्ज्यूमर लीगल हैल्प सोसायटी तथा यूएसएआईडी, द्वारा उठाये गये मुख्य बिन्दु निम्नलिखित उप–पैराओं में यथा परिचर्चित है। कुछ हितधारकों ने उच्चतर कृषि टैरिफ के लिए कहा जब कि अन्य ने कृषि टैरिफ में वृद्धि का नीचे परिचर्चानुसार विरोध किया :–

(1) डिस्कॉमों ने न्यूनतम प्रभारों को समाप्त किया जाना प्रस्तावित किया है क्योंकि कृषि सेवा उपभोक्ताओं से ऊर्जा आहरण का ध्यान किये बिना स्थाई प्रभारों का संग्रहण किया जाता है। मीटरित कृषि उपभोक्ता, जहाँ 20 रू. प्रति कनेक्शन स्थाई प्रभार मीटर किराये के लिए है, के मामलें में यह कथन सही नहीं है।

(2) यह भी कहा गया था कि डिस्कॉमों का अतिरिक्त राजस्व का दावा प्रामाणिक है, परन्तु अधिकांश भाग कृषि से वसूल किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी टैरिफ, आपूर्ति की औसत लागत के 14% से 23% के बीच की रेन्ज में है। यदि फ्लेट रेट उपभोक्ता हानियों को बढ़ा रहे हैं, तो उनकी टैरिफ भरपूर बढ़ा दी जानी चाहिए। सामान्य मीटरित कृषि सेवा के लिए 0.20 रू. प्रति किवाध की सहायिकी के साथ 1.10 रू. प्रति किवाध की विद्यमान टैरिफ का परिणाम 0.90 रू. प्रति किवाध शुद्ध टैरिफ है। इसे बढ़ाकर सहायिकी में वृद्धि करते हुये 1.23 रू. प्रति किवाध किया जा रहा है और शुद्ध टैरिफ वही 0.90 रू. प्रति किवाध रहती है। इसके मुकाबले, विद्यमान तथा प्रस्तावित टैरिफ के अनुसार वृहद औद्योगिक सेवा के लिए विद्युत प्रभार क्रमशः 4.01 रू. प्रति किवाध तथा 5.25 रू. प्रति किवाध (30.9% वृद्धि) है। स्थाई प्रभारों में वृद्धि 90 रू. प्रति केवीए प्रतिमाह से 125 रू. प्रति केवीए प्रतिमाह अर्थात् 38.9% वद्धि है। इन आंकड़ों की दृष्टि से, कृषि उपभोक्ताओं के लिए सहायिकी का आधार युक्तिसंगत नहीं है।

(3) बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ ऐसी होनी चाहिए कि बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाला राजस्व मीटरित कृषि उपभोक्ताओं की अपेक्षा उच्चतर हो। कृषि फ्लेट रेट को हतोत्साहित करने के लिए टैरिफ में कोई सहायिकी नहीं दी जानी चाहिए।

(4) कुछ हितधारकों ने कृषि के लिए टैरिफ वृद्धि के विरूद्ध कड़े विचार व्यक्त किये। यह तर्क दिया गया था कि कृषि टैरिफ में वृद्धि, खेती की लागत में वृद्धि के कारण किसानों के लिए दबाव का कारक होने के अलावा खाद्यानों की कीमतों में प्रतिकूल प्रभाव होगा । इस बात पर विशेष बल दिया गया था कि राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भूजल स्तर बहुत नीचे है, जिसके

कारण भूजल से सिंचाई किये जाने की लागत उच्च है। यह भी कहा गया था कि कृषि उपभोक्ताओं को मानसून के महीनों जुलाई से अगस्त में भी न्यूनतम तथा स्थाई प्रभारों का भुगतान करना पड़ता है जबकि भूजल का उपयोग करते हुये कोई सिंचाई नहीं होती है। यह सुझाव भी दिया गया था कि घरेलू की भाँति कृषि में भी भार पर आधारित कम से कम 5 स्लेब होने चाहिए।

(5) किसान विद्युतापूर्ति रात्रिकालीन तथा विषम धण्टों में प्राप्त करते हैं और आपूर्ति की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए कृषि के लिए टैरिफ कम की जानी चाहिए।

(6) हितधारकों ने ऊर्जा दक्ष पम्पों के उपयोग पर टैरिफ में प्रोत्साहन की वकालत की। तथापि, एक आपत्तिकर्ता ने उल्लेख किया कि स्टार रेटेड् पम्पों पर प्रोत्साहन साध्य नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिसंख्यक के लिए अभिलेख संधारित करना होगा जिसके फलस्वरूप डिस्कॉम को कार्य की क्षति होगी।

(7) यह सुझाव दिया गया था कि विद्युतीकृत कुओं के समीप स्थित घरों के विद्युतीकरण हेतु धरेलू कनेक्शन, कृषि फीडरों के माध्यम से दिये जाने चाहिए। यह विद्युत के अनाधिकृत उपयोग को भी रोकेगा।

2.30.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

(1) याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि वे मीटर किराये के लिए कोई प्रावधान नहीं कर रहे है तथा 20/– रू. प्रति कनेक्शन का मासिक प्रभार और कुछ न होकर केवल स्थाई प्रभार है।

(2) कृषि टैरिफ की औद्योगिक श्रेणी की तुलना किये जाने के बारे में यह निवेदन किया गया था कि औद्योगिक उपभोक्ताओं से विद्यमान औसत प्राप्ति, आपूर्ति की औसत लागत के प्रतिशतता के रूप में लगभग 70–75% है, फलस्वरूप उन्हें भी प्रति सहायिकी मिल रही है। इसलिए उन उपभोक्ताओं से आपूर्ति की औसत लागत वसूल किये जाने की दृष्टि से औद्योगिक श्रेणी के लिए टैरिफ में वृद्धि प्रस्तावित है और प्रस्तावित टैरिफ के आधार पर औद्योगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति की औसत लागत के प्रति औसत प्राप्ति लगभग 90% होगी। डिस्कॉमों ने यह निवेदन किया है कि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तावित फुटकर टैरिफ मुख्यतः आपूर्ति की औसत लागत की वसूली के लिए है और यह किसी भी रूप में कृषि उपभोक्ताओं को अधिभारित नहीं करती है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली प्रत्याशित अतिरिक्त सहायिकी को ध्यान में रखते हुये प्रस्तावित की गई

है।

(3) कृषि खेतों में धरेलू कनेक्शन दिये जाने के बारे में डिस्कॉमों के अध्यक्ष ने सूचित किया कि रागांग्राविियो के अन्तर्गत डिस्कॉमें 300 की जनसंख्या वाली ढ़ाणियों का विद्युतीकरण कर रही हैं, जो अधिकांश निर्दिष्ट प्रकरणों को आवृत करेगी।

2.30.3 **आयोग का मत :**

डिस्कॉमों ने उनकी याचिका में इस श्रेणी के लिए भी टैरिफ में वृद्धि प्रस्तावित की है। तथापि आपूर्ति की औसत लागत और इस श्रेणी से औसत प्राप्ति के बीच अन्तर इतना अधिक है कि इसे समय के अन्तराल से ही पाटा जा सकता है। आयोग ने इस श्रेणी के लिए टैरिफ का विनिर्धारण करते समय हितधारकों और डिस्कॉम दोनों के दृष्टिकोण को, ध्यान में रखा है और इस श्रेणी के लिए टैरिफ को व्यवहृत करते समय भाग 4 में चर्चा की गयी है।

2.31 **रेलवे ट्रेक्शन**

2.31.1 **हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी :**

(1) श्री जी. एल. शर्मा ने उल्लेख किया कि डिस्कॉमें रेलवेकर्षण को विद्युतापूर्ति तीन फेज के माध्यम से कर रही हैं। रेलवेज् एक साथ दो फेजों का उपयोग कर रही हैं, जबकि शेष एक फेज काम में नहीं आता है/अवरूद्ध रहता है। यह सुझाव दिया गया था कि रेलवेज पर अवरोध प्रभार अधिरोपित किये जायें।

(2) यह भी उल्लेख किया गया था कि रेलवे ट्रेक्शन भार के मामलें में, किसी विद्युतीकृत भाग के मार्ग के समान्तर विभिन्न सब–स्टेशनों पर इलेक्ट्रोनिक मीटरों द्वारा अभिलिखित आधे–धण्टे की मांग को एकीकृत किया जाता है और ऐसी एकीकृत अधिकतम मांग को विपत्रण मांग के परिकलन हेतु प्रयोग में लिया जाता है। यह प्रावधान टैरिफ की प्रयोज्यता के सामान्य सिद्वान्त, जिसके अनुसार टैरिफ, आपूर्ति के एक बिन्दु के लिए प्रयोज्य है तथा आपूर्ति के अन्य बिन्दु पर इसे अलग से विपत्रित किया जाना है के प्रतिकूल है। उपरोक्त प्रक्रिया इसी प्रकार की स्थिति वाले उपभोक्ताओं पर प्रयोज्य नहीं है। इसलिए रेलवेकर्षण के सम्बन्ध में ऐसे भेदभावूर्ण प्रावधान को समाप्त किया जाना चाहिए। यह भी बताया गया था कि अन्य किसी भी राज्य में इस प्रकार का प्रावधान विद्यमान नहीं है।

2.31.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर**

डिस्कॉमों ने आपत्तिकर्ता द्वारा व्यक्त विचारों के महत्व को माना है और आयोग से इस पर

स्वतन्त्र दृष्टिकोण अपनाने का निवेदन किया है।

2.31.3 **आयोग का मत :**

हितधारी द्वारा उठाये गये मुद्दे विशेषरूप से रेलवेज् से सम्बन्धित हैं और मूल याचिका का हिस्सा नहीं थे। इसलिए रेलवेज या डिस्कॉमों से किसी प्रकार की टीका–टिप्पणी के अभाव में हितधारी के प्रस्ताव पर कोई इक–तरफा दृष्टिकोण अपनाया जाना सम्भव नहीं होगा। डिस्कॉमों को सलाह दी जाती है कि हितधारी के विचारों पर ध्यान दें और यदि आवश्यक हो तो, उनके अगले टैरिफ प्रस्तावों में, रेलवेज् के लिए विद्यमान कार्यविधि में परिवर्तन का सुझाव देते हुये प्रस्ताव दायर करें।

2.32 **विद्युत क्रय लागत समायोजन (पीपीसीए)/ईंधन अधिभार**

2.32.1 **हितधारिकों की आपत्तियाँ/टीका–टिप्पणी :**

श्री जी. एल. शर्मा, श्री शान्ति प्रसाद, श्री पी. एन. भण्डारी तथा श्री नरेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाये गये मुख्य बिन्दु संक्षेप में निम्नानुसार हैं :–

(1) कुछ आपत्तिकर्ताओं ने आशंका व्यक्त की कि डिस्कॉमों की याचिका से यह लगता है कि विद्युत क्रय लागत समायोजन का प्रस्ताव ईंधन अधिभार के अतिरिक्त किया जा रहा है। आयोग ने दिनांक 31.8.2007 के फुटकर टैरिफ के सम्बन्ध में अपने आदेश द्वारा विहित सूत्रानुसार उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणी के मध्य प्रति– सहायिकी को ध्यान में रखे बिना तथा विभिन्न तन्त्र वोल्टेज की हानियों को ध्यान में रखते हुये वास्तविक विचरण के केवल 50 प्रतिशत सीमा तक विद्युत क्रय लागत समायोजन को पास थ्रू के रूप में अनुमत किया है। आपत्तिकर्ताओं ने अनुरोध किया कि अनुमोदित सीमा को पोषित किया जाये।

(2) आपत्तिकर्ताओं ने टैरिफ विनियम, 2009 में ईंधन अधिभार सूत्र में गुणन कारक के बारे में कुछ अनियमितता की ओर ध्यान दिलाया।

(3) कुछ हितधारकों द्वारा यह निवेदन किया गया था कि ईंधन अधिभार परिहार्य है, क्योंकि पूर्व में भी इसने भारी वाद उत्पन्न किये है।

2.32.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

डिस्कॉमों ने बताया कि विद्युत क्रय लागत समायोजन तथा ईंधन अधिभार एक है और एक ही माने जाने चाहिए। इसके आगे डिस्कॉमों ने, आयोग से अनुरोध किया कि ईंधन अधिभार राविविआ टैरिफ विनियम, 2009 के अनुसार अनुमत किया जाये।

2.32.3 **आयोग का मत :**

आयोग ने राविविआ (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, द्वारा गुणन कारक सम्बन्धी विसंगति को दूर कर दिया है। डिस्कॉमें पहले से ही राविविआ (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2009 में विहित सूत्रानुसार ईधन अधिभार उद्ग्रहित करने के लिए प्राधिकृत है।

2.33 अधिक मांग प्रभार/शास्ति

2.33.1 **हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी :**

श्री जी.एल. शर्मा तथा श्री पदम चन्द जैन द्वारा उठाये गये बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

(1) वृहत् औद्योगिक सेवा के लिए टैरिफ अनुसूची एलपी/एचटी–5 के अन्तर्गत, उनकी संविदा मांग से अधिक मांग 110 प्रतिशत की सीमा तक ही अनुज्ञात की गयी है और उसके बाद अधिक मांग प्रभार उद्ग्रहित किये जाते हैं, जबकि अन्य एचटी टैरिफ अनुसूचियों के मामलें में यह सीमा केवल 105 प्रतिशत ही है। इस प्रकार वृहत उद्योग अनुसूची के उपभोक्ताओं को इसी प्रकार की एचटी आपूर्ति के उपभोक्ताओं के मुकाबले लाभ दिया गया है। इस विभेदीकरण की कोई औचित्यता नहीं है। यह निवेदन किया गया था कि वृहद् उद्योग अनुसूची के अन्तर्गत 110 प्रतिशत की सीमा अन्य एचटी उपभोक्ताओं के लिए भी अनुमत की जाये ताकि किसी प्रकार का भेदभाव न रहे।

(2) अन्य हितधारकों ने सुझाव दिया कि संविदा मांग से ऊपर 5–10 प्रतिशत की मांग का लचीलापन समाप्त किया जाना चाहिए और यदि मांग संविदामांग से 1 प्रतिशत भी अधिक है तो अधिभार उद्ग्रहित किया जाना चाहिए।

(3) यह उल्लेख किया गया था कि अनाधिकृत भार के मामलें में शास्ति प्रभारित किये जाने की रीति में अस्पष्टता है। जबकि किसी माह विशेष में अधिक मांग के मामलें में एक एचटी उपभोक्ता को सिर्फ उस माह के लिए अधिक मांग अधिभार का भुगतान करना होता है, परन्तु उच्चतर भार के मामलें में एलटी उपभोक्ताओं को पिछले 12 महीनों के उपभोग के आधार पर उच्चतर शास्ति का भुगतान करना होता है। यह अनुरोध किया गया था कि एलटी उपभोक्ताओं को भार के आधार पर विपत्रित किया जा रहा है और यह कि उपभोक्ताओं को मांग के आधार पर विपत्रित किये जाने का प्रावधान होना चाहिए जो सतर्कता पर खर्च किये

गये समय तथा धन को बचायेगा और उपभोक्ता की परेशानी को कम करेगा।

2.33.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :–**

(1) 105 प्रतिशत की सीमा वृहत् औद्योगिक सेवा उपभोक्ताओं के मामले में भी सत्य है। तथापि, 110 प्रतिशत की शिथिलता तभी प्रयोज्य है जब किसी महीने के दौरान अधिकतम मांग आधे धण्टे की अवधि में केवल एक बार अधिक चली जाती है।

(2) डिस्कॉमों ने यह भी बताया कि डिस्कॉमों द्वारा सभी प्रभार तथा उद्ग्राहय्तायें आयोग द्वारा यथानुमोदित वसूल किये जाते हैं। हितधारकों द्वारा दिये गये सुझावों पर आयोग विचार कर सकता है।

2.33.3 **आयोग का मत :**

(1) डिस्कॉमों के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुये एचटी उपभोक्ताओं से अधिक मांग प्रभारों के बारे में फिलहाल किसी परिवर्तन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

(2) शास्ति प्रभारित किये जाने की रीति में अस्पष्टता तथा अन्य सुझावों के बारे में आयोग निर्देश देता है कि डिस्कॉमों को एलटी उपभोक्ताओं को मांग के आधार पर विपत्रित किये जाने के लिए विकल्प दिया जाना अनुमत किये जाने के सुझाव सहित मुद्दों का समुचित अध्ययन तथा विश्लेषण करना चाहिए और यदि जरूरत हो तो आपूर्ति कोड में उपयुक्त परिवर्तनों हेतु एक याचिका दायर करें।

2.34 संविदा मांग

2.34.1 **हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी :**

श्री जी. एल. शर्मा ने सुझाव दिया कि एचटी टैरिफ अनुसूची में ''प्रयोज्यता'' प्रावधान के अन्तर्गत प्रकट हो रहा वाक्य ''तथापि, इस अनुसूची के अन्तर्गत उपभोक्ता उसकी संविदा मांग 50 केवीए से भी नीचे रख सकता है'' तथा वृहत् उद्योग टैरिफ अनुसूची में ''प्रयोज्यता'' प्रावधान के अन्तर्गत प्रकट हो रहा वाक्य'' तथापि, इस अनुसूची के अन्तर्गत उपभोक्ता उसकी संविदा मांग 125 केवीए से भी नीचे रख सकता है'' को विलोपित किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा प्रावधान स्वयं प्रयोज्यता प्रावधान के विपरीत है।

2.34.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

यह बताया गया था कि धरेलू, अ–घरेलू, मध्यम औद्योगिक, मिश्रित भार उपभोक्ताओं को उनकी संविदा मांग 50 केवीए से नीचे होने पर भी एचटी वोल्टेज पर विद्युत आहरण के लिए

प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि यह डिस्कॉमों की वितरण हानियों में कमी का परिणामी होता है।

2.34.3 **आयोग का मत :**

आयोग ने पाया कि हितधारकों की टीका–टिप्पणी का याचिकाकर्ताओं द्वारा यथेष्ठ स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया गया है।

2.35 शक्ति घटक अधिभार व प्रोत्साहन

2.35.1 **हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी :**

श्री शान्ति प्रसाद, श्री जी. एल. शर्मा, मै. संगम इण्डिया लि., मेवाड़ चैम्बर ऑफ कामर्स ऑफ इण्डस्ट्री, मै. ए इन्फ्रास्ट्रेक्चर लि., राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज, मै. रूद्राक्ष एनर्जी, राजस्थान स्टील चैम्बर, मै. श्री सीमेन्ट लि. मै. एसीसी लि., मै. डीसीएम श्री राम कन्सोलिडेटेड लि., श्री पी. एन. भण्डारी, श्री नरेन्द्र अग्रवाल, श्री पी.सी.जैन एवं अजमेर जिला विद्युत मजदूर कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे पर उठाये गये मुख्य बिन्दु संक्षेप में नीचे दिये जा रहे हैं–

(1) यह भी बताया गया था कि शक्ति धटक प्रोत्साहन/निरूत्साहन दशकों से सफलतापूर्वक कार्य करता आ रहा है। इसने एचटी उपभोक्ताओं में उनके शक्ति धटक में सुधार करने हेतु तत्परता जागृत की है, जिसके फलस्वरूप इसने ग्रिड– प्रबन्धन को भी सुदृढ़ किया हैं।

(2) शक्ति धटक बंध को विद्यमान 90–95% से बढ़ाकर 95–98% किये जाने से डिस्कॉमों ने उद्योगों के लिए प्रभावी टैरिफ में वृद्धि प्रस्तावित की है। सूत्र में त्रुटि तथा इसकी कठोरता भी हितधारकों द्वारा बताई गयी थी। उनके विचार से शक्तिधटक तन्त्र में सुधार की प्राप्ति हेतु शक्ति धटक को 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक बंध मुक्त किया जाये तथा 95 प्रतिशत से ऊपर प्रोत्साहन को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाये।

(3) विभिन्न हितधारकों ने उल्लेख किया कि राजस्थान वीएआर का असली निर्यातक है और अधिक केपेसीटरों का परिवर्धन ग्रिड –प्रबन्धन समस्यायें उत्पन्न करेगा तथा तन्त्र इतने अधिक केपेसीटरों को अन्तर्लीन करने में समर्थ नहीं हो पायेगा। केपेसिटरों की अतिरिक्त अधिष्ठापना विभिन्न सब–स्टेशनों पर अधिष्ठापित केपेसिटरों के बन्द होने का अग्रग होगा तथा डिस्कॉमों द्वारा किया गया निवेश व्यर्थनीय हो जायेगा।

(4) यह बताया गया था कि कैप्टिव उत्पादकों के मामले में, ग्रिड विद्युत का आहरण कैप्टिव विद्युत

संयन्त्र के बन्द रहने के दौरान किया जाता है। विद्युत की आवश्यकता अवसरिक तथा कम है इसलिए प्रस्तावित शक्तिधटक का संधारण किया जाना कठिन है।

2.35.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

एक का शक्तिधटक या ''एकत्व शक्तिधटक'' किसी भी विद्युत यूटिलीटि कम्पनी का ध्येय है। यदि शक्तिधटक एक से कम है तो यूटिलीटि को प्रयोक्ता को विद्युत उपयोग की निश्चित मात्रा हेतु अधिक करण्ट की आपूर्ति करनी होती है। ऐसा किये जाने में वे राज्य में ग्रिड की स्थिरता को बाधा में डालते हुये उच्चतर लाइन हानियां उपगत करते हैं। इसलिए ग्रिड की स्थिरता को बनाये रखने और लाइन हानियों में कमी करने के लिए एचटी उपभोक्ताओं के शक्तिधटक का उपागम 'एकल' की ओर होना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये डिस्कॉमों ने एचटी उपभोक्ताओं के लिए 0.90–.095 के तटस्थ बंध से 0.95 – 0.98 तटस्थ बंध किया जाना प्रस्तावित किया है।

2.35.3 **आयोग का मत :**

आयोग ने मामले पर निर्णय लेते समय आगे चलकर इस आदेश के भाग 4 में हितधारकों के विचारों पर उपयुक्त विचार किया है।

2.36 वोल्टेज छूट/अधिभार

2.36.1 **स्टेकधारियों की आपत्तियाँ/टीका–टिप्पणी :**

श्री शान्ति प्रसाद, श्री पी. एन. भण्डारी, अजमेर जिला विद्युत मजदूर कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे पर उठाये गये मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :

आपत्तिकर्ताओं ने उल्लेख किया कि टैरिफ अनुसूची संरचना भाग ॥– एचटी टैरिफ की प्रस्तावना के अन्तर्गत प्रकट हो रहे वाक्य '' संविदा आधारित टैरिफ मूल रूप से 11 के.वी. पर आपूर्ति हेतु टैरिफ है'' को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है। यह विलोपन उच्चतर वोल्टेज छूट की योजना में उचित नहीं रहेगा। 33 केवी, 132 केवी तथा 220 केवी पर आपूर्ति लेने पर छूट अनुमत किये जाने का मतलब है कि मौलिक टैरिफ, 11 केवी पर आपूर्ति के लिए है। इसके अतिरिक्त, एक बार जब टैरिफ आपूर्ति के वोल्टेज पर छूट पर विचार करती है, तो उच्चतर वोल्टेज पर आपूर्ति लेने वाले उपभोक्ता को 11 केवी पर आपूर्ति लेने पर उच्चतर टैरिफ का भुगतान करना होगा। प्रस्तावित उच्चतर (या निम्नतर) वोल्टेज अधिभार उचित नहीं रहेगा।

2.36.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

डिस्कॉमों ने आपत्तिकर्ताओं के 'टैरिफ संरचना–भाग–II–एचटी टैरिफ' की प्रस्तावना 1 के अन्तर्गत प्रकट हो रहे'' संविदा मांग आधारित टैरिफ मूल रूप से 11 केवी पर आपूर्ति हेतु टैरिफ है'' को विलोपित किये जाने के प्रस्ताव के बारे में विरोध से सहमति व्यक्त की और विलोपन के प्रस्ताव को वापस लिया।

2.36.3 **आयोग का मत :**

आयोग ने हितधारकों के उच्च वोल्टेज छूट तथा उच्चतर वोल्टेज अधिभार सम्बन्धी दृष्टिकोण पर, जैसा कि इस आदेश के भाग 4 में परिचर्चा की गई है, उचित रूप से विचार किया है।

2.37 सार्वजनिक प्रकाश हेतु एचटी कनेक्शन की साध्यता, कृषि तथा लधु औद्योगिक शक्ति व उसकी छूट

2.37.1 श्री पी.सी. जैन ने उल्लेख किया कि सार्वजनिक प्रकाश, कृषि तथा लधु औधोगिक शक्ति (एलटी एकल फेज या 3 फेज) श्रेणियों के लिए टैरिफ में यह उपाबन्धित है कि यदि इस अनुसूची के अन्तर्गत कोई कनेक्शन उच्च आतति (11 केवी या 33 केवी) पर दिया जाता है, तो सम्बन्धित श्रेणी के अन्तर्गत विपत्रित राशि पर 7.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। उसने यह स्पष्टीकरण चाहा कि क्या 20 से 25 एचपी भार वाले उक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 11 केवी या 33 केवी पर आपूर्ति लिया जाना साध्य है?

2.37.2 साध्यता के बारे में डिस्कॉमों ने प्रत्युत्तर दिया कि यह सम्भव है कि एलटी एकल फेज या 3 फेज वाले सार्वजनिक प्रकाश उपभोक्ता, कृषि तथा लधु औद्योगिक शक्ति उपभोक्ता 11 केवी या 33 केवी पर आपूर्ति ले सकते हैं।

2.37.3 आयोग ने नोट किया कि याचिकाकर्ताओं ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

2.38 टाईम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ

2.38.1 **हितधारकों की आपत्तियां/टीका–टिप्पणी :**

मै. संगम इण्डिया लि., मेवाड़ चैम्बर ऑफ कामर्स ऑफ इण्डस्ट्री, मै. ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, मै. रूद्राक्ष एनर्जी, मै. समता पावर, राजस्थान स्टील चैम्बर, मै. श्री सीमेण्ट लि., मै. एसीसी लि., मै. डीसीएम श्री राम कन्सोलिडेटेड, श्री बी. एस. मील, श्री सुबोध कुमार भटनागर, श्री नरेन्द्र अग्रवाल तथा श्री जी. एल. शर्मा द्वारा इस मुद्दे पर उठाये गये मुख्य बिन्दु संक्षेप में निम्नानुसार हैं :–

(1) टाइम ऑफ डे (टीओडी) मीटरिंग में चरम धण्टों के दौरान विद्युत प्रभारों में 10% की वृद्धि का प्रस्ताव उच्चता की ओर है। टीओडी के प्रभार चरम धण्टों के दौरान कम किये जा सकते है और 10 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत के रूप में रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार गैर–चरम धण्टों के दौरान छूट में वृद्धि की जा सकती है। यह सुझाव दिया गया था कि ऐसे प्रभार केवल विद्युत प्रभारों पर ही उद्ग्रहित किये जाने चाहिए।

(2) यह और अधिक उपयुक्त होगा यदि डिस्कॉम भिन्न– भिन्न मॉंग वाले उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी द्वारा चरम में योगदान तथा उनका संधात आदि के आंकड़ों का संग्रहण करता और उनके प्रस्ताव का आधार उपलब्ध करवाता।

(3) यह उल्लेख किया गया था कि चरम/गैर चरम धण्टे उद्योगों के परामर्श से विहित किये जाने चाहिए और अनुरोध किया कि टीओडी विस्तृतता पर आधारित होना चाहिए और डिस्कॉमों द्वारा भविष्य में और ज्यादा उपभोक्ताओं को टीओडी की परिधि में लेने के लिए अनुमत किया जाए।

(4) यह उल्लेख किया गया था कि रात्रिकालीन धण्टों के लिए छूट 10% प्रस्तावित है जबकि दुनियाभर में रात्रिकालीन धण्टों के दौरान 1/3 टैरिफ ही प्रभारित की जा रही है, इस प्रकार इस छूट द्वारा भारवक्र को एकसार करना चाहिए। गुजरात में रात्रिकालीन टैरिफ सामान्य की (-) 25% है। इसे राजस्थान में भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और चरम धण्टों को सुव्यवस्थित करना चाहिए।

(5) 'चरम धण्टों' तथा ''गैर–चरम धण्टों'' की परिभाषा राविविआ (कैप्टिव विद्युत संयन्त्र) विनियम, 2010 में यथा परिभाषित होनी चाहिए तथा अधिभार/छूट की दर राविविआ (कैप्टिव विद्युत संयन्त्र) विनियम, 2010 के विनियम 4 (1) (सी) में यथोल्लिखित 50 पैसे (पचास पैसे) प्रति किवाध विहित की जानी चाहिए।

(6) दिनांक 31.8.2007 के आयोग के आदेश का पैरा 132 (ii) (डी) उल्लेख करता है कि ''1500 केवीए तथा अधिक मांग वाले एचटी उपभोक्ताओं के लिए समाविष्ट किये जाने वाला टीओडी टैरिफ का प्रावधान''। इसलिए यह टीओडी टैरिफ प्रथमतः उन सभी उपभोक्ताओं, जिनकी संविदा मांग 1500 केवीए तथाउससे अधिक है, पर प्रयोज्य की जा सकती है। यह भी उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय टैरिफ नीति टीओडी टैरिफ लागू किये जाने हेतु न्यूनतम 1 एमवीए के भार का प्रावधान करती है। तथापि, डिस्कॉमों ने इसे 50 केवीए से अधिक संविदा मांग

वाले सभी एचटी उपभोक्ताओं पर प्रयोज्य किया जाना प्रस्तावित किया है।

(7) यह स्पष्ट करने के लिए अनुरोघ किया गया था कि चरम धण्टों के दौरान कृषि उपभोक्ताओं के ब्लॉक को कोई आपूर्ति नहीं होगी और यदि होगी तो डिस्कॉम उसे कैसे व्यवस्थित कर पायेंगी ?

(8) भार गतिविधियों, जैसे पारी में परिवर्तन, साप्ताहिक बन्द की भिन्नता का परिवर्तन तथा 11 केवी/33 केवी फीडरों की अनिवार्य विद्युत बन्दी के लिए महीने में एक बार प्रयोग किया जाये।

2.38.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

डिस्कॉमों ने टीओडी टैरिफ का प्रस्ताव चरम तथा गैर– चरम धण्टों के दौरान भारवक्र को संधारित करने या बाधा रहित बनाने के लिए किया है। चूंकि यह पहला अवसर है जब डिस्कॉम राज्य में टीओडी टैरिफ प्रस्तावित कर रही है, उसका प्रभाव अभी भी प्रमाणित किया जाना है। भारवक्र पर तीनों डिस्कॉमों की अतिरिक्त सूचनायें आयोग को समीक्षार्थ प्रस्तुत कर दी गई है। टीओडी टैरिफ एचटी धरेलू तथा एचटी कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी एचटी उपभोक्ताओं पर प्रयोज्य होंगी। अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर कृषि उपभोक्ताओं को सायंकालीन चरमधण्टों के दौरान आपूर्ति नहीं दी जाती है।

2.38.3 **आयोग का मत :**

आयोग ने आपत्तिकर्ताओं के अतिरिक्त, डिस्कॉमों के दृष्टिकोण पर विचार किया और इस मुद्दे को कुछ और विस्तार से इस आदेश के टैरिफ संरचना से सम्बन्धित भाग 4 में व्यवहृत किया गया है।

2.39 श्रेणी का परिवर्तन

2.39.1 **हितधारकों की आपत्तियां :**

श्री पी. सी. जैन, श्री पी. एन. मण्डोला, मै. समता पावर व अन्य द्वारा इस मुद्द पर श्रेणीकरण के बारे में उठाये गये बिन्दु संक्षेप में निम्नानुसार हैं –

(1) सार्वजनिक पार्कों में कई मन्दिर हैं, जहां विद्युत का उपभोग होता है, परन्तु बिना कनेक्शन के। यह उल्लेख किया गया था कि सार्वजनिक पार्कों में प्रकाश हेतु उपभोगित विद्युत को टैरिफ अनुसूची पीएसएल/एलटी–3 के अन्तर्गत किया गया है जबकि बागवानी के लिए उपभोगित विद्युत को एजी/एलटी–4 के अन्तर्गत श्रेणीबद्व किया जाना अनुमत किया गया है,

जबकि सार्वजनिक पार्कों मे विद्युत का उपभोग अन्य उपयोगों जैसे– कार्यालय तथा आवासीय क्वार्टरों आदि के लिए भी है। यह अनुरोध किया गया था कि जैसा कि ऊपर बताया गया है उपयोग को ध्यान में रखते हुये उपयुक्त टैरिफ श्रेणीकरण किया जाये।

(2) यह सुझाव दिया गया था कि दिन – रात के क्रिकेट खेलों तथा विलासमय गतिविधियों के लिए अघरेलू या उच्चतर टैरिफ प्रयुक्त की जानी चाहिए तथा दीवाली प्रदीपन और ऐसी अन्य गतिविधियों को अस्थाई टैरिफ पर लिया जाना चाहिए। धार्मिक स्थानों, विलासमय मॉलों, वाणिज्यिक अस्पतालों, एवं बैकों आदि पर अधरेलू टैरिफ प्रयुक्त की जानी चाहिए। आपत्तिकर्ताओं ने विवाहगृहों, होटलों तथा उत्पादन में अन्तर्विष्ट व्यक्तियों के लिए टैरिफ में वृद्धि की वकालत की।

(3) यह भी उल्लेख किया गया था कि पॉल्टी फार्मों, लिफ्ट सिंचाई तथा मलजल पम्पिंग पर कृषि टैरिफ अनुमत किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि वे भी अण्डे तथा जल जनता/किसानों को बेच रहे है।

(4) कई आपत्तिकर्ताओं ने विद्यमान श्रेणीकरण में विभिन्न परिवर्तन सुझाये। धरेलू/अ–धरेलू/25 किवा तक लधु औद्योगिक शक्ति के लिए एक श्रेणी बनाया जाने का सुझाव भी कुछ आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

2.39.2 **याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर :**

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि सरकार/स्थानीय निकाय के सार्वजनिक उद्यान, पॉल्ट्रीफार्म, लिफ्ट सिंचाई तथा मलजल पम्पिंग भी कृषि श्रेणी में आवृत होते हैं।

2.39.3 **आयोग का मत :**

हितधारकों की टीका–टिप्पणी विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रयुक्ति/श्रेणीकरण सम्बन्धी है। तथापि, डिस्कॉमों के अलावा प्रभावित व्यक्तियों/सत्वों के सुसंगत टीका–टिप्पणी/राय के अभाव में इस अवस्थान पर कोई दृष्टिकोण अपनाया जाना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए डिस्कॉमों को श्रेणीकरण के योक्तिकरण का, ऐसे सभी सुझावों के आलोक में अध्ययन करने और अगली टैरिफ याचिका के साथ उनके प्रस्ताव दायर करने के निर्देश दिये जाते है।

भाग –3 – विव 11–12 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता

3. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, वितरण कम्पनियां यथा– जविविनिलि, अविविनिलि, तथा जोविविनिलि (डिस्कॉमों) ने विव 11–12 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (वाराआ) के विनिर्धारण तथा फुटकर टैरिफ के संशोधन हेतु याचिका दायर की है। वाराआ को सर्वप्रथम तय किये जाने की आवश्यकता होगी तथा फिर इससे विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तावित टैरिफ संशोधन पर निर्णय लिया जाना सुकर होगा।

4. विव 2011–12 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता का विश्लेषण –

समग्र राजस्व आवश्यकता के विनिर्धारण में विद्युत विक्रय के अतिरिक्त विभिन्न तत्वों जैसे विद्युत क्रय लागत, प.एवं. सं. व्यय, ब्याज लागत, तथा ह्रास आदि का निर्धारण करना होता है। सराआ विभिन्न अवयवों के बारें में याचिकाकर्ता का प्रक्षेपण, आयोग का उस पर विश्लेषण तथा नीचे दिये गये मुद्दों के सम्बन्ध में निर्णय अनुवर्ती पैराओं में परिचर्चित है–

(1) ऊर्जा विक्रय

(2) हानियां, प्रसारण तथा वितरण दोनों,

(3) प्रसारण प्रभार तथा राभाप्रेके प्रभारों सहित विद्युत क्रय लागत

(4) प्रचालन एवं संधारण लागत,

(5) कार्यशील पूंजी पर ब्याज सहित ब्याज एवं वित्त प्रभार,

(6) ह्रास

(7) विद्यमान टैरिफ से राजस्व

(8) गैर–टैरिफ तथा अन्य आय

(9) विद्यमान टैरिफ पर आधारित राजस्व धाटा

5. ऊर्जा विक्रय

5.1 डिस्कॉमों ने ऊर्जा विक्रय का परिकलन, पिछले वर्ष के वास्तविक विक्रय के आधार पर किया है। तीनों डिस्कॉमों द्वारा दिनांक 15.4.2010 के आयोग के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश द्वारा अनुमोदित की तुलना में उपभोक्ता श्रेणीवार प्रक्षेपित विक्रय तथा आयोग द्वारा अब अनुमोदित किये जा रहे विक्रय पर निम्नलिखित उप–पैराओं में चर्चा की गयी है –

5.2 यह उल्लेखनीय है कि राज्य में, फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर, सभी उपभोक्ताओं को मीटरित आपूर्ति है ओर मीटरित आपूर्ति में आते है। आयोग किसी वर्ष में ऊर्जा

आवश्यकता के निर्धारण में सामान्यतः पिछले 3 या 5 वर्षों, जैसी भी स्थिति है, की संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (सीएजीआर) को ध्यान में रखता है। तथापि, कृषि के मामलें में, दिनांक 15.4.2010 के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में ऊर्जा विक्रय के निर्धारण हेतु सम्बद्ध भार तथा विशिष्ट उपभोग का प्रयोग किया गया है। यह कार्यप्रणाली सीएजीआर का उपयोग किये जाने की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है, क्योंकि कृषीय उपभोग, वर्ष दर वर्ष के आधार पर राज्य में वर्षा की अनियमित प्रवृति के कारण यथेष्ट रूप से, बदलता रहता है। इसके अतिरिक्त, विगत में कृषि के लिए आपूर्ति के धण्टे विभिन्न कारणों से यथेष्टरूप में परिवर्तित हुये हैं, जो कृषि में विद्युत उपभोग में महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए अग्रग हैं। इस आदेश में कृषि उपभोक्ताओं (मीटरित और फ्लेट रेट दोनों) को ऊर्जा विक्रय का प्राक्कलन किये जाने हेतु इसी प्रकार की कार्यप्रणाली प्रयोग में लाई गई है।

5.3 आयोग ने तद्नुसार विव 11–12 के लिए निम्नलिखित उपभोक्ता श्रेणियों के सम्बन्ध में ऊर्जा विक्रय के, डिस्कॉमों द्वारा, प्रक्षेपणों को, ऐसी श्रेणियों के लिए ऊर्जा को अन्तिम रूप दिये जाने में अपनायी गई भिन्न कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुये पृथक– पृथक विश्लेषित किया है।

(1) कृषि को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं की श्रेणी,

(2) कृषि उपभोक्ता (मीटरित)

(3) कृषि उपभोक्ता (फ्लेट रेट)

5.4 याचिकाकर्ताओं का निवेदन

पूर्व के पैरा में वर्णित उपभोक्ता श्रेणियों के सम्बन्ध में डिस्कॉमों द्वारा किये गये प्राक्कलनों तथा प्रक्षेपणों के आधार पर निम्नलिखित उप–पैराओं में अब चर्चा की जा रही है :–

5.4.1 मीटरित श्रेणी के लिए ऊर्जा विक्रय (कृषि को छोड़कर)

डिस्कॉमों ने निवेदन किया है कि विव 2011–12 के लिए ऊर्जा विक्रय, सभी उपभोक्ता श्रेणियों (कृषि फ्लेट रेट उपभोक्ताओं को छोड़कर) विव 2009–10 के वास्तविक ऊर्जा विक्रय पर आधारित विगत 5 वर्षों की संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (सीएजीआर) के आधार पर प्रक्षेपित किया गया है। धरेलू उपभोग में वृद्धि का मुख्य कारण ग्रामीण कुटुम्बों का राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युत योजना (रागांग्रावियो) के अन्तर्गत बड़ी संख्या में विद्युतीकरण होना रहा है। याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि उद्योगों पर अधिरोपित विद्युत कटौती के कारण लधु, मध्यम तथा वृहत् औधोगिक उपभोक्ताओं को विक्रय जयपुर तथा जोधपुर डिस्कॉमों के लिए

बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में अनुमोदित से कम रहा था जिसका परिणाम अनुज्ञप्तिधारी की राजस्वों पर विपरीत प्रभाव रहा है।

5.4.2 कृषि मीटरित (मी) उपभोक्ताओं को विद्युत विक्रय

कृषि (मीटरित) उपभोक्ता श्रेणी के मामलें में डिस्कॉमों ने विव 10–11 तथा 11–12 के लिए विक्रय प्रक्षेपण के लिए पांच वर्ष की सीएजीआर को ध्यान में रखा है। याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया कि ऊर्जा विक्रय एक अनियन्त्रणीय प्राचल है और उपभोक्ताओं का परिवर्धन, सम्बद्ध भार में वृद्धि, वर्षात, फ्लेट रेट से रूपान्तरित कृषि कनेक्शनों की संख्या आदि कई धटकों पर निर्भर करता है। कृषि उपभोग में उच्च विक्रय, उपरोक्त कारणों को अधिरोपित है। आयोग द्वारा संसूचित याचिका की कमियों के उत्तर में डिस्कॉमों ने उपभोक्ताओं की संख्या, सम्बद्धभार तथा विशिष्ट उपभोग के बारे में निम्नलिखित सूचनायें प्रस्तुत की, जो उनके आधारित संवासंद पर आधारित संवृद्धि दर के सदृश है –

सारणी –1 विव 2011–12 के लिए कृषि (मी) विक्रय– जविविनिलि

विशिष्टियां	उपभोक्ता (संख्या)	प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार (किवा)	कुल सम्बद्ध भार (किवा)	विशिष्ट उपभोग (किवाध/किवा/ वर्ष)	उपभोग (विक्रय) (एमयू)
विद्यमान	329045	5.82	1913922		
जोड़ें– रूपान्तरित	7035	4.84	34024		
नवीन	49896	7.94	395984		
योग	385976		2343930	2152	5045

सारणी –2 विव 2011–12 के लिए कृषि (मी) विक्रय– अविविनिलि

विशिष्टियां	उपभोक्ता (संख्या)	प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार (किवा)	कुल सम्बद्ध भार (किवा)	विशिष्ट उपभोग (किवाध/किवा/ वर्ष)	उपभोग (विक्रय) (एमयू)
विद्यमान	265822	6.05	1607393		
जोड़ें– रूपान्तरित	1200	8	9600		
नवीन	18228	6.5	118482		
योग	285250	6.08	1735475	1783	2980

सारणी –3 विव 2011–12 के लिए कृषि (मी) विक्रय– जोविविनिलि

विशिष्टियां	उपभोक्ता (संख्या)	प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार (किवा)	कुल सम्बद्ध भार (किवा)	विशिष्ट उपभोग (किवाध/किवा/ वर्ष)	उपभोग (विक्रय) (एमयू)
विद्यमान	177472	17.59	3122138		
जोड़ें– रूपान्तरित	762	21.57	16436		
नवीन	23631	28.00	661767		
योग	201865	18.82	3800341	1735	6595

5.4.3 कृषि फ्लेट रेट (फ्ले. रे.) उपभोक्ताओं को विद्युत विक्रय

(1) जविविनिलि तथा अविविनिलि ने उनकी याचिकाओं में बताया कि उन्होनें पांच वर्ष की सीएजीआर संवृद्धि दर को ध्यान में रखा है तथा जोविविनिलि ने बताया कि उसने विव 2010–11 तथा 2011–12 के लिए कृषि फ्लेट रेट उपभोक्ताओं को विक्रय के प्राक्कलन हेतु विव 2009–10 की अनांकेक्षित वास्तविक विक्रय पर 10 प्रतिशत संवृद्धि दर को ध्यान में रखा है।

(2) सभी तीनों डिस्कॉमों ने कृषि (फ्लेट रेट) उपभोक्ता श्रेणी में आयोग द्वारा दिनांक 15.4.10 के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में अनुमोदित से उच्चतर विक्रय प्रक्षेपित किया है और बताया है कि यह मुख्य रूप से किसानों द्वारा प्रतिरोध के कारण इस श्रेणी को मीटरित श्रेणी में रूपान्तरण किये जाने की धीमी गति के कारण है। इसके अतिरिक्त उन्होनें बताया कि फ्लेट रेट उपभोक्ताओं की संख्या में कमी के बावजूद उनके सम्बद्ध भार में वृद्धि के कारण इस श्रेणी को ऊर्जा विक्रय में वृद्धि हुई है और इस प्रवृति की जारी रहने की सम्भावना है। उन्होनें यह भी बताया कि प्रति एचपी उपभोग उच्चतर है, क्योंकि फ्लेट रेट उपभोक्ता उनका वास्तविक भार प्रकट नहीं करते है।

(3) आयोग द्वारा संसूचित याचिका में कमियों के उत्तर में डिस्कॉमों ने उपभोक्ताओं की संख्या, सम्बद्ध भार, तथा विशिष्ट उपभोग, जो याचिका में उनके द्वारा अवधारित संवासंद पर आधारित संवृद्धि दर के सदृश है, के बारे में निम्नलिखित विस्तृतियां इंगित की :

सारणी –4 विव 2011–12 के लिए कृषि (फ्लेट रेट) विक्रय– जविविनिलि

विशिष्टियां	उपभोक्ता (संख्या)	प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार (किवा)	कुल सम्बद्ध भार (किवा)	विशिष्ट उपभोग (किवाध/किवा/ वर्ष)	उपभोग (विक्रय) (एमयू)
विद्यमान	49207	6.8	334650	–	–
घटायें– रूपान्तरित	7035	4.84	34024	–	–
योग	42172	–	300626	4119	1238

सारणी –5 विव 2011–12 के लिए कृषि (फ्लेट रेट) विक्रय– अविविनिलि

विशिष्टियां	उपभोक्ता (संख्या)	प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार (किवा)	कुल सम्बद्ध भार (किवा)	विशिष्ट उपभोग (किवाध/किवा/ वर्ष)	उपभोग (विक्रय) (एमयू)
विद्यमान	71167	8.54	607763	–	–
घटायें– रूपान्तरित	2602	8.54	22236	–	–
योग	68565	–	585527	2464	1525

सारणी –6 विव 2011–12 के लिए कृषि (फ्लेट रेट) विक्रय– जोविविनिलि

विशिष्टियां	उपभोक्ता (संख्या)	प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार (किवा)	कुल सम्बद्ध भार (किवा)	विशिष्ट उपभोग (किवाध/किवा/ वर्ष)	उपभोग (विक्रय) (एमयू)
विद्यमान	44147	21.57	952282	–	–
घटायें– रूपान्तरित	762	21.57	16436	–	–
योग	43385	–	935847	1863	1743

5.4.4 डिस्कॉमों द्वारा प्रक्षेपित कुल ऊर्जा विक्रय

पूर्वगामी उप–पैराओं में परिचर्चित विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण तथा दिनांक 15.4.2010 के बहुवर्षीय टैरिफ (बवटै) आदेश में अनुमोदित ऊर्जा विक्रय की तुलना नीचे दी गई सारणी के अनुसार है –

सारणी –7 विव 2011–12 के लिए कुल ऊर्जा विक्रय – डिस्कॉमों या प्रक्षेपण (एमयू)

उपभोक्ता श्रेणी	जविविनिलि		अविविनिलि		जोविविनिलि		योग	
	बवटै आदेशानुसार	याचिका के अनुसार	बवटै आदेशानुसार	याचिका के अनुसार	बवटै आदेशानुसार	याचिका के अनुसार	बवटै आदेशानुसार	याचिका के अनुसार
1. कृषि को छोड़कर मीटरित श्रेणी								
(i) घरेलू	3183	3417	1986	1962	1967	1882	7136	7261
(ii) अघरेलू	1219	1110	555	472	581	485	2355	2067
(iii) सार्वजनिक पथ प्रकाश	106	99	49	47	142	164	297	310

(iv) लघु उद्योग	278	268	223	240	233	222	734	730
(v) मध्यम उद्योग	705	651	631	638	497	451	1833	1740
(vi) बृहत् उद्योग	4209	4046	2530	2191	1243	1055	7982	7292
(vii) सार्वजनिक जलदाय (ल.)	264	240	219	216	235	267	718	723
(viii) सार्वजनिक जलदाय (म.)	31	26	32	31	108	111	171	168
(ix) सार्वजनिक जलदाय (वृ.)	113	130	151	137	397	394	661	661
(x) मिश्रित भार	445	533	252	363	488	605	1185	1501
(xi) विद्युतकर्षण	350	409	0	0	0	0	350	409
2. कृषि मीटरित								
कृषि मीटरित	2774	5045	2822	2980	3856	6595	9452	14620
3. कृषि फ्लेट रेट								
कृषि फ्लेट रेट	433	1238	613	1525	595	1743	1641	4506
कुल विक्रय	14110	17212	10062	10802	10343	13974	34515	41988

5.5 आयोग का विश्लेषण

5.5.1 मीटरित श्रेणियों के लिए ऊर्जा विक्रय (कृषि को छोड़कर)

(1) उक्त श्रेणियों का विव 2011–12 के लिए आयोग का ऊर्जा निर्धारण मीटरित श्रेणियों को विव 2009–10 के लिए 12 महीने के वास्तविक विक्रय (अनांकेक्षित) जैसा कि डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पर आधारित है तथा नीचे सरणित है :

सारणी –8 विव 2011–12 के लिए तीनों डिस्कॉमों की वास्तविक ऊर्जा विक्रय –

(एमयू)

उपभोक्ता श्रेणी	जविविनिलि	अविविनिलि	जोविविनिलि	योग
घरेलू	2658	1609	1561	5828
अघरेलू	898	404	417	1719
सार्वजनिक पथ प्रकाश	79	42	107	228
लघु उद्योग	248	232	195	675
मध्यम उद्योग	548	524	381	1453
बृहत् उद्योग	3095	1937	915	5947
सार्वजनिक जलदाय (ल.)	207	185	227	619
सार्वजनिक जलदाय (म.)	26	31	105	162
सार्वजनिक जलदाय (बृ.)	114	122	324	560

मिश्रित भार	333	227	457	1017
रेलवेकर्षण	350	0	0	350
योग	8556	5313	4689	18558

(2) दिनांक 15.4.10 के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में आयोग ने विव 2009–10 तथा बहुवर्षीय टैरिफ नियन्त्रणावधि के पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए ऊर्जा विक्रय के परिकलन हेतु घरेलू तथा अघरेलू श्रेणियों के लिए 3 वर्ष की सीएजीआर तथा कृषि को छोड़कर शेष श्रेणियों के लिए 5 वर्ष की सीएजीआर पर विचार किया था। उसी आधार को ध्यान में रखते हुये आयोग ने धरेलू तथा अ–धरेलू श्रेणियों को ऊर्जा विक्रय के लिए 3 वर्ष की सीएजीआर के आधार पर तथा अन्य श्रेणियों (कृषि को छोड़कर) के लिए 5 वर्ष की सीएजीआर के आधार पर विव 2004–05 से विव 2009–10 पर आधारित ऊर्जा विक्रय को ध्यान में रखा है।

(3) तद्नुसार आयोग द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए अपनायी गयी 3 वर्ष की सीएजीआर तथा 5 वर्ष की सीएजीआर तथा संवृद्धि दर व ऊर्जा विक्रय नीचे दी गयी सारणी के अनुसार है–

सारणी –9 विव 2011–12 के लिए संवृद्धि दर तथा ऊर्जा विक्रय – जविविनिलि

उपभोक्ता श्रेणी	5 वर्ष सीएजीआर	3 वर्ष सीएजीआर	आयोग द्वारा अपनायी गई संवृद्धि दर	ऊर्जा विक्रय (एमयू)
घरेलू	13.39%	17.94%	17.94%	3697
अघरेलू	11.16%	11.55%	11.55%	1117
सार्वजनिक पथ प्रकाश	11.86%	12.74%	11.86%	99
लघु उद्योग	4.05%	3.70%	4.05%	268
मध्यम उद्योग	8.96%	9.04%	8.96%	651
बृहत् उद्योग	14.32%	14.34%	14.32%	4046
सार्वजनिक जलदाय (ल.)	7.81%	6.76%	7.81%	240
सार्वजनिक जलदाय (म.)	0.00%	-3.58%	0.00%	26
सार्वजनिक जलदाय (बृ.)	6.61%	8.29%	6.61%	130
मिश्रित भार	26.48%	26.42%	26.48%	533
विद्युतकर्षण	8.17%	7.55%	8.17%	409
योग	-	-	-	11216

सारणी –10 विव 2011–12 के लिए संवृद्वि दर तथा ऊर्जा विक्रय – अविविनिलि

उपभोक्ता श्रेणी	5 वर्ष सीएजीआर	3 वर्ष सीएजीआर	आयोग द्वारा अपनायी गई संवृद्वि दर	ऊर्जा विक्रय (एमयू)
घरेलू	10.43%	14.61%	14.61%	2114
अघरेलू	8.09%	10.82%	10.82%	497
सार्वजनिक पथ प्रकाश	5.63%	3.46%	5.63%	47
लघु उद्योग	1.71%	7.06%	1.71%	240
मध्यम उद्योग	10.42%	11.09%	10.42%	638
बृहत् उद्योग	6.37%	6.00%	6.37%	2191
सार्वजनिक जलदाय (ल.)	7.86%	10.87%	7.86%	216
सार्वजनिक जलदाय (म.)	0.58%	-0.12%	0.58%	31
सार्वजनिक जलदाय (बृ.)	5.98%	8.59%	5.98%	137
मिश्रित भार	26.50%	28.06%	26.50%	363
विद्युतकर्षण	-	-	-	-
योग	-	-	-	6474

सारणी –11 विव 2011–12 के लिए संवृद्वि दर तथा ऊर्जा विक्रय – जोविविनिलि

उपभोक्ता श्रेणी	5 वर्ष सीएजीआर	3 वर्ष सीएजीआर	आयोग द्वारा अपनायी गई संवृद्वि दर	ऊर्जा विक्रय (एमयू)
घरेलू	9.80%	13.38%	13.38%	2007
अघरेलू	7.83%	10.03%	10.03%	505
सार्वजनिक पथ प्रकाश	23.73%	40.12%	23.73%	164
लघु उद्योग	6.56%	6.40%	6.56%	222
मध्यम उद्योग	8.80%	7.71%	8.80%	451
वृहत् उद्योग	7.41%	-1.63%	7.41%	1055
सार्वजनिक जलदाय (ल.)	8.48%	12.58%	8.48%	267
सार्वजनिक जलदाय (म.)	2.50%	3.84%	2.50%	111
सार्वजनिक जलदाय (वृ.)	10.24%	9.61%	10.24%	394
मिश्रित भार	15.03%	16.93%	15.03%	605
विद्युतकर्षण	-	-	-	-
योग	-	-	-	5781

5.5.2 कृषि मीटरित (मी) उपभोक्ता

(1) आयोग ने, विद्यमान, नये तथा फ्लेट रेट से मीटरित श्रेणी में रूपान्तरित किये जाने वाली उपभोक्ताओं की संख्या के बारे में डिस्कॉमों के प्रस्तुतीकरण को स्वीकार कर लिया है।

(2) आयोग ने डिस्कॉमों द्वारा विद्यमान के अतिरिक्त रूपान्तरित उपभोक्ताओं के लिए प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार के बारे में किये गये प्रक्षेपण में विसंगतियां पायी। इनमें मीटरित तथा फ्लेट श्रेणी को विक्रय का परिकलन करते समय विभिन्न स्थानों पर अलग– अलग रूपान्तरित उपभोक्ताओं की संख्या और उनका सम्बद्ध भार इंगित किया जाना सम्मिलित है। यह भी पाया गया था कि जोविविनिलि की याचिका में रूपान्तरित उपभोक्ताओं के भार को विव 09–10 के लिए कम किये जाने की बजाय फ्लेट श्रेणी के भार में जोड़ दिया गया है, जिससे पश्चात्वर्ती वर्षों की संगणना प्रभावित हुयी है। इसलिए इन कारणों से आयोग ने डिस्कॉमों द्वारा विव 09–10 के लिए प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के आधार पर विद्यमान के अतिरिक्त रूपान्तरित उपभोक्ताओं के प्रति उपभोक्ता औसत सम्बद्ध भार का विव 10–11 तथा विव 11–12 के लिए पुनः परिकलन किया है। आयोग ने यह माना है कि औसतन रूपान्तरित उपभोक्ता, उनके वार्षिक उपभोग के परिकलन की दृष्टि से वर्ष के दौरान छः महीने मीटरित श्रेणी में रहेंगे। नये उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में आयोग ने, प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार डिस्कॉमों द्वारा यथा – प्रक्षेपित माना है।

(3) इसी प्रकार विशिष्ट उपभोग के मामलें में आयोग ने प्रेक्षित किया कि डिस्कॉमों द्वारा प्रक्षेपित संवृद्धि, उनके द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ याचिका मे इंगित तथा आयोग द्वारा स्वीकारी गयी से बहुत अधिक है। चालू याचिका में डिस्कॉमों द्वारा प्रक्षेपित संवृद्धि दर 10.2% से 13.71% की रेन्ज में है। बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में यह जविविनिलि के मामलें में शून्य तथा अविविनिलि एवं जोविविनिलि मामलें में 2% से 3.71% की रेन्ज में भिन्नता लिये हुए थी। आयोग पाता है कि डिस्कॉमों द्वारा प्रक्षेपित संवृद्धि दर अवास्तविक है और इसलिए आयोग सभी डिस्कॉमों के लिए विव 09–10 तथा विव 10–11 के विषय में 3 प्रतिशत की संवृद्धि दर, जो बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में मानी गयी थी, सभी डिस्कॉमों की औसतन दर के सन्निकट है, पर विचार करना उपयुक्त मानता है।

यह सभी कृषि मीटरित उपभोक्ताओं, फ्लेट रेट से मीटरित श्रेणी में रूपान्तरित को छोड़कर, के लिए अपनाई गई है। रूपान्तरित उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में आयोग ने फ्लेट रेट

उपभोक्ताओं के लिए यथा – प्रयुक्त 1945 किवाध/किवा/वर्ष के विशिष्ट उपभोग को प्रतिधारित किया है। तद्नुसार विव 11–12 के लिए प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार, विशिष्ट उपभोग तथा प्राक्कलित विक्रय निम्नानुसार अनुमोदित किया जाता है।

सारणी –12 विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित कृषि (मी) विक्रय– जविविनिलि

विशिष्टियां	उपभोक्ता (संख्या)	प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार (किवा)	कुल सम्बद्ध भार (किवा)	विशिष्ट उपभोग (किवाध/किवा/ वर्ष)	उपभोग (विक्रय) (एमयू)
विद्यमान	329045	5.91	1944779	1883	3662
जोड़ें– रूपान्तरित	7035	6.50	22863.75	1945	44
नवीन	49896	7.94	198087.10	1883	373
योग	385976				4080

सारणी –13 विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित कृषि (मी) विक्रय– अविविनिलि

विशिष्टियां	उपभोक्ता (संख्या)	प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार (किवा)	कुल सम्बद्ध भार (किवा)	विशिष्ट उपभोग (किवाध/किवा/ वर्ष)	उपभोग (विक्रय) (एमयू)
विद्यमान	268837	6.09	1638238	1475	2416
जोड़ें– रूपान्तरित	2602	8.94	11633.32	1945	23
नवीन	18228	6.50	59241	1475	87
योग	289667				2526

सारणी –14 विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित कृषि (मी) विक्रय– जोविविनिलि

विशिष्टियां	उपभोक्ता (संख्या)	प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार (किवा)	कुल सम्बद्ध भार (किवा)	विशिष्ट उपभोग (किवाध/किवा/ वर्ष)	उपभोग (विक्रय) (एमयू)
विद्यमान	177472	18.48	3278834	1429	4286
जोड़ें– रूपान्तरित	762	16.67	6350	1945	12
नवीन	23631	28.00	330834	1429	473
योग	201865				5171

5.5.3 कृषि फ्लेट रेट (फ्ले.रे.) उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विक्रय

फ्लेट रेट उपभोक्ताओं के लिए प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार

(1) आयोग ने प्रेक्षित किया है कि डिस्कॉमों ने विद्यमान उपभोक्ताओं तथा रूपान्तरित उपभोक्ताओं के लिए प्रति उपभोक्ता भिन्न– भिन्न औसत सम्बद्ध भार प्रक्षेपित किया है जो बिल्कुल असम्भव है। इसलिए आयोग ने एक ही औसत सम्बद्ध भार को विद्यमान के साथ– साथ

रूपान्तरित उपभोक्ताओं, दोनों के लिए ध्यान में रखा है। जैसा कि पहले ही पैरा 5.5.2 (2) पर स्पष्ट किया गया है, आयोग ने विव 09–10 के लिए प्रति उपभोक्ता औसत सम्बद्ध भार परिकलित किया है और उसे ही विव 11–12 के लिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि इस श्रेणी में कोई भी नये कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं, प्रतिधारित किया है। रूपान्तरित उपभोक्ताओं को औसतन वर्ष के दौरान छः महीने की अवधि के लिए फ्लेट श्रेणी में ही बने रहने को ध्यान में रखा गया है। डिस्कॉमों द्वारा यथा –प्रस्तुत उपभोक्ताओं की संख्या को विक्रय के प्राक्कलन हेतु ध्यान में रखा गया है।

फ्लेट रेट उपभोक्ताओं के लिए विशिष्ट उपभोग

(2) जैसी कि पूर्व में चर्चा की गयी है, आयोग कृषि फ्लेट रेट उपभोक्ताओं के विशिष्ट उपभोग में वृद्धि अनुमत किये जाने के लिए सहमत नहीं है। तद्नुसार, आयोग द्वारा दिनांक 15.4.10 के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में यथानुमोदित 1945 किवाध/किवा/वर्ष के विशिष्ट उपभोग को इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के उपयोग के परिकलन हेतु आधार माना गया है।

(3) विव 2011–12 के लिए तीनों डिस्कॉमों हेतु कृषि (फ्ले.रे.) श्रेणी का आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा विक्रय नीचे दी गयी सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी –15 विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित कृषि (फ्ले.रे.) विक्रय– जविविनिलि

विशिष्टियां	उपभोक्ता (संख्या)	प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार (किवा)	कुल सम्बद्ध भार (किवा)	विशिष्ट उपभोग (किवाध/किवा/ वर्ष)	उपभोग (विक्रय) (एमयू)
विद्यमान	49207	6.5	319846	1945	622
घटायें– रूपान्तरित	7035	6.5	22864	1945	44
योग	42172			1945	578

सारणी –16 विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित कृषि (फ्ले.रे.) विक्रय– अविविनिलि

विशिष्टियां	उपभोक्ता (संख्या)	प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार (किवा)	कुल सम्बद्ध भार (किवा)	विशिष्ट उपभोग (किवाध/किवा/ वर्ष)	उपभोग (विक्रय) (एमयू)
विद्यमान	71167	8.94	636363	1945	1238
घटायें– रूपान्तरित	2602	8.94	11633	1945	23
योग	68565			1945	1215

सारणी –17 विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित कृषि (फ्ले.रे.) विक्रय–जोविविनिलि

विशिष्टियां	उपभोक्ता (संख्या)	प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार (किवा)	कुल सम्बद्ध भार (किवा)	विशिष्ट उपभोग (किवाध/किवा/ वर्ष)	उपभोग (विक्रय) (एमयू)
विद्यमान	44147	16.67	735828	1945	1431
घटायें– रूपान्तरित	762	16.67	6350	1945	12
योग	43385			1945	1419

5.6 सभी श्रेणियों के लिए आयोग द्वारा यथानुमोदित ऊर्जा विक्रय

5.6.1 पूर्वगामी पैराओं में परिचर्चित संवृद्धि दर पर आधारित तथा सम्बद्ध भार के आधार पर यथा परिकलित कृषि विक्रय और स्वीकारे गये विशिष्ट उपभोग के आधार पर, डिस्कॉमों के लिए ऊर्जा विक्रय को निम्नानुसार अनुमोदित किया जाता है –

सारणी –18 विव 2011–12 के लिए डिस्कॉमों के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा विक्रय (एमयू)

उपभोक्ता श्रेणी	जविविनिलि	अविविनिलि	जोविविनिलि	योग
घरेलू	3697	2114	2007	7817
अघरेलू	1117	497	505	2119
सार्वजनिक पथ प्रकाश	99	47	164	310
कृषि (मीटरित)	4080	2526	5171	11776
कृषि (फ्लेट)	578	1215	1419	3212
लघु उद्योग	268	240	222	729
मध्यम उद्योग	651	638	451	1741
बृहत् उद्योग	4046	2191	1055	7292
सार्वजनिक जलदाय (ल.)	240	216	267	723
सार्वजनिक जलदाय (म.)	26	31	111	168
सार्वजनिक जलदाय (बृ.)	130	137	394	660
मिश्रित भार	533	363	605	1501
विद्युतकर्षण	409	0	0	409
कुल विक्रय	15874	10214	12370	38458

6 वितरण तथा प्रसारण हानियां

6.1 वितरण हानि

6.1.1 याचिकाकर्ताओं का निवेदन

(1) डिस्कॉमों ने बताया कि फीडर नवीनीकरण कार्यक्रम ने विव 2009–10 के प्रारम्भ से ही हानियां कम करने में उनकी सहायता की है।

(2) जविविनिलि ने बताया कि जविविनिलि के लिए विव 2010–11 तथा विव 2011–12 की वास्तविक वितरण हानियां आयोग द्वारा अपने बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में अनुमोदित वितरण हानि प्रक्षेप पथ जैसी ही रहना प्रत्याशित है। तद्नुसार इसने विव 2010–11 तथा विव 2011–12 के लिए वितरण हानियां 20.50% तथा 19.00% आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में अनुमोदित किये जाने की तर्ज पर प्रस्तावित की है।

(3) अविविनिलि ने बताया कि विव 2010–11 तथा विव 2011–12 के लिए वितरण हानियां आयोग द्वारा दिनांक 15.4.10 के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में अनुमोदित से कम रहना प्रत्याशित है। इसने विव 2010–11 के लिए वितरण हानियां 24% तथा विव 2011–12 के लिए 21% बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में सम्बन्धित वर्षों के लिए अनुमोदित 27% तथा 25% की तुलना में प्रस्तावित की है।

(4) जोविविनिलि ने बताया कि अनुज्ञप्तिधारी की विव 2010–11 के लिए वितरण हानियां आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में अनुमोदित से कम होना प्रत्याशित है। इसने विव 2010–11 के लिए वितरण हानि आयोग द्वारा अनुमोदित 23% के मुकाबले 21% तथा विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा बवटै आदेश में अनुमोदित 21% के मुकाबले 19% रहना माना है।

सारणी –19 विव 2011–12 के लिए वितरण हानियां – प्रस्तावित हानियां

डिस्कॉम का नाम	बवटै आदेश के अनुसार हानियां	प्रस्तावित हानियां
जविविनिलि	19.00%	19.00%
अविविनिलि	25.00%	21.00%
जोविविनिलि	21.00%	19.00%

6.1.2 आयोग का विश्लेषण

(1) विव 2011–12 के लिए जविविनिलि द्वारा प्रस्तावित वितरण हानियां, जो आयोग द्वारा पूर्व में बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में अनुमोदित की गई थी के स्तर पर ही है, को आयोग ने स्वीकार

कर लिया है। अजमेर तथा जोधपुर डिस्कॉमों ने विव 2011–12 के लिए वितरण हानियां आयोग द्वारा दिनांक 15.4.10 के आदेश में अनुमोदित की तुलना में निम्नतर प्रस्तावित की है। आयोग ने अजमेर तथा जोधपुर डिस्कॉमों का विव 2011–12 का वितरण हानियों का प्रक्षेपण स्वीकार कर लिया है क्योंकि हानियों में कमी उपभोक्ता के हित में है। आयोग द्वारा यथानुमोदित वितरण हानियों का लक्ष्य विव 11–12 के लिए निम्नानुसार है :–

सारणी –20 विव 2011–12 के लिए वितरण हानियां

डिस्कॉम का नाम	डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तावित हानियां	आयोग द्वारा अनुमोदित हानियां
जविविनिलि	19.00%	19.00%
अविविनिलि	21.00%	21.00%
जोविविनिलि	19.00%	19.00%

6.2 **प्रसारण हानियां**

6.2.1 **याचिकाकर्ताओं का निवेदन**

डिस्कॉमों ने बताया कि विभिन्न उत्पादन केन्द्रों से उपलब्धता के परिकलन हेतु विगत 52 सप्ताहों की अन्तर्राज्यीय हानियां 3.66% तथा राज्यान्तरिक हानियां 4.40% अवधारित की गयी है।

6.2.2. **आयोग का विश्लेषण**

राज्यान्तरिक प्रसारण हानियों के बारे में आयोग ने, प्रसारण हानि डिस्कॉमों द्वारा निर्धारित हानि 4.40 प्रतिशत के प्रति, 4.30 प्रतिशत अपनायी है जो आयोग द्वारा दिनांक 1.8.2009 के अपने आदेश द्वारा अनुमोदित है। तथापि, राज्य के बाहर प्रसारण हानि डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तावित ही मानी गयी है।

7. **याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतीकरण की तुलना में यथानुमोदित ऊर्जा आवश्यकता**

7.1 ऊपर परिचर्चित विक्रय, वितरण तथा प्रसारण हानियों के आधार पर डिस्कॉमों ने विव 2011–12 के लिए डिस्कॉमों द्वारा यथाप्रस्तावित ऊर्जा आवश्यकता तथा आयोग द्वारा अनुमोदित की जा रही नीचे सारणी में दी गयी है:–

सारणी –21 विव 2011–12 के लिए ऊर्जा आवश्यकता

विशिष्टियां	जविविनिलि		अविविनिलि		जोविविनिलि		योग	
	प्रस्तावित	अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित
उपभोक्ताओं को ऊर्जा विक्रय (एमयू)	17212	15874	10802	10214	13974	12370	41988	38458
वितरण हानि (%)	19.00%	19.00%	21.00%	21.00%	19.00%	19.00%	N.A.	N.A.
जोड़ें– वितरण हानि (एमयू)	4037	3724	2871	2715	3278	2902	10186	9340
डिस्कॉमों की परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	21249	19598	13673	12929	17252	15271	52174	47798
राज्यान्तरिक प्रसारण हानियां	4.40%	4.30%	4.40%	4.30%	4.40%	4.30%	4.40%	4.30%
जोड़ें– राज्यान्तरिक प्रसारण हानियां (एमयू)	932	881	721	581	748	686	2401	2148
प्रसारण कं. परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता	22181	20479	14394	13510	18000	15957	54575	49946
अन्तर्राज्यीय प्रसारण हानियां (%)	3.66%	3.66%	3.66%	3.66%	3.66%	3.66%	3.66%	3.66%
जोड़ें – अन्तर्राज्यीय प्रसारण हानि	264	333	239	150	239	244	742	727
सकल ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	22447	20811	14634	13660	18239	16201	55320	50672

8. विद्युत क्रय लागत

8.1 याचिकाकर्ताओं का निवेदन

8.1.1 डिस्कॉमों ने बताया है कि विद्युत क्रय प्रमात्रा तथा लागत विव 2009–10 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में अनुमोदित से उच्चतर हो गयी हैं। उच्चतर विक्रय के कारण, अल्पकालीन और द्विपक्षीय स्त्रोतों से विद्युत क्रय उच्चतर हो गया है। उन्होनें आगे और बताया कि विद्युत क्रय में उतार –चढ़ाव के कारण, व्यय डिस्कॉमों के नियन्त्रण से बाहर है।

8.1.2 डिस्कॉमों ने विव 2011–12 के लिए विद्युत क्रय आवश्यकता, उनकी याचिका में यथा –प्रस्तुत विक्रय प्रक्षेपणों तथा हानि प्रक्षेपणों को ध्यान में रखते हुये प्रक्षेपित की है। विद्युत आवश्यकता को राज्य उत्पादन इकाइयों, साझेदारी परियोजनाओं से नियतन, अक्षय स्त्रोंतो से क्रय, केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से विद्युत का नवीनतम नियतन, नये उत्पादन केन्द्रों से हकदारी तथा अल्पकालीन स्त्रोंतो के माध्यम से क्रय के माध्यम से पूरा किया जाना नियोजित किया गया है।

8.1.3 डिस्कॉमों ने बताया कि विव 2011–12 के लिए विद्युत क्रय लागत का प्रक्षेपण करते समय उन्होनें निम्नलिखित अवधारणाायें की हैः–

- सभी विद्युत संयन्त्रों से उत्पादन में जविविनिलि, अविविनिलि तथा जोविविनिलि के मध्य हिस्सेदारी 38:31:31 के अनुपात में होगी।
- विभिन्न उत्पादन केन्द्रों से विद्युत के क्रय की लागत को ध्यान में रखा गया है।
- विव 2011–12 में राज्य उत्पादन इकाइयों से, विद्युत उपलब्धता, विव 2009–10 के दौरान विद्युत की उपलब्धता पर आधारित है।
- विव 2010–11 तथा विव 2011–12 के लिए स्थाई लागत विव 2009–10 की स्थाई लागत के ऊपर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि मानते हुये प्रक्षेपित की गयी है।
- कोयला, गैस तथा नाभिकीय विद्युत केन्द्रों सहित केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से विद्युत का नवीनतम नियतन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिनांक 30 नवम्बर 2010 के पत्रानुसार माना गया है।
- पवन, सौर तथा बॉयोमास केन्द्रों से विद्युत उपलब्धता सम्बन्धित वर्षों के लिए दिनांक 15.4.10 के आयोग के आदेशानुसार ध्यान में रखी गई है।

8.1.4 डिस्कॉमों द्वारा यथा – प्रस्तुत विद्युत क्रय की प्रमात्रा तथा लागत निम्नानुसार सारांशित है –

सारणी –22 विव 2011–12 के लिए विक्रय क्रय (एमयू) तथा लागत (करोड़ रू.) – डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत

केन्द्र	जयपुर डिस्कॉम		अजमेर डिस्कॉम		जोधपुर डिस्कॉम	
	इकाइयां	लागत	इकाइयां	लागत	इकाइयां	लागत
राताविनि	3301	854	2693	697	2693	697
राजविनि	659	187	538	152	538	152
एनपीसीआईएल	1041	274	849	223	849	223
राविउनि/राज्य उत्पादन	12544	4137	10233	3375	10233	3375
साझेदारी परियोजनायें	1516	148	1237	121	1237	121
अन्य	523	185	278	101	278	101
गैर–पारम्परिक एवं कैविसं	966	403	788	328	788	328
द्विपक्षीय/ट्रेडिंग	905	452	0	0	632	316
अन्तर्डिस्काम क्रय	991	297	–1983	–595	991	297
योग	22447	6937	14633	4404	18239	5612

8.2 आयोग का विश्लेषण

8.2.1 विव 2011–12 के लिए ऊर्जा उपलब्धता तथा विद्युत क्रय लागत का प्राक्कलन करते समय आयोग ने डिस्कॉमों द्वारा उनकी याचिका में अवधारित कि विव 09–10 के दौरान विद्युत उपलब्धता की क्या स्थिति थी के आधार के बजाए उनकी नवीनतम टैरिफ याचिका पर आधारित राज्य उत्पादन इकाइयों से उत्पादन को ध्यान में रखा है। इसी प्रकार नियतन की नवीनतम स्थिति के अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से उपलब्धता को ध्यान में रखा गया है। उसी प्रकार, विद्युत क्रय लागत का परिकलन किये जाने में नवीनतम टैरिफ आदेशों/याचिकाओं के अनुसार स्थिति को ध्यान में रखा गया है, जैसा कि आदेश में आगे चलकर चर्चा की गयी है।

8.2.2 विद्युत क्रय लागत के प्राक्कलन हेतु, आयोग ने विभिन्न स्त्रोतों से सम्पूर्ण राज्य के लिए उपलब्धता को ध्यान में रखा है। डिस्कॉमवार उपलब्धता तथा लागत के परिकलन हेतु उत्पादन केन्द्रों से विद्युत के जविविनिलि के लिए आरएफएफ के 100 प्रतिशत हिस्से के नियतन को छोड़कर जविविनिलि, अविविनिलि तथा जोविविनिलि को क्रमशः 38 प्रतिशत, 31 प्रतिशत तथा 31 प्रतिशत के नियतन को ध्यान में रखा गया है।

8.3 विव 11–12 के लिए ऊर्जा उपलब्धता तथा लागत

राविउनि केन्द्र

क) आयोग ने कोताविके–VII तथा सूताविके –VI सहित राविउनि के विद्यमान उत्पादन केन्द्रों के लिए संयन्त्र भार धटक तथा ऊर्जा उपलब्धता को राविउनि उत्पादन केन्द्रों के लिए विव 2011–12 दिनांक 30.11.2010 की टैरिफ याचिका के अनुसार माना है। विव 2011–12 के लिए कोताविके–VII तथा सूताविके–VI के लिए स्थाई प्रभार, दिनांक 27.5.2010 के टैरिफ आदेश से विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा यथानुमोदित, ही माने गये हैं। अन्य केन्द्रों के लिए विव 2011–12 के स्थाई प्रभार, दिनांक 16.11.10 के टैरिफ आदेश से विव 2010–11 के लिए आयोग द्वारा यथानुमोदित ही माने गये हैं। परिवर्तनीय प्रभार वही माने गये है जो आयोग ने दिनांक 27.5.2010 तथा 16.11.2010 के टैरिफ आदेश में विव 2010–11 के लिए अनुमोदित किये थे और विव 2011–12 के लिए परिवर्तनीय प्रभार प्राप्त करने के लिए उनमें 5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। माही के लिए प्राथमिक विद्युत प्रभार वही माने गये हैं जो विव–11 के लिए थे।

ख) राविउनि के उत्पादन केन्द्रों से, आयोग द्वारा ध्यान में रखी गयी ऊर्जा उपलब्धता तथा लागत नीचे दी गयी सारणी में दर्शायी गयी है :

सारणी –23 संयन्त्र भार धटक, ऊर्जा उपलब्धता (एमयू) तथा लागत (करोड़ रू.) – विव 2011– 12 के लिए राविउनि केन्द्र

केन्द्र	संभाधा	ऊर्जा उपलब्धता	लागत
कोताविके	87.22%	7264	1787
सूताविके	82%	8193	2641
कोताविके – VII	87.22%	1355	417
सूताविके – VI	82%	1639	606
रागैताविके	70%	646	160
धौलपुर – जीटीपीपी	80%	2250	742
माही जलीय केन्द्र (माही)		118	17.09
लधु तथा सुक्ष्म जल उत्पादन केन्द्र (एमएमएच)		2	1.15

कोताविके के लिए प्रोत्साहन

ग) विव 11–12 के लिए राविउनि की नवीनतम याचिका के अनुसार, केवल कोताविके ही प्रोत्साहन हेतु पात्र है। तद्नुसार आयोग ने विव 2011–12 के लिए कोताविके हेतु अनुमोदित संयन्त्र भार धटक तथा लक्ष्य संयन्त्र भार धटक के आधार पर प्रोत्साहन की गणना की है, जो 14.18 करोड़ रू. होना परिकलित है।

छबड़ा

ध) यह प्रेक्षित किया गया है कि डिस्कॉमों ने छबड़ा की प्रथम 4 इकाइयों से उपलब्धता मानी है। चूंकि इकाइयां 3 एवं 4 विव 2011–12 में उत्पादन शुरू नहीं कर पायेंगी, उन इकाइयों से आयोग ने कोई उपलब्धता नहीं मानी है। विव 2011–12 के लिए पहली इकाई हेतु ऊर्जा उपलब्धता तथा कुल लागत आयोग द्वारा दिनांक 13.6.11 के अपने आदेश द्वारा यथानुमोदित ली गयी है। छबड़ा इकाई– ॥ के लिए ऊर्जा उपलब्धता तथा स्थाई प्रभार 8 महीनों के परिचालन को ध्यान में रखते हुये अनुपातिक आधार पर माने गये हैं। इस संयन्त्र हेतु परिवर्तनीय प्रभार छबड़ा इकाई –। के लिए अनुमोदित किये गये अनुसार ध्यान में रखे गये है। तद्नुसार, उपलब्ध ऊर्जा तथा लागत नीचे दी गई सारणी में दर्शायी गयी है।

सारणी –24 ऊर्जा उपलब्धता (एमयू) तथा लागत (करोड़ रू.) – छबड़ा विव 2011–12 के लिए

केन्द्र	ऊर्जा उपलब्धता	कुल लागत
छबड़ा – 1	1599	445
छबड़ा – 2	1066	296

लिग्नाइट आधारित परियोजनायें

ड.) डिस्कॉमों ने उनकी याचिका में 4 लिग्नाइट आधारित संयन्त्रों अर्थात् राविउनि की गिरल–1, गिरल–2, एनएलसी की बरसिंगसर व राजवैस्ट पावर लि. से उपलब्धता को ध्यान में रखा है। डिस्कॉमों ने गिरल की प्रथम दो इकाइयों से विव 2011–12 की सम्पूर्ण अवधि के दौरान उपलब्धता मानी है, जबकि गिरल–1, जिसे वाणिज्यिक परिचालन तिथि अभी प्राप्त करनी है, से उपलब्धता बहुत ही अनिश्चित है। बरसिंगसर से, डिस्कॉमों ने उपलब्धता पूरे वर्ष के लिए मानी है जबकि संयन्त्र को अभी भी वाणिज्यिक परिचालन तिथि प्राप्त करनी है। राजवेस्ट पावर से डिस्कॉमों ने उनकी प्रस्तुतीकरण में, इसकी सभी 8 इकाइयों से ऊर्जा उपलब्धता प्रक्षेपित की है। तथापि, ऊर्जा उपलब्धता केवल इकाई– 1 तथा 2 से ही सम्भव है।

च) आयोग ने आगे और प्रेक्षित किया है कि अभी तक गिरल–2 को छोड़कर किसी भी लिग्नाइट आधारित परियोजना ने वाणिज्यिक परिचालन तिथि प्राप्त नहीं की है, अतः अभी तक किसी भी परियोजना के लिए टैरिफ का विनिर्धारण नहीं किया गया है। किसी भी टैरिफ के अभाव में आयोग ने लिग्नाइट आधारित विद्युत संयन्त्रों की लागत विद्युत क्रय की सकल पूलित लागत के समान प्राक्कलित की है। तद्नुसार, आयोग ने लिग्नाइट आधारित विद्युत संयन्त्रों से एकमुश्त उपलब्धता तथा लागत को निम्नानुसार अपनाया है :–

सारणी –25 ऊर्जा उपलब्धता (एमयू) तथा लागत (करोड़ रू.) – विव 2011–12 के लिए लिग्नाइट आधारित संयन्त्र

ऊर्जा उपलब्धता	कुल लागत
2500	728

भारत का नाभिकीय विद्युत निगम लि. (एनपीसीआईएल)

छ) सभी तीनों डिस्कॉमों द्वारा विव 2010–11 के लिए एनपीसीआईएल के सभी संयन्त्रों से विद्युत

क्रय की वास्तविक प्रमात्रा को विव 2011–12 के लिए माना गया है। विव 2011–12 के लिए प्रति इकाई परिवर्तनीय प्रभारों का परिकलन विव 2010–11 के वास्तविक परिवर्तनीय प्रभारों में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने राजस्थान परमाणु विद्युत संयन्त्र–1 से ऊर्जा की कोई उपलब्धता नहीं मानी है, क्योंकि लम्बे समय से संयत्र संचालन में नहीं है।

ज) एनपीसी संयन्त्रों से ऊर्जा उपलब्धता तथा कुल विद्युत क्रय लागत को नीचे सारणी में सारांशित किया गया है :

सारणी –26 ऊर्जा उपलब्धता (एमयू) तथा लागत (करोड़ रू.) – विव 2011–12 के लिए एनपीसी

ऊर्जा उपलब्धता	कुल लागत
3089	904

साझेदारी परियोजनायें (सा.प.)

झ) साझेदारी परियोजनाओं के लिए कुल विद्युत क्रय प्रमात्रा तथा लागत विव 2011–12 के लिए राविप्रनि की याचिका के अनुसार मानी गई है। साझेदारी परियोजनाओं के लिए ऊर्जा उपलब्धता तथा कुल विद्युत क्रय लागत को नीचे सारणी में सारांशित किया गया है:

सारणी –27 ऊर्जा उपलब्धता (एमयू) तथा लागत (करोड़ रू.) – विव 2011–12 के लिए – साझेदारी परियोजनायें

ऊर्जा उपलब्धता	कुल लागत
3178	123

राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम तथा अन्य

ञ) राताविनि, राजविनि तथा अन्य स्त्रोतों के विद्यमान संयन्त्रों से विव 2010–11 के लिए वास्तविक विद्युत क्रय प्रमात्रा तथा लागत को उन स्त्रोतों से विद्युत की क्रय लागत के प्राक्कलन हेतु प्रयोग में लाया गया हैं।

ट) विव 11–12 के लिए उन स्त्रोतों से विद्युत क्रय की प्रमात्रा विव 10–11 के स्तर पर ही प्रतिधारित की गई है। लागत वृद्धि को ध्यान में रखने के लिए, उन स्त्रोतों से विव 2011–12 के लिए विद्युत की सम्भावित लागत के प्राक्कलन हेतु विव 2010–11 के परिवर्तनीय अवयव में 5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमत की गई है।

ठ) नये संयन्त्रों के लिए आयोग ने राभाप्रेके द्वारा प्रत्याशित संयन्त्र उपलब्धता को ध्यान में रखा है, जबकि ऊर्जा उपलब्धता तथा लागत, डिस्कॉमों की प्रस्तुति पर आधारित है। कैप्टिव विद्युत संयन्त्रों के लिए विद्युत क्रय, डिस्कॉमों की प्रस्तुति के अनुसार अनुमत किया जाता है।

द) रातावियि, राजवियि, टेहरी, एसजेवीएनएल तथा अन्य संयन्त्रों के लिए ऊर्जा उपलब्धता तथा कुल विद्युत क्रय लागत नीचे दी गई सारणी में सारांशित की गई है:–

सारणी –28 ऊर्जा उपलब्धता (एमयू) तथा लागत (करोड़ रू.) – विव 2011–12 के लिए एनटीपीसी व एनएचपीसी तथा अन्य उत्पादन केन्द्र

संयन्त्र	ऊर्जा उपलब्धता	कुल लागत
एनटीपीसी केन्द्र	7093	1806
एनएचपीसी केन्द्र	1450	362
नाथपा – झाखड़ी	566	163
टेहरी जल	250.16	122
ताला	53.13	10
आरएफएफ	182.5	64
कैविसं	40	12

गैर – पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत

क. **सौर**

ण) वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों, अर्थात् जीबीआई योजना (2008) तथा राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत सौर विद्युत उपलब्ध होना प्रत्याशित है। जीबीआई योजना के अन्तर्गत डिस्कॉमों द्वारा संदेय टैरिफ केन्द्र सरकार से 12.00 रू./किवाध की आ रही सहायिकी के साथ 3.78 रू. /किवाध है। इसी प्रकार राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत छत पर लगाये जाने वाले तथा लधु सौर परियोजनाओं के लिए निवल दर 3.08 रू./किवाध है। प्रवसन योजना के अन्तर्गत और समूहित पारस्परिक विद्युत के साथ रा.सौ.मि.के. के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की भारित औसत लागत, उन योजनाओं के अन्तर्गत सम्भावित उपलब्ध ऊर्जा पर आधारित, क्रमशः 5.58 रू./किवाधा तथा 4.43 रू./किवाध आती है। यह अनुमान है कि समूहित पारम्परिक विद्युत सहित 276 एमयू 4.81 रू./किवाध औसत क्रय मूल्य पर विचाराधीन वर्ष के दौरान डिस्कॉमों को उपलब्ध हो पायेगी।

ख. **पवन**

च) विव 2011–12 के लिए पवन ऊर्जा परियोजनओं से विद्युत क्रय आयोग द्वारा 2010–11 में 1376.05 एमयू की वास्तविक उपलब्धता तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि विव 2010–11 में अनुमानित अधिष्ठापित क्षमता 1521 मेवा थी, जिसका विव 2011–12 के अन्त तक बढ़कर 1966 मेवा होना सम्भावित है, आयेाग पवन ऊर्जा से 4.00 रू. के औसत क्रय मूल्य पर 1768 एमयू की उपलब्धता प्राक्कलित करता है।

ग. **बॅायोमास**

छ) विव 2011–12 के लिए तीनों डिस्कॅामों द्वारा बॅायोमास के लिए यथाप्रस्तुत विद्युत क्रय प्रमात्रा अनुमत कर दी गई है। कुछ बॅायोमास संयन्त्र सरकार की नीतियों के अन्तर्गत टैरिफ प्राप्त कर रहे है तथा कुछ आयोग द्वारा विनिर्धारित के अन्तर्गत। उन दरों को ध्यान में रखते हुये आयोग ने बॅायोमास से क्रय 4.75 रू. प्रति इकाई के अनुमोदित औसत मूल्य पर माना है। तद्नुसार, तीनों डिस्कॅामों के लिए गैर– पारम्परिक स्त्रोतों से कुल लागत तथा उपलब्धता नीचे सारणी में सारांशित है –

सारणी –29 ऊर्जा उपलब्धता (एमयू) तथा लागत (करोड़ रू.) – विव 2011–12 के लिए सौर, पवन व बॅायोमास

संयन्त्र	ऊर्जा उपलब्धता	कुल लागत
सौर	276	133
पवन	1778	711
बॅायोमास	464	220
कुल	2518	1064

अल्पकालीन स्त्रोत

ज) डिस्कॅामों को उनके अपने–अपने विनिहित हिस्से पर आधारित उपलब्ध ऊर्जा को ध्यान में रखने के पश्चात् आयोग ने अनुलग्नक–4 तथा निम्नलिखित उप–पैराओं में यथाइंगित कुल विद्युत क्रय लागत के लिए अजमेर डिस्कॅाम के मामलें में कतिपय अधिशेष तथा जविविनिलि व जोविविनिलि के मामलें में विव 2011–12 में कमी प्राक्कलित की है। आयोग ने विचार किया है कि इस कमी को अजमेर से राज्यान्तरिक क्रय के माध्यम से विद्युत की अतिरिक्त प्रमात्रा की, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित अर्थात् 3.00 रू./किवाध की दर पर, अधिप्राप्ति कर पूरा किया जायेगा तथा शेष ऊर्जा कमी को, गैर– अनुसूचित विनिमय, जो 4.00 रू./इकाई पर

वाराआ की संगणना हेतु प्राक्कलित किया गया है, सहित अल्पकालीन स्त्रोंतो के माध्यम से विद्युत क्रय कर पूरा किया जाना प्राक्कलित है।

8.4 कुल विद्युत क्रय लागत

8.4.1 उपर्युक्त पर आधारित, विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा यथा –निर्धारित विद्युत क्रय प्रमात्रा का स्त्रोतवार तथा डिस्कॉमवार ब्यौरा आदेश के अनुलग्नक–4 में दिया गया है। तीनों डिस्कॉमों के लिए विद्युत क्रय लागत की विस्तृतियों का सारांश नीचे सारणी में दिया गया है:–

सारणी –30 ऊर्जा उपलब्धता (एमयू) तथा लागत (करोड़ रू.) विव 2011–12 के लिए

केन्द्र	जविविनिलि		अविविनिलि		जोविविनिलि		योग	
	इकाइयां	लागत	इकाइयां	लागत	इकाइयां	लागत	इकाइयां	लागत
राताविनि	2695	686	2199	560	2199	560	7093	1806
राजविनि	551	138	449	112	449	112	1449	362
एनपीसीआईएल	1174	343	957	280	957	280	3088	903
राविउनि/राज्य उत्पादन	9169	2708	7480	2209	7480	2209	24129	7126
साझेदारी परियोजनायें	1208	47	985	38	985	38	3178	123
अन्य	513	176	270	92	270	92	1053	360
लिग्नाइट आधारित विद्युत संयत्र	950	276	775	226	775	226	2500	728
गैर–पारम्परिक एवं कैविसं	972	409	793	334	793	334	2558	1077
द्विपक्षीय/ट्रेडिंग	3428	1371	0	0	2195	878	5623	2249
अन्तर्डिस्कॉम क्रय	152	45	-249	-75	97	29	0	0
योग	20811	6200	13660	3775	16201	4757	50672	14732

9 प्रसारण प्रभार

9.1 याचिकाकर्ताओं का निवेदन

9.1.1 डिस्कॉमों ने बताया कि विव 2011–12 के लिए पीजीसीआईएल, राविप्रनि के लिए राज्यान्तरिक प्रभार तथा राभाप्रेके प्रभार, दिनांक 15.4.10 के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में अनुमोदित के अनुसार लिये गये है। डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत प्रसारण तथा राभाप्रेके प्रभारों की विस्तृति नीचे सारणी में सारांशित है–

सारणी –31 प्रसारण प्रभार व राभाप्रेके प्रभार –विव 2011–12 के लिए (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	बवटै आदेश के अनुसार			डिस्कॉमों की प्रस्तुति		
	जविविनिलि	अविविनिलि	जोविविनिलि	जविविनिलि	अविविनिलि	जोविविनिलि
पीजीसीआईएल	74.01	60.38	60.38	74.01	60.38	60.38
राविप्रनि प्रभार	470.23	383.61	383.61	470.23	383.61	383.61
राभाप्रेके प्रभार	12.78	10.43	10.43	12.78	10.43	10.43
कुल प्रसारण प्रभार	557.03	454.42	454.42	557.03	454.42	454.42

9.2 **आयोग का विश्लेषण**

(1) आयोग ने प्रेक्षित किया है कि इसने विव 2011–12 के लिए पीजीसीआईएल तथा राभाप्रेके प्रभार दिनांक 15.4.2010 के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में डिस्कॉमों द्वारा 2009 में दायर उनकी अपनी याचिकाओं में प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर अनुमोदित की थी। चालू याचिका मे डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत किये गये वही आंकड़े स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं, क्योकि समायान्तराल के बाद वे परिवर्तित हो गये हैं।

(2) डिस्कॉमों ने बाद में विव 2010–11 के दौरान पीजीसीआईएल को किये गये भुगतान जो जविविनिलि, अविविनिलि तथा जोविविनिलि के लिए क्रमशः 128.02 करोड़, 109.57 करोड़ रू. तथा 107.04 करोड़ रू. है, की विस्तृतियां उपलब्ध करवाई। ये तत्वतः याचिका में डिस्कॉमों की प्रस्तुति से उच्चतर है और इसलिये आयोग ने विव 2010–11 में विव 2011–12 के लिए पीजीसीआईएल प्रभारों के रूप में संदत्त वास्तविक राशि को, बिना किसी वृद्धि के, ध्यान में रखा है।

(3) प्रसारण प्रभारों के बारे में राविप्रनि ने मार्च 2011 में प्रसारण प्रभारों तथा राभाप्रेके प्रभारों के विनिर्धारण हेतु याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होनें प्रसारण प्रभारों में अत्यधिक उछाल प्रस्तावित किया था और आयोग ने दिनांक 31.3.11 के अपने आदेश द्वारा विव 2011–12 के लिए प्रसारण टैरिफ के रूप में 152 रू./किवा/माह की एक अन्तरिम टैरिफ अनुमोदित की थी, जिसके आधार पर कुल प्रसारण प्रभार 1628.28 करोड़ रू. होना परिकलित है। आयोग ने उसी आदेश द्वारा 3.08 करोड़ रू. प्रतिमाह अर्थात् 36.96 करोड़ रू. प्रतिवर्ष की एक अन्तरिम टैरिफ राभाप्रेके प्रभार के प्रति भी अनुमोदित की थी। उन दोनों प्रभारों पर विव 2011–12 के लिए विचार किया गया है।

(4) आयोग ने उन प्रभारों का जयपुर, अजमेर तथा जोधपुर डिस्कॉमों के लिए क्रमशः 38:31:31 के

अनुपात मे नियतन किये जाने पर विचार किया है। तद्नुसार, विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित किये जा रहे प्रसारण व राभाप्रेके प्रभार निम्नानुसार हैं :–

सारणी –32 विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित प्रसारण प्रभार (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	जविविनिलि	अविविनिलि	जोविविनिलि	योग
पीजीसीआईएल प्रभार	128	110	107	345
राविप्रनि प्रभार	619	505	505	1628
राभाप्रेके प्रभार	14	11	11	37
कुल प्रसारण प्रभार	761	626	623	2010

10 परिचालन एवं संधारण व्यय

10.1 याचिकाकर्ताओं का निवेदन

डिस्कॉमों ने प.एवं.स. व्ययों का प्राक्कलन राविविआ टैरिफ विनियम, 2009 के आधार पर किया है। डिस्कॉमों द्वारा विव 2011–12 के लिए प्रक्षेपित प.एवं.सं. व्यय नीचे सारांशित किये गये हैं–

सारणी –33 विव 2011–12 के लिए परिचालन एवं संधारण व्यय (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	जविविनिलि प्रस्तुति	अविविनिलि प्रस्तुति	जोविविनिलि प्रस्तुति	योग
कर्मचारी लागत	500	314	406	1220
प्रशासकीय व सामान्य लागत	58	36	47	141
मरम्मत एवं संधारण लागत	115	72	94	281
कुल प.एवं.सं. लागत	673	423	547	1643
पूंजीकृत किये जाने वाले व्यय	239	18	93	350
राजस्व को प्रभारित शुद्ध प.एव.सं. लागत	434	404	454	1293

10.2 आयोग का विश्लेषण

10.2.1 आयोग ने प.एवं.सं. व्यय राविविआ टैरिफ विनियम, 2009 के विनियम 119 के अनुसार अनुमत किये है।

10.2.2 आयोग ने विव 2011–12 के लिए प्रासमिक प.एवं.सं. व्यय प्रक्षेपित किये जाने के लिए अनुमत किये गये विक्रय पर विचार किया है। पूंजीकृत प.एवं.स. व्ययों पर डिस्कॉमों द्वारा यथाप्रक्षेपित अनुपात में विचार किया गया है। आयोग द्वारा विव 2011–12 के लिए डिस्कॉमों हेतु अनुमत किये गये प.एवं.सं. व्यय नीचे सारांशित किये गये हैं –

सारणी 34 –विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित परिचालन एवं संधारण व्यय

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	जविविनिलि अनुमोदित	अविविनिलि अनुमोदित	जोविविनिलि अनुमोदित	योग
कर्मचारी लागत	461	297	359	1117
प्रशासकीय व सामान्य लागत	53	34	41	128
मरम्मत एवं संधारण लागत	106	68	83	257
कुल प.एवं.सं. लागत	621	400	484	1505
पूंजीकृत किये जाने वाले व्यय	221	17	82	320
राजस्व को प्रभारित शुद्ध प.एव.सं. लागत	400	382	402	1184

11 सेवान्त लाभ

11.1 याचिकाकर्ताओं का निवेदन

डिस्कॉमों ने बताया कि उन्होनें विव 09–10 से विव 11–12 के लिए सेवान्त लाभ दायित्वों को मूल्यांकन की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रक्षेपित किया है, जिसे नीचे सरणित किया गया है–

सारणी –35 विव 2011–12 के लिए सेवान्त लाभ (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	जविविनिलि प्रस्तुति			अविविनिलि प्रस्तुति			जोविविनिलि प्रस्तुति		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
प्रस्तुत किये गये सेवान्त लाभ	398	413	429	352	361	375	202	209	218

11.2 आयोग का विश्लेषण

11.1.2 डिस्कॉमों ने पहली बार इस दायित्व का विव 2009–10 से भूतलक्षी प्रभाव से दावा किया है। बीमांकिक रिपोर्ट दर्शाती है कि अनिधिबद्ध दायित्व केवल डिस्कॉमों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में है। अन्य कम्पनियों के मामले में, आयोग ने विचार किया कि याचिका में चाहे गये अनिधिबद्ध सेवान्त लाभ दायित्व को वर्तमान नियन्त्रणावधि के दौरान उपयुक्त दर पर विस्तारित किया जायेगा।

11.2.2 तद्नुसार, आयोग ने विचार किया है कि विव 2011–12 तक के लिए याचिका में दावित कुल सेवान्त दायित्व के 50 प्रतिशत को वर्तमान नियन्त्रणावधि अर्थात् विव 11–12 से विव 13–14 की शेष अवधि के दौरान समान रूप से विस्तारित किया जायेगा। तद्नुसार, आयोग द्वारा विव 2011–12 के लिए अनुमत किया गया दायित्व निम्नानुसार है –

सारणी –36 विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित सेवान्त लाभ

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	जविविनिलि			अविविनिलि			जोविविनिलि		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	**2011-12**
प्रस्तुत किये गये सेवान्त लाभ	398	413	429	352	361	375	202	209	218
अनुमोदित सेवान्त लाभ	0	0	207	0	0	181	0	0	105

12 ब्याज तथा वित्त प्रभार एवं कार्यशील पूंजी पर ब्याज

12.1 पूंजीगत व्यय तथा पूंजीकरण

12.2 याचिकाकर्ताओं का निवेदन

पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत दो महत्वपूर्ण परिवर्ती है जो विभिन्न प्राचलों जैसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति, ह्रास, दीर्धकालीन कर्जों पर ब्याज तथा साम्या पर प्रतिफल को प्रभावित करता है। डिस्कॉमों ने बताया कि वे कुछ नई योजनायें अर्थात् मुख्यमंत्री सब के लिए विद्युत योजना (मुमंसलिवियो), ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना (ग्रापंविवियो), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रागांग्राविियो) तथा आर– एपीडीआरपी के अन्तर्गत अन्य योजनायें कार्यान्वित कर रहे है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन में भारी पूंजीगत व्यय करना होगा। मुमंसलिवि योजना के अन्तर्गत, गांवों की मुख्य आबादी क्षेत्र में स्थित न होने वाले उपभोक्ता

समूह को धरेलू कनेक्शन दिये जाने के लिए 11 केवी लाइनों को विस्तारित करना होगा और एकल फेज ट्रान्सफार्मर अधिष्ठापित करने होंगे। ग्रापंविवियो के अन्तर्गत प्रत्येक तीन ग्राम पचायतों के बीच एक सबस्टेशन प्रस्तावित है। इसके कारण 11 केवी फीडरों की लम्बाई तथा भारण कम हो जायेगी, जो बदले में हानियों में कमी तथा आपूर्ति की विश्वसनीयता में वृद्धि का परिणामी होगा। डिस्कॉमों ने उनकी प्रस्तुति में कुल पूंजीगत व्यय तथा पूंजीकरण को नीचे यथासारांशित प्रक्षेपित किया–

सारणी –37 विव 2011–12 के लिए प्रक्षेपित पूंजीगत व्यय तथा पूंजीकरण

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	जविविनिलि प्रस्तुति	अविविनिलि प्रस्तुति	जोविविनिलि प्रस्तुति	योग
पूंजीगत व्यय	1250	1059	1250	3559
पूंजीकरण	1314	1099	1300	3713

12.3 **आयोग का विश्लेषण**

12.3.1 आयोग ने प्रेक्षित किया कि विव 2011–12 के लिए डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत पूंजीगत व्यय तथा पूंजीकरण बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में प्रस्तुत तथा बाद में आयोग द्वारा दिनांक 15.4.2010 के आदेश में अनुमत से बहुत उच्चतर है।

12.3.2 आयोग इससे सहमत है कि नयी योजनाओं के कार्यान्वयन से, पूंजीगत व्यय बढ़ेगा। तथापि, क्योंकि निवेश योजना का अभी तक आयोग द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है न ही विगत वर्षों का ट्रयूअप डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तावित पूंजीकरण के केवल 80 प्रतिशत पर वाराआ के लिए विचार किया जा रहा है। तद्नुसार, पूंजीकरण निम्नानुसार अनुमोदित किया जा रहा है :–

सारणी –38 विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित प्रक्षेपित पूंजीकरण

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	जविविनिलि अनुमोदित	अविविनिलि अनुमोदित	जोविविनिलि अनुमोदित	योग
पूंजीकरण	1051	879	1040	2970

12.4 **ऋणों पर ब्याज, पट्टा किराया तथा वित्त प्रभार**

12.4.1 **याचिकाकर्ताओं का निवेदन**

(1) डिस्कॉमों ने दीर्ध–कालीन ऋणों पर ब्याज विगत दीर्धकालीन ऋणों तथा पूंजीगत व्यय की

भावी आवश्यकताओं के आधार पर प्रक्षेपित किया है। डिस्कॉमों ने बताया कि वे विगत में टैरिफ से पूरी लागत वसूल करने में सफल नहीं हो पाये है, जो भारी राजस्व धाटे का परिणामी रहा है। इसलिए डिस्कॉमों को राजस्व धाटे को पूरा करने के लिए अल्प–कालीन ऋण लेने पड़े।

(2) विव 2011–12 के लिए ब्याज प्रभार तथा वित्त प्रभार नीचे सारणी में सारांशित किये गये हैं –

सारणी –39 विव 2011–12 के लिए ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	जविविनिलि की प्रस्तुति	अविविनिलि की प्रस्तुति	जोविविनिलि की प्रस्तुति
ब्याज प्रभार	1422	1777	1251
पूंजीकृत ब्याज व्यय	11	574	50
कुल ब्याज व वित्त प्रभार	1411	1203	1201

(3) डिस्कॉमों ने आगे और बताया कि वार्षिक पुनर्भुगतान, अनुमत किये गये वार्षिक ह्रास से अधिक होंगे।

12.4.2 **<u>आयोग का विश्लेषण</u>**

(1) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के बारे में ब्याज तथा वित्त प्रभारों की आयोग द्वारा गणना निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुये की गई है –

क) दिनांक 15.4.2010 के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में विव 2010–11 के लिए अनुमत किये गये दीर्ध–कालीन ऋणों का अन्तिम शेष, जिसमें विगत वर्षों के लिए ट्रयूइंग–अप का संधात सम्मिलित है, को ट्रयूइंग–अप का प्रभाव संधारित किये जाने की दृष्टि से आयोग द्वारा विव 2011–12 का प्रारम्भिक शेष माना गया है।

ख) वर्ष के दौरान पूंजीकरण के लिए वांछित दीर्धकालीन ऋणों को उपभोक्ता अंशदान, पूंजी अनुदान तथा वर्ष के दौरान प्राप्त साम्या की राशि से कम कर दिया गया है।

ग) विव 2011–12 के लिए पुनर्भुगतान, राविविआ टैरिफ विनियम, 2009 में यथा विहित, आयोग द्वारा विव 2011–12 के लिए अनुमत ह्रास तक स्थिर कर दिया गया है।

ध) विव 2011–12 के लिए पूंजीकरण, पूर्ववर्ती पैराओं में यथा –चर्चित, माना गया है।

ड.) साम्या, उपभोक्ता अंशदान तथा अनुदान विव 2011–12 के लिए बवटै आरूपों में तीनों डिस्कॉमों द्वारा यथा– प्रस्तुत माने गये हैं।

च) भारित औसत ब्याज दर विव 11–12 के लिए मानी गयी है।

छ) वित्त प्रभार, तीनों डिस्कॉमों द्वारा चाहे गये अनुसार अनुमत किये गये हैं

ज) प्रतिभूति निक्षेप डिस्कॉमों द्वारा उनके कार्यशील पूंजी आरूप में यथा– प्रस्तुत मानी गयी है। प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज, प्रचलित बैंक दर पर अनुमत किया गया है।

झ) पूंजीकृत ब्याज को, पूंजीकृत ब्याज तथा डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत कुल सकल ब्याज प्रभारों के अनुपातानुसार लिया गया है।

(2) उपर्युक्त के आधार पर तीनों डिस्कॉमों के लिए विव 2011–12 हेतु अनुमोदित ब्याज एवं वित्त प्रभार (पूंजीकृत परिसम्पतियों के सम्बन्ध में) नीचे सारणी में सारांशित किये गये हैं –

सारणी –40 विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित ब्याज एवं वित्त प्रभार

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	जविविनिलि अनुमोदित	अविविनिलि अनुमोदित	जोविविनिलि अनुमोदित	योग
दीर्धावधि ऋणों का प्रारम्भिक शेष	3710	2316	2018	8044
पूंजीकरण	1051	879	1040	2970
साम्या द्वारा वित्त पोषित पूंजीगत व्यय	200	160	250	610
उपभोक्ता अंशदान तथा अनुदानों द्वारा वित्त पोषित पूंजीगत व्यय	300	209	280	789
पूंजीगत व्ययों हेतु दीर्धकालीन ऋणों की प्राप्ति	551	510	510	1571
मूल पुनर्भुगतान	244	119	131	494
दीर्धकालीन ऋणों पर अन्तिम शेष	4017	2708	2397	9122
औसत दीर्धकालीन ऋण	3863	2512	2208	8583
दीर्धकालीन ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	10.79%	10.55%	9.75%	-
दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज	417	265	215	897
प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	30	23	18	70
वित्त प्रभार तथा पट्टा किराया	9	-	-	9
सकल ब्याज प्रभार	455	288	233	976
पूंजीकृत ब्याज व्यय	4	93	9	106
कुल ब्याज व वित्त प्रभार	452	195	224	871

12.4.3 **विगत वर्षों के राजस्व अन्तर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऋण**

(1) डिस्कॉमों का राजस्व अन्तर, एक ओर आपूर्ति की लागत में वृद्धि तथा लागत वृद्धि को टैरिफ संशोधन के माध्यम से या अन्यथा राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायिकी के माध्यम से समायोजित करवाने में अनुज्ञप्तिधारी की असमर्थता के कारण वर्षों पर्यन्त संचित हो गया है। बवटै आदेश में निर्धारित, 31.3.2009 तक का अपूरित 15540 करोड़ रू. का राजस्व धाटा वर्ष 2009–10 तथा 10–11 में और बढ़ गया है। बहुवर्षीय टैरिफ याचिका की सुनवाई के दौरान डिस्कॉमों द्वारा यह सूचित किया गया कि 31.3.2009 तक के संचित धाटे को 23 वर्षों की अवधि में सरकारी सहायता के माध्यम से परिसमापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार, डिस्कॉमों ने सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। कथित धाटा वर्ष 09–10 तथा 10–11 में और बढ़ गया, जिसे डिस्कॉमों ने बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में निर्धारित किये गये अनिधिबद्ध अन्तर से अत्यधिक होना इंगित किया।

(2) डिस्कॉमों ने उनके संचालनों को बनाये रखने की दृष्टि से धाटे को पूरा करने के लिए भारी उधारों का सहारा लिया। आयोग उक्त धाटे के कारण लिये गये ऋण पर उनकी वाराआ में ब्याज अनुमत किये जाने के पक्ष में है, परन्तु आंशिक। उनके मामलों को उपलब्ध साधनों तक व्यवस्थित करने का दायित्व अनुज्ञप्तिधारीयों का है या अन्यथा, उन्हें टैरिफ को समायोजित करवाने की कार्यवाही करनी चाहिए थी या सरकार से अतिरिक्त सहायिकी प्राप्त करनी चाहिए थी। राजस्व धाटे को पाटने के लिए अनियंत्रित उधार उपभोक्ताओं के भार को प्रपाती कर बढ़ाने का प्रभाव लायेगा। इसके अलावा विव 09–10 तथा विव 10–11 की वाराआ अभी तक ट्रयूअप नहीं की गयी है। इसलिए, बवटै आदेश में निर्धारित किये गये अनिधिबद्ध अन्तर की सीमा तक राजस्व धाटे के प्रति ऋण 11–12 की वाराआ में अनुमत किया जा रहा है जो डिस्कॉमों के विव 09–10 लेखों तथा याचिका में विव 10–11 के लिए किये गये प्रक्षेपण पर आधारित 21579 करोड़ रू. के अन्तर से काफी कम है। इसी तरह सरकार के इस निर्णय के कारण कि 31.3.2009 के संचित धाटे को ही परिसमापित किया जाना है, केवल विव 09–10 तथा विव 10–11 के अनिधिबद्ध अन्तर को ही ध्यान में रखा जा रहा है।

(3) तद्नुसार, ऋण के प्रयोजनार्थ स्वीकार किये जा रहे अनिधिबद्व अन्तर निम्नानुसार है :–

सारणी –41 विद्यमान टैरिफ पर राजस्व अन्तर (बवटै के अनुसार)

अनुज्ञप्तिधारी	अनिधिबद्व अन्तर (करोड़ रू.)		
	विव 10	विव 11	योग
जविविनिलि	519	396	915
अविविनिलि	1112	1353	2465
जोविविनिलि	1109	1322	2431
महायोग	2740	3071	5811

(4) उपरोक्त राशि पर अनुमत किये गये अतिरिक्त ब्याज तथा तीनों डिस्कॉमों के लिए विव 2011–12 के लिए कुल ब्याज प्रभारों को नीचे दी गयी सारणी में सारांशित किया गया है–

सारणी –42: विव 2011–12 के लिए कुल ब्याज प्रभार

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	जविविनिलि अनुमोदित	अविविनिलि अनुमोदित	जोविविनिलि अनुमोदित	योग
राजस्व के अन्तर को पूरा करने हेतु अतिरिक्त ऋण	915	2465	2431	5810
औसत ब्याज दर (%)	10.79%	10.55%	9.75%	
ब्याज दायित्व	99	260	237	596
कुल ब्याज (पूंजीकृत परिसम्पत्तियों हेतु) तथा वित्त प्रभार	452	195	224	871
विव 2011–12 के लिए कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार	550	455	461	1466

12.5 कार्यशील पूंजी पर ब्याज

12.5.1 याचिकाकर्ताओं का निवेदन

डिस्कॉमों ने बताया कि कार्यशील पूंजी की जरूरत उनकी प्रचालनीय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा राजस्व धाटे के निधियन के लिए पड़ती है। डिस्कॉमों ने विव 2011–12 के लिए पूंजी की आवश्यकता राविविआ टैरिफ विनियमों के अनुसार प्राक्कलित की और उसे नीचे सरणित किया गया है:

सारणी –43 विव 2011–12 के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	जविविनिलि प्रस्तुति	अविविनिलि प्रस्तुति	जेविविनिलि प्रस्तुत	जोविविनिलि प्रस्तुति
प.एवं.सं. व्यय पर प्रतिमानानुसार	72	65	56	193
संधारण स्पेयर्स (प्रतिमानानुसार)	129	117	101	347
प्राप्यतायें (प्रतिमानानुसार)	1263	874	1020	3157
धटायें :–				
उपभोक्ताओं की प्रतिभूति निक्षेप	495	381	297	1173
कुल कार्यशील पूंजी	969	676	880	2525
ब्याज दर (प्रतिशत)	12.25%	12.25%	12.25%	
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	119	83	108	310

12.5.2 आयोग का विश्लेषण

(1) आयोग द्वारा कार्यशील पूंजी पर प्रासमिक ब्याज, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुये संगणित किया गया है –

i. राविविआ टैरिफ विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट प्रतिमान

ii आयोग द्वारा विव 2011–12 के लिए, अनुमोदित प.एवं.स. व्ययों को कार्यशील पूंजी की आवयश्कता की संगणना किये जाने के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखा गया है।

iii प्राप्यतायें, आयोग द्वारा विव 2010 तथा विव 2011 के लिए अनुमोदित विद्युत विक्रय से राजस्व के आधार पर मानी गयी हैं।

iv आयोग द्वारा विव 2011–12 के लिए डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति निक्षेप अनुमोदित की गई है।

v. डिस्कॉमों द्वारा कार्यशील पूंजी पर मानी गयी ब्याज की दर, डिस्कॉमों द्वारा विव 2011–12 के लिए अल्पकालीन ऋण के सम्बन्ध में प्रपत्र सं. 3.6 में डिस्कॉमों के प्रस्तुतीकरण से परिकलित भारित औसत ब्याज दर की तुलना में उच्चतर है। इसलिए आयोग ने ब्याज की दर याचिका के प्रपत्र सं. 3.6 के अनुसार ही मानी है।

vi तद्नुसार कार्यशील पूंजी पर आयोग द्वारा अनुमत ब्याज निम्नानुसार है–

सारणी –44 : विव 2011–12 के लिए कार्यशील पूंजी पर आयोग द्वारा अनुमोदित ब्याज

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	जविविनिलि अनुमोदित	अविविनिलि अनुमोदित	जोविविनिलि अनुमोदित	योग
प.एवं.सं. व्यय पर प्रतिमाननुसार	33	32	33	98
संधारण स्पेयर्स (प्रतिमानानुसार)	60	57	60	177
प्राप्तयतायें (प्रतिमानानुसार)	1042	684	806	2532
धटायें :–				
उपभोक्ताओं की प्रतिभूति निक्षेप	495	381	297	1173
कुल कार्यशील पूंजी	640	392	603	1635
ब्याज दर (प्रतिशत)	11.01%	10.99%	9.51%	
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	70	43	57	170

13 ह्रास

13.1 याचिकाकर्ताओं का निवेदन

डिस्कॉमों ने बताया कि विव 2011–12 के लिए ह्रास का प्रक्षेपण, प्रारम्भिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा वर्ष के दौरान हुये परिवर्धन पर ह्रास की प्रयोज्य दरों को प्रयुक्त करते हुये किया गया है। ह्रास के सम्बन्ध में तीनों डिस्कॉमों की प्रस्तुति नीचे सरणित की गई है–

सारणी –45 विव 2011–12 के लिए ह्रास (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	जविविनिलि प्रस्तुति	अविविनिलि प्रस्तुति	जोविविनिलि प्रस्तुति
ह्रास	319	185	204

13.2 आयोग का विश्लेषण

13.2.1 आयोग ने निम्नलिखित के आधार पर ह्रास अनुमत किया है –

क) आयोग द्वारा, दिनांक 15.4.2010 के आदेश में, विव 2010–11 के लिए अनुमत की गयी अवमूल्यनीय परिसम्पत्तियों, जिसमें विगत वर्षों के लिए ट्रयूइंग–अप का संधात भी सम्मिलित है, के अन्तिम शेष को ट्रयूइंग–अप के प्रभाव को संधारित किये जाने के लिए विव 2011–12 के लिए प्रारम्भिक शेष माना गया है।

ख) विव 2011–12 के लिए पूंजीकरण पूर्व में यथाचर्चित माना गया है।

ग) विव 2011–12 के लिए अवमूल्यनीय परिसम्पत्तियों को उपभोक्ता अंशदान तथा सम्बन्धित वर्षों में प्राप्त पूंजीगत अनुदानों की राशि से कम कर दिया गया है।

ध) तीनों डिस्कॉमों द्वारा विव 2011–12 के लिए प्रस्तुत उपभोक्ता अंशदान तथा अनुदान स्वीकार कर लिये गये है।

ड.) औसत ह्रास दर की गणना, विव 2011–12 के तीन डिस्कॉमों द्वारा यथा प्रस्तुत, प्रारम्भिक तथा अन्तिम स्थाई परिसम्पत्तियों के औसत पर वर्ष के दौरान ह्रास की प्रतिशतता के रूप में की गई है।

च) तीनों में से प्रत्येक डिस्कॉम को आयोग द्वारा अनुमत ह्रास नीचे संरणित किया गया है –

सारणी –46 विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित ह्रास

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	जविविनिलि अनुमोदित	अविविनिलि अनुमोदित	जोविविनिलि अनुमोदित	योग
वर्ष के प्रारम्भ में अवमूल्यनीय परिसम्पत्तियां	6024	4655	3904	14583
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	1051	879	1040	2970
धटायें– वर्ष के दौरान उपभोक्ता अंशदान तथा पूंजी अनुदान	300	209	280	789
वर्ष के दौरान जोड़ी गयी अवमूल्यनीय परिसम्पत्तियां	751	670	760	2181
वर्ष के अन्त में अवमूल्यनीय परिसम्पत्तियां	6775	5325	4664	16764
वर्ष के दौरान औसत अवमूल्यनीय परिसम्पत्तियां	6400	4990	4284	15674
औसत ह्रास दर	3.82%	2.38%	3.05%	
ह्रास	244	119	131	494

14. साम्या पर प्रतिफल

14.1 याचिकाकर्ताओं का निवेदन

डिस्कॉमों ने बताया कि जैसा की पूर्व में स्पष्ट किया गया है, चूंकि अनुज्ञप्तिधारी टैरिफ से पूरी लागत को वसूल करने में समर्थ नहीं हो पाये हैं और राजस्व अन्तर को पूरा करने के लिए, राजस्थान सरकार की सहायिकी पर निर्भर रहना पड़ता है, अनुज्ञप्तिधारी ने विव 11–12

के लिए साम्या पर कोई प्रतिफल प्रस्तावित नहीं किया है।

14.2 **आयोग की प्रेक्षिति**

चूंकि डिस्कॉमों ने साम्या पर कोई प्रतिफल नहीं चाहा है, आयोग ने भी साम्या पर प्रतिफल पर विचार नहीं किया है।

15. गैर–टैरिफ आय

15.1 **याचिकाकर्ताओं का निवेदन**

डिस्कॉमों ने विव 11–12 के लिए स्टॉफ से ऋण पर ब्याज, स्थाई जमाओं पर ब्याज, स्थाई परिसम्पत्तियों के विक्रय पर लाभ आदि सहित गैर– टैरिफ आय को नीचे दिये गये अनुसार प्रक्षेपित किया है :–

सारणी –47 विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित ह्रास

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	जविविनिलि	अविविनिलि	जोविविनिलि	योग
कुल गैर–टैरिफ आय	99	112	89	300

15.2 **आयोग का विश्लेषण**

आयोग प्रेक्षित करता है कि गैर–टैरिफ आय को यथार्थता से प्राक्कलित नहीं किया जा सकता है। इसलिए आयोग के पास डिस्कॉमों द्वारा विव 2011–12 के लिए प्रक्षेपित गैर–टैरिफ आय को स्वीकारने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए उसे अनुमत किया जा रहा हैं।

16. समग्र राजस्व आवश्यकता

16.1 **याचिकाकर्ताओं का निवेदन**

तीनों डिस्कॉमों द्वारा विव 2011–12 के लिए प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता नीचे सारणी में दी गयी है–

सारणी –48 विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित ह्रास

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां		2011–12			
		जविविनिलि	अविविनिलि	जोविविनिलि	योग
1	विद्युत क्रय	6937	4404	5612	16953
2	प्रसारण प्रभार				
	(i) पीजीसीआईएल	74	60	60	194

	(ii) राविप्रनि	470	384	384	1238
	(iii) राभाप्रेके	13	10	10	33
3	प.एवं.सं. व्यय (प्रासमिक)	434	404	454	1292
4	सेवान्त लाभ	429	375	218	1022
5	ब्याज तथा वित्त प्रभार	1411	1203	1201	3815
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज (प्रासमिक)	119	83	108	310
7	ह्रास	319	185	204	708
8	अन्य व्यय	0	0	0	0
9	सकल समग्र राजस्व आवश्यकता	10206	7108	8251	25565
10	धटायें– गैर–टैरिफ आय	99	112	89	300
11	धटायें – ट्रेड्रिग गतिविधि से आय	0	0	0	0
12	समग्र राजस्व आवश्यकता	10108	6995	8162	25265

16.2 **आयोग का अनुमोदन**

आयोग ने पूर्वगामी भागों में चर्चित व्यय के मदों के आधार पर विव 2011–12 के लिए वाराआ को अनुमोदित कर दिया है और वही नीचे सारणी में सारांशित है :

सारणी –49 विव 2011–12 के लिए सभी तीनों डिस्कॉमों के लिए सराआ का सारांश – आयोग द्वारा अनुमोदित

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां		2011–12			
		जविविनिलि	अविविनिलि	जोविविनिलि	योग
1	विद्युत क्रय	6200	3775	4757	14732
2	प्रसारण प्रभार				
	(i) पीजीसीआईएल	128	110	107	345
	(ii) राविप्रनि	619	505	505	1628
	(iii) राभाप्रेके	14	11	11	37
3	प.एवं.सं. व्यय (प्रासमिक)	400	382	402	1184
4	सेवान्त लाभ	207	181	105	493
5	ब्याज तथा वित्त प्रभार	550	455	461	1466
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज (प्रासंमिक)	70	43	57	170
7	ह्रास	244	119	131	494

8	समग्र राजस्व आवश्यकता	8433	5581	6536	20550
9	धटायें :– गैर– टैरिफ आय	99	112	89	300
10	निवल समग्र राजस्व आवश्यकता	8334	5469	6446	20249

16.3 विद्यमान टैरिफ पर आधारित राजस्व तथा राजस्व धाटा

16.3.1 याचिकाकर्ताओं का निवेदन

16.3.2 विद्यमान टैरिफ पर राजस्व

डिस्कॉमों ने विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय पर आधारित विद्युत विक्रय से राजस्व को प्रक्षेपित किया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए राजस्व आयोग के दिनांक 17. 12.2004 के आदेश द्वारा अनुमोदित फुटकर टैरिफ के आधार पर संगणित किया गया है।

16.3.3 अन्य प्रभार/आय

डिस्कॉमों ने अन्य प्रभार (विद्युत कर सहित) विव 2011–12 की गैर–टैरिफ आय से भी ऊपर, यह उल्लेख करते हुये प्रस्तावित किये हैं कि यह माना जाता है कि सरकार, सरकार के निमित्त संगृहीत विद्युत कर की राशि को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिधारित किया जाना अनुमत कर देगी। डिस्कॉमों ने अन्य आय (जैसे मीटर तथा ट्रान्सफार्मर किराया, चोरी तथा कदाचार आदि) भी प्रस्तावित की है। डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रभार तथा अन्य आय को नीचे सारांशित किया गया है–

सारणी –50 विव 2011–12 के लिए अन्य प्रभार तथा अन्य आय (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	जविविनिलि प्रस्तुति	अविविनिलि प्रस्तुति	जोविविनिलि प्रस्तुति
अन्य प्रभार	360	246	224
अन्य आय	124	94	167

डिस्कॉमों की प्रस्तुति के अनुसार विद्यमान टैरिफ से विव 11–12 में राजस्व निम्नानुसार है–

सारणी –51 विव 2011–12 के लिए विद्यमान टैरिफ से राजस्व– डिस्कॉमों की प्रस्तुति (करोड़ रू.)

उपभोक्ता श्रेणी	विव 2011–12	विव 2011–12	विव 2011–12	विव 2011–12
	जविविनिलि	अविविनिलि	जोविविनिलि	योग
घरेलू	1263	771	737	2771
अघरेलू	590	258	263	1111
सार्वजनिक पथ प्रकाश	37	17	59	113

कृषि (मी.)	620	365	766	1751
कृषि (फ्ले.)	93	134	213	440
लधु उद्योग	117	100	93	310
मध्यम उद्योग	295	272	206	773
एचटी – वृहत उद्योग	1697	987	465	3149
सार्वजनिक जलदाय – लधु	89	81	101	271
सार्वजनिक जलदाय – मध्यम	11	13	45	69
सार्वजनिक जलदाय – वृहत	54	59	166	279
मिश्रित भार हेतु प्रपुंजापूर्ति	227	150	250	627
एचटी– विद्युतकर्षण रेलवे	173	.	.	173
योग	5265	3207	3364	11836
अन्य प्रभार *	360	246	224	830
अन्य आय **	124	94	167	385
योग	5749	3547	3755	13051

* यह माना गया है कि सरकार अनुज्ञप्तिधारी को सरकार के निमित्त संगृहीत विद्युत कर को प्रतिधारित करने के लिए अनुमत करेगी।
* मीटर एवं ट्रान्सफार्मर किराया, चोरी तथा कदाचार, विलम्ब से भुगतान पर अधिभार तथा अन्य आय।

16.4 **राजस्व धाटा**

डिस्कॉमों द्वारा विव 2011–12 के लिए, बिना टैरिफ वृद्धि के, प्रस्तुत राजस्व धाटा नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

सारणी –52 विव 2011–12 के लिए विद्यमान टैरिफ से राजस्व धाटा/अधिशेष

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	**जविविनिलि**	**अविविनिलि**	**जोविविनिलि**	**योग**
समग्र राजस्व आवश्यकता	10108	6995	8162	25265
विद्यमान टैरिफ पर पूरे वर्ष के लिए राजस्व उत्पादन (विद्युत कर सहित अन्य प्रभारों सहित व अन्य आय)	5749	3547	3755	13051
राजस्व धाटा	4359	3448	4407	12214

राज. सरकार से संक्रमणकालीन नकद समर्थन	152	124	124	400
शुद्ध राजस्व धाटा	4207	3324	4283	11814

16.5 आयोग का विश्लेषण

16.5.1 आयोग ने विद्यमान टैरिफ से राजस्व की गणना आयोग द्वारा अनुमोदित उपभोक्ता श्रेणीवार ऊर्जा विक्रय तथा आयोग द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर 2004 के आदेश द्वारा अनुमोदित फुटकर टैरिफ के आधार पर की है। डिस्कॉमों ने उनकी याचिका में वर्तमान टैरिफ पर 1.10 रू./इकाई गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी, 0.25 रू./इकाई लधु धरेलू, 0.20 रू./इकाई कृषि मीटरित सामान्य श्रेणी और 55 रू./एचपी कृषि फ्लेट सामान्य श्रेणी के लिए सहायिकी दर्शायी है। आयोग ने इसके द्वारा विनिर्धारित टैरिफ से राजस्व का परिकलन किया है क्योंकि डिस्कॉमें सहायिकी अवयव सरकार से प्राप्त कर रही हैं तथा शेष उपभोक्ताओं से अर्थात् पूर्ण टैरिफ पर आधारित राजस्व। डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तावित अन्य आय स्वीकार कर ली गई है। तीनों डिस्कॉमों की विव 2011–12 के लिए विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों से विद्यमान टैरिफ पर राजस्व को नीचे सारणी में सारांशित किया गया है–

सारणी –53 विव 2011–12 के लिए विद्यमान टैरिफ से राजस्व– आयोग द्वारा अनुमोदित

(करोड़ रू.)

उपभोक्ता श्रेणी	जविविनिलि	अविविनिलि	जोविविनिलि	योग
घरेलू	1353	817	775	2945
अघरेलू	594	269	272	1136
सार्वजनिक पथ प्रकाश	39	19	61	119
कृषि (मी.)	506	311	602	1419
कृषि (फ्ले.)	69	143	166	378
लधु उद्योग	117	100	93	311
मध्यम उद्योग	295	272	206	772
वृहत उद्योग	1697	987	465	3149
सार्वजनिक जलदाय – लधु	89	81	101	271
सार्वजनिक जलदाय – मध्यम	11	13	45	69
सार्वजनिक जलदाय – वृहत	54	59	166	279
मिश्रित भार हेतु प्रपुंजापूर्ति	227	150	250	627

विद्युतकर्षण	173	–	–	173
टैरिफ से राजस्व	5224	3220	3204	11648
अन्य आय *	124	94	167	385
कुल आय	5348	3314	3371	12033

* मीटर एवं ट्रान्सफार्मर किराया, चोरी तथा कदाचार, विलम्ब से भुगतान पर अधिभार तथा अन्य आय।

16.5.2 आयोग ने प्रेक्षित किया है कि डिस्कॉमों ने राजस्व धाटे के परिकलन में विद्युत कर को राजस्व के रूप में माना है, जो गलत है। विद्युत कर राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किया जाता है, इसलिए डिस्कॉमों द्वारा उसकी प्राप्ति तथा प्रतिधारिता राज्य सरकार से परिदान/सहायिकी तुल्य है। आयोग ने, तद्नुसार इसे डिस्कॉमों द्वारा उनकी याचिका में यथादर्शित अन्य अनुदानों के साथ ही राज्य सरकार से सहायिकी के रूप में माना है।

16.5.3 वाराआ तथा आयोग द्वारा यथा– विनिर्धारित विद्यमान टैरिफ पर राजस्व तथा आयोग द्वारा उनकी याचिका में दर्शायी गयी सरकारी सहायिकी व संक्रमणकालीन समर्थन को ध्यान में रखते हुये तीनों डिस्कॉमों के लिए विद्यमान टैरिफ पर राजस्व अन्तर निम्नानुसार परिकलित हैः

सारणी –54 विव 2011–12 के लिए विद्यमान टैरिफ से राजस्व धाटा/अधिशेष– आयोग द्वारा अनुमोदित

(करोड़ रू.)

उपभोक्ता श्रेणी	जविविनिलि	अविविनिलि	जोविविनिलि	योग
समग्र राजस्व आवश्यकता	8334	5469	6446	20249
विद्यमान टैरिफ (अन्य आय सहित) पर पूरे वर्ष के लिए राजस्व उत्पादन	5348	3314	3371	12033
राजस्व धाटा	**2986**	**2155**	**3075**	**8216**
विद्युत कर प्रतिधारण सहित सरकार से समर्थन	366	251	228	845
राज. सरकार संक्रमणकालीन रोकड़ समर्थन	152	124	124	400
शुद्ध राजस्व धाटा	**2468**	**1780**	**2723**	**6971**

टिप्पणी :– 1245 करोड़ रू. (845 + 400 करोड़ रू.) का राजस्व समर्थन, आयोग द्वारा विशिष्ट उपभोक्ता समूहों की विनिर्धारित टैरिफ के प्रति राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायिकी, के अतिरिक्त है।

भाग 4 – टैरिफ प्रस्ताव तथा अनुमोदित टैरिफ

17 टैरिफ प्रस्ताव

17.1 जैसा कि पूर्वगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है, उन्नत प्रसारण एवं वितरण हानियों के प्रभाव को लेने, ब्याज तथा अन्य व्ययों को प्रासमिक आधार पर अनुमत किये जाने तथा राज्य सरकार से प्रत्याशित सहायिकी को लेखाबद्ध किये जाने के बावजूद भी विद्यमान टैरिफ पर जविविनिलि, अविविनिलि व जोविविनिलि का क्रमशः 2468, 1780 तथा 2723 करोड़ रू. का अपूरित अन्तर रहेगा। यह राशि सभी डिस्कॉमों के लिए एक साथ 6971 करोड़ रू. होगी।

17.2 डिस्कॉमों ने टैरिफ का संशोधन प्रस्तावित किया है जो डिस्कॉमों के लिए विव 2011–12 के दौरान निम्नानुसार 3168 करोड़ रू. के अतिरिक्त राजस्व का अग्रग होगा।

सारणी –55 विव 2011–12 के लिए डिस्कॉमों द्वारा यथा प्रस्तावित अपेक्षित अतिरिक्त राजस्व

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	अपेक्षित अतिरिक्त राजस्व
जविविनिलि	1478.00
अविविनिलि	856.00
जोविविनिलि	834.00
योग	3168.00

17.3 2011–12 के दौरान टैरिफ का संशोधन किया जाकर प्रस्तावित अतिरिक्त राजस्व का बढ़ाया जाना सम्पूर्ण राजस्व धाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और अभी भी अपूरित धाटा बना रहेगा।

17.4 जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है अभी भी भारी अन्तर रहता है तथा राजस्व अन्तर को पाटा नहीं जा सकेगा क्योकि आपूर्ति की लागत और औसत प्राप्ति में अन्तर अत्यधिक है। इसलिए राजस्व धाटे को पूरा करने के लिए टैरिफ में संशोधन न केवल उचित लगता है, वरन् इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति वास्तव में, पिछले छः वर्षों से भी अधिक समय से टैरिफ में संशोधन न किये जाने के कारण बहुत ही खराब है, जबकि इस अवधि में आपूर्ति की लागत काफी बढ़ गयी है।

17.5 डिस्कॉमों के विशिष्ट प्रस्तावों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गयी है। हितधारकों की आपत्तियों/टीका–टिप्पणी को व्यवहृत करते समय इस आदेश में पूर्व में इंगित किये गये आयोग के मत को टैरिफ प्रस्तावों पर निर्णय में समाविष्ट कर लिया गया है।

17.6 डिस्कॉमों ने उल्लेख किया है कि वे कतिपय श्रेणियों के लिए राज्य सरकार से सहायिकी प्राप्त कर पायेंगी। प्रत्येक श्रेणी के लिए टैरिफ का विनिर्धारण बिना सहायिकी के किया गया है, परन्तु डिस्कॉमों द्वारा अभ्यारोपित सहायिकी का भी उल्लेख किया गया है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायिकी के फलस्वरूप ऐसी श्रेणी के उपभोक्तओं द्वारा संदेय राशि सहायिकी की राशि से कम हो जायेगी।

18. टैरिफ का विनिर्धारण

18.1 धरेलू सेवा (एलटी–1 तथा एचटी–1)

18.1.1 डिस्कॉमों ने धरेलू श्रेणी में स्लेब की संख्या दो से बढ़ा कर चार किया जाना प्रस्तावित किया है। उन्होनें तर्क दिया कि स्लेबों की संख्या में वृद्धि इसे ध्यान में रखते हुये की है कि यह कम उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार न बने परन्तु उसके साथ ही यह अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को उपयुक्त रूप से प्रभारित किये जाने का प्रावधान करती है। यह विद्युत के विवेकपूर्ण उपभोग को प्रोत्साहित करने में भी सहायक होगी।

18.1.2 डिस्कॉमों ने तर्क दिया कि उनकी स्थाई लागत वर्षों पर्यन्त बढ़ गयी है अतः उसे 51–300 इकाइयां प्रतिमाह उपभोग करने वाले सामान्य धरेलू उपभोक्ताओं के लिए 105 रू. प्रतिमाह से बढ़ाकर 160/– रू. प्रतिमाह तथा 300 इकाइयां प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने वालों के लिए 205 रू. प्रतिमाह किये जाने का निवेदन किया। प्रतिमाह 50 इकाइयों से कम औसत उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे वाले तथा छोटे धरेलू उपभोक्ताओं के लिए स्थाई लागत में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की है। एचटी धरेलू श्रेणी के मामलें में अनुज्ञप्तिधारियों ने 100/– रू. प्रति केवीए प्रतिमाह से बढ़ाकर 150/– रू. प्रति केवीए प्रतिमाह किये जाना प्रस्तावित किया है।

18.1.3 उन्होनें गरीबी रेखा से नीचे वाले तथा छोटे उपभोक्ताओं (प्रतिमाह 50 इकाइयों तक के औसत उपभोग वाले) के लिए विद्युत प्रभारों को 1.95 रू. प्रति इकाई से बढ़ाकर क्रमशः 2.25 रू. प्रति इकाई तथा 2.50 रू./इकाई किया जाना प्रस्तावित किया है।

18.1.4 50 इकाइयो से अधिक के प्रतिमाह उपभोग के लिए विद्युत प्रभारों को 3.50 रू. प्रति इकाई से बढ़ाकर 51–150 इकाइयां प्रतिमाह के लिए 4.10 रू. प्रति इकाई, 151–300 प्रतिमाह इकाइयों के लिए 4.30 रू. प्रति इकाई तथा 300 इकाइयों से अधिक प्रतिमाह के लिए 4.50 प्रति इकाई किया जाना प्रस्तावित है। एचटी धरेलू श्रेणी के मामलें में अनुज्ञप्तिधारीयों ने 3.50 रू.

/इकाई/ माह को बढ़ाकर 4.50 रू./इकाई/माह किया जाना प्रस्तावित किया है।

18.1.5 आयोग, छोटे उपभोक्ताओं के लिए निम्नतर टैरिफ के बारे में याचिकाकर्ताओं से सहमत है। डिस्कॉमों के प्रस्ताव, सामान्य धरेलू श्रेणी में स्लेबों की विद्यमान संख्या को 2 से बढ़ाकर 4 किये जाने का विचार रखते हैं। आयोग इसे उपयुक्त मानता है और उसे स्वीकार करता है।

18.1.6 आयोग ने प्रेक्षित किया कि सामान्य धरेलू की उच्चतम स्लेब में प्रस्तावित वृद्धि अन्य स्लेबों के लिए प्रस्तावित से उच्चतर है। आयोग भी यद्यपि यह महसूस करता है कि वर्तमान परिदृश्य में उच्चतर उपभोग स्लेब वाले व्यक्ति द्वारा अधिक भुगतान किया जाना चाहिए परन्तु इसके साथ ही वृद्धि इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि इससे उपभोक्ताओं को प्रधात पहुंचे। तद्नुसार, इसमें विभिन्न स्लेबों के लिए टैरिफ का विनिर्धारण, उचित वृद्धि देते हुये किया गया है।

8.1.7 आयोग ने प्रेक्षित किया है कि कुछ स्लेबों के अतिरिक्त एचटी धरेलू उपभोक्ताओं के लिए स्थाई प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि अत्यधिक है। एचटी श्रेणी के लिए प्रस्तावित स्थाई प्रभार, अधरेलू श्रेणी के लिए प्रस्तावित स्थाई प्रभारों के बराबर तथा औधोगिक एवं मिश्रित भार श्रेणी के लिए प्रस्तावित स्थाई प्रभारों से उच्चतर है।

18.1.8 इसी प्रकार एचटी धरेलू उपभोक्ताओं के मामलें में यह प्रेक्षित किया गया है कि स्थाई प्रभारों में वृद्धि किये जाने के अलावा डिस्कॉमों ने विद्युत प्रभारों में अत्यधिक वृद्धि प्रस्तावित की है। एचटी उपभोक्ताओं के मामलें में, मीटरिंग एचटी की तरफ की जाती है जिससे लाइन हानियों व रूपान्तरण का भार उपभोक्ताओं पर आता है। इसके अलावा आन्तरिक वितरण तन्त्र भी एचटी उपभोक्त द्वारा धारित व संधारित किया जाता है। मीटर पठन, विपत्रण एवं राजस्व संग्रहण एचटी उपभोक्ता द्वारा किये जाते हैं जिससे डिस्कॉमों को लागत की बचत होती है। तन्त्र सुधार तथा हानियों की कमी के लिए एचटी/एलटी अनुपात उच्चतर होना चाहिए, इसलिए एचटी पर कनेक्शन को प्रोत्साहित किये जाने की जरूरत है और आयोग ने तद्नुसार इस श्रेणी के लिए टैरिफ का विनिर्धारण किया है।

18.1.9 यद्यपि विद्यमान टैरिफ में बीपीएल/छोटी धरेलू जैसी श्रेणियां नहीं हैं, आयोग उन दो श्रेणियों की नामावली के लिए डिस्कॉमों के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। तथापि केवल राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये बीपीएल कार्ड के धारक उपभोक्ता ही बीपीएल श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेंगे।

18.1.10 प्रस्तावित तथा आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ नीचे दी गई सारणियों में दी जा रही है –

सारणी –56: धरेलू श्रेणी विव 2011–12 के लिए विद्यमान तथा प्रस्तावित टैरिफ

	विद्यमान टैरिफ				प्रस्तावित टैरिफ				
श्रेणी	विद्युत प्रभार (वि.प्र.)			स्थाई प्रभार (स्था.प्र.)	श्रेणी	विद्युत प्रभार			स्थाई प्रभार
धरेलू ग्रामीण व शहरी	वि. प्र.	राज. सरकार द्वारा सहायिकी*	सहायिकी के बाद प्रभावी वि.प्र.		धरेलू ग्रामीण व शहरी	वि. प्र.	राज. सरकार द्वारा सहायिकी*	सहायिकी के बाद प्रभावी वि.प्र.	
50 इकाई प्रतिमाह तक (बीपीएल)	1.95 रू. /इकाई	1.10 रू. /इकाई	0.85 रू. /इकाई	80 रू. /उपभोक्ता / माह (प्रभावी स्था. प्र. 50 रू. /उपभोक्ता /माह, 30 रू./ कनेक्शन/ माह को सहायिकी के बाद	0– 50 इकाईयां प्रतिमाह (बीपीएल)	2.25 रू. /इकाई	1.40 रू. /इकाई	0.85 रू. /इकाई	80 रू./उपभोक्ता / माह (प्रभावी स्था. प्र. 50 रू. /उपभोक्ता /माह, 30 रू./ कनेक्शन/ माह की सहायिकी के बाद
0–50 इकाइयां प्रति माह (छोटे धरेलू प्रकाश)	1.95 रू. /इकाई	0.25 रू. /इकाई*	1.70 रू. /इकाई	80 रू./ उपभोक्ता/माह	0–50 इकाइयां प्रति माह (छोटे धरेलू प्रकाश)	2.50 रू. /इकाई	0.80 रू. /इकाई*	1.70 रू. /इकाई	80 रू./ उपभोक्ता/माह
0–50 इकाइयां प्रति माह (सामान्य धरेलू प्रकाश)	1.95 रू. /इकाई		1.95 रू. /इकाई	80 रू./ उपभोक्ता/माह	0–50 इकाइयां प्रति माह (सामान्य धरेलू प्रकाश)	2.50 रू. /इकाई		2.50 रू. /इकाई	80 रू./ उपभोक्ता/माह
50 इकाइयां प्रतिमाह से अधिक	3.50 रू. /इकाई		3.50 रू. /इकाई	105 रू./ उपभोक्ता/माह	51–150 इकाइयां प्रतिमाह	4.10 रू. /इकाई		4.10 रू. /इकाई	160 रू./ उपभोक्ता/माह
					151–300 इकाइयां प्रतिमाह	4.30 रू. /इकाई		4.30 रू. /इकाई	160 रू./ उपभोक्ता/माह
					300 इकाइयां से अधिक प्रतिमाह	4.50 रू. /इकाई		4.50 रू. /इकाई	205 रू./ उपभोक्ता/माह
एचटी– धरेलू					एचटी– धरेलू				
50 केवीए से अधिक संविदा मांग के लिए	3.00 रू. / इकाई		3.00 रू./ इकाई	100 रू. /केवीए/माह	50 केवीए से अधिक संविदा मांग के लिए	4.50 रू. /इकाई		4.50 रू. /इकाई	150 रू. / केवीए/ उपभोक्ता/माह

* एक माह में 50 इकाइयों तक का उपभोग करने वाले बीपीएल तथा छोटे धरेलू उपभोक्ताओं को राजस्थान सरकार द्वारा अनुमत की गयी सहायिकी के अनुसार।

सारणी –57 धरेलू श्रेणी (एलटी–1 तथा एचटी–1) – विव 2011–12 के लिए अनुमोदित टैरिफ

श्रेणी	विद्युत प्रभार			स्थाई प्रभार
धरेलू	विप्र	राजस्थान सरकार से प्राप्त होने वाली इंगित सहायिकी	सहायिकी के बाद विप्र	
एलटी– धरेलू (एलटी–1)				
बी.पी.एल.*				
प्रथम 50 इकाइयां प्रतिमाह तक का उपभोग	2.25 रू./ इकाई	1.40रू./इकाई	0.85 रू./इकाई	80 रू./कनेक्शन/माह (प्रभावी स्थाई प्रभार 50 रू./ कनेक्शन/माह 30 रू./ कनेक्शन/ माह की सहायिकी के बाद)
छोटे धरेलू (50 इकाइयां/माह तक का उपभोग)				
50 इकाइयां प्रतिमाह तक उपभोग	2.50 रू./ इकाई	0.80 रू./इकाई	1.70 रू./इकाई	80 रू./कनेक्शन/माह
सामान्य धरेलू (50 इकाइयां/माह से अधिक उपभोग)				
(i) प्रथम 50 इकाइयां प्रतिमाह तक का उपभोग	2.50 रू./ इकाई		2.50 रू./इकाई	140 रू./कनेक्शन/माह
(ii) 50 इकाइयों से अधिक तथा 150 इकाइयों प्रतिमाह तक उपभोग के लिए	4.00 रू./ इकाई		4.00 रू./इकाई	
(iii) 150 इकाइयों से अधिक तथा 300 इकाइयों प्रतिमाह तक उपभोग के लिए	4.15 रू./ इकाई		4.15 रू./इकाई	150 रू./कनेक्शन/माह
(iv) 300 इकाइयों प्रतिमाह से अधिक उपयोग के लिए	4.35 रू./ इकाई		4.35 रू./इकाई	180 रू./कनेक्शन/माह
एचटी– धरेलू (एचटी–1)				
50 केवीए से अधिक संविदा मांग के लिए	4.15 रू./ इकाई		4.15 रू./इकाई	विपत्रण मांग का 125 रू. प्रति केवीए प्रतिमाह

* टिप्पणी – बीपीएल धरेलू टैरिफ केवल व्यष्टिक उपभोक्ता/व्यक्ति के लिए ही प्रयोज्य होगी तथा किसी संस्थान के लिए प्रयोज्य नहीं होगी। यदि किसी बीपीएल उपभोक्ता ने विपत्रण चक्र में प्रतिमाह 50 इकाइयों से अधिक का उपभोग किया है, तो उपभोगित अतिरिक्त इकाइयों के लिए उपभोक्ता को एलटी–1 धरेलू श्रेणी के अन्तर्गत सम्बन्धित स्लेब की प्रयोज्य टैरिफ के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

18.2 सौर जलतापन तन्त्र के उपयोग पर प्रोत्साहन

डिस्कॉमों ने धरेलू उपभोक्ताओं द्वारा सौर जल तापकों के उपयोग पर, उपभोक्ताओं को सौर जलतापक के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, 5 पैसे प्रति इकाई की छूट को बढ़ाकर 5 वर्ष की अधिकतम अवधि तथा अधिकतम 300 रू. प्रतिमाह के अध्यधीन 25 पैसे प्रति इकाई किया जाना प्रस्तावित किया है। आयोग डिस्कॉमों के प्रस्ताव को स्वीकार करता है।

18.3 ग्रामीण छूट की समाप्ति

18.3.1 डिस्कॉमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चौबीसों धण्टे एकल फेज आपूर्ति प्राप्त न करने वाले धरेलू उपभोक्ताओं को अनुमत की जा रही विद्यमान 10% की छूट को समाप्त किया जाना प्रस्तावित किया है, क्योंकि अब अधिकांश फीडर चौबीसों धण्टे आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं।

18.3.2 आयोग ने प्रेक्षित किया कि 2004 में भी डिस्कॉमों ने यह उल्लेख करते हुये एक प्रस्ताव पेश किया था कि केवल उन ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां चौबीसों धण्टे आपूर्ति बनी रहती है, छूट का प्रत्याहरण किया जायेगा तथा आयोग ने इसे स्वीकार किया था। डिस्कॉमों द्वारा प्रकाशित ''विद्युत की आपूर्ति हेतु टैरिफ' की पुस्तिका में, धरेलू सेवा अनुसूची के मद (सी) के अन्तर्गत टिप्पणी (2) उल्लेख करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में धरेलू कनेक्शनों के लिए ''विद्युत प्रभारों'' में 10% की छूट अनुमत की जायेगी, परन्तु जहां चौबीसों धण्टे विद्युतापूर्ति की जाती है, यह छूट उपलब्ध नहीं होगी।

18.3.3 जन सुनवाई के दौरान हितधारकों द्वारा उठायी गयी इन आपत्तियों, कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी चौबीसों धण्टे आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, को ध्यान में रखते हुये आयोग डिस्कॉमों के वर्तमान प्रस्ताव को स्वीकार्य नहीं मानता है। किसी भी दशा में, विद्यमान प्रावधानों के अन्तर्गत भी, 10% छूट तभी दी जानी है जबकि विद्युत की चौबीसों धण्टे आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे संशोधित किये जाने की जरूरत कहां है? तद्नुसार ग्रामीण छूट को, जहां चौबीसों धण्टे आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, जारी रखा जा रहा है।

18.4 अ–धरेलू सेवा (एलटी–2 तथा एचटी–2)

18.4.1 डिस्कॉमों ने अ–धरेलू सेवा में दोनों उपश्रेणियों, 5 किवा तक तथा 5 किवा से ऊपर स्वीकृत सम्बद्ध भार (स्वी.स.भा.) में विद्यमान दो स्लेबों की संख्या बढ़ाकर तीन किया जाना भी प्रस्तावित किया है। उन्होनें तर्क दिया कि स्लेबों को, इसे ध्यान में रखते हुये बढ़ाया गया है कि इससे कम उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को अनावश्यक भार न झेलना पड़े परन्तु साथ ही यह उच्चतर उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को उपयुक्त रूप से प्रभारित किये जाने का प्रावधान भी करती है। आयोग, स्लेबों की संख्या बढ़ाये जाने के डिस्कॉमों के प्रस्ताव को स्वीकार करता है।

18.4.2 उन्होनें यह तर्क दिया कि उनकी स्थाई लागत वर्षों पर्यन्त बढ़ गयी है, अतः इसे 5 कि.वा. स्वी.स.भा. वालों के लिए 80 रू. /माह से बढ़ाकर 1–200 इकाइयां प्रतिमाह के उपभोग हेतु

160 रू. प्रति माह तथा 200 इकाइयां से अधिक प्रतिमाह उपभोग वालों के लिए 205 रू. प्रतिमाह किये जाने का निवेदन किया। 5 किवा से ऊपर स्वी.स.भा. वाली श्रेणियों के लिए डिस्कॉमों ने स्थाई प्रभारों को स्वी. स.भा. के 40 रू./कि.वा. से बढ़ाकर स्वी.स.भा. के 60 रू. /कि.वा किया जाना प्रस्तावित किया है। एचटी अ–धरेलू श्रेणी के मामले में अनुज्ञप्तिधारियों ने स्थाई प्रभारों में वृद्धि विपत्रण मांग के 60 रू. प्रति केवीए/माह को बढ़ाकर विपत्रण मांग का 150 रू./केवीए/ माह किया जाना प्रस्तावित किया है।

18.4.3 यह तर्क दिया गया है कि वर्षों पर्यन्त आपूर्ति की लागत बढ़ गयी है, विद्युत प्रभारों में 1–100 इकाइयों के बीच उपभोग के लिए 4.50 रू. प्रति इकाई को बढ़ाकर 5.40 रू. प्रति इकाई तथा 101–200 इकाइयों के बीच उपभोग के लिए 4.90 रू. प्रति इकाई को बढ़ाकर 6. 25 रू. प्रति इकाई और 200 इकाइयां प्रतिमाह से अधिक उपभोग के लिए एक नई स्लेब 6. 75 रू. प्रति इकाई की दर से बनाने का निवेदन किया। एचटी अ–धरेलू श्रेणी के मामलें में अनुज्ञप्तिधारियों ने 4.50 रू. प्रति इकाई तथा 4.90 रू. प्रति इकाई को बढ़ाकर 6.75 रू. प्रति इकाई किया जाना प्रस्तावित किया।

18.4.4 आयोग ने डिस्कॉमों के प्रस्तावों का परीक्षण किया और प्रेक्षित किया कि यह श्रेणी उच्चतम प्रति सहायिकी प्रदान करने वाली श्रेणी है। यद्यपि यह तथ्यात्मक है कि इस श्रेणी के लिए टैरिफ में 2001 से कोई संशोधन नहीं किया गया है, फिर भी आयोग यह महसूस करता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित टैरिफ उच्चता की ओर है।

18.4.5 प्रस्तावित तथा आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ नीचे दी गई सारणियों में दी जा रही है :

सारणी –58 अ–धरेलू श्रेणी (एलटी–2 तथा एचटी–2) – विव 2011–12 के लिए विद्यमान तथा प्रस्तावित टैरिफ

विद्यमान टैरिफ			प्रस्तावित टैरिफ		
अ–धरेलू	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार	अ–धरेलू	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार
स्वी. सम्बद्व भार 5 किवा तक अ– धरेलू सेवा			स्वी. सम्बद्व भार 5 किवा तक अ– धरेलू सेवा		
100 इकाइयों तक	4.50 रू/इकाई	80 रू./ कनेक्शन/ माह	0–100 इकाइयां	5.40 रू/इकाई	160 रू./ कनेक्शन/ माह
100 इकाइयों से अधिक	4.90 रू/इकाई	120 रू./ कनेक्शन/ माह	101–200 इकाइयां	6.25 रू/इकाई	160 रू./ कनेक्शन/ माह
			200 इकाइयों से अधिक	6.75 रू/इकाई	205 रू./ कनेक्शन/ माह
स्वी. सम्बद्व भार 5 किवा से अधिक अ–धरेलू सेवा			स्वी. सम्बद्व भार 5 किवा से अधिक अ–धरेलू सेवा		
100 इकाइयों तक	4.50 रू/इकाई	स्वी. स. भार का 40 रू./ किवा/ माह	0–100 इकाइयां	5.40 रू/इकाई	स्वी. स. भार का 60 रू./ किवा/ माह

100 इकाइयों से अधिक	4.90 रू/इकाई	स्वी. स.भार का 40 रू./ किवा/ माह	101–200 इकाइयां	6.25 रू/इकाई	स्वी. स. भार का 60 रू./ किवा/ माह
			200 इकाइयों से अधिक	6.75 रू/इकाई	स्वी. स. भार का 60 रू./ किवा/ माह
एचटी – अधरेलू			एचटी – अधरेलू		
50 किवा से अधिक संविदा मांग के लिए			50 किवा से अधिक संविदा मांग के लिए		
100 इकाइयों तक	4.50 रू/इकाई	विपत्रण मांग का 60 रू./केवीए/प्रतिमाह	0–100 इकाइयां	6.75 रू/इकाई	विपत्रण मांग का 150 रू./केवीए प्रतिमाह
100 इकाइयों से अधिक	4.90 रू/इकाई	विपत्रण मांग का 60 रू./केवीए प्रतिमाह	100 इकाइयां से अधिक	6.75 रू/इकाई	विपत्रण मांग का 150 रू./केवीए प्रतिमाह

सारणी –59 अ–धरेलू श्रेणी (एलटी–2 तथा एचटी–2) – विव 2011–12 के लिए अनुमोदित टैरिफ

अ–धरेलू	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार
एलटी–अधरेलू सेवा (एलटी–2)		
स्वीकृत सम्बद्ध भार– 5 किवा तक की अधरेलू सेवा		
प्रथम 100 इकाइयां प्रतिमाह तक का उपभोग	5.10 रू./इकाई	150 रू./कनेक्शन/माह
100 इकाइयों से अधिक तथा 200 इकाइयां प्रतिमाह तक का उपभोग	5.50 रू./इकाई	
200 इकाईयों से अधिक प्रतिमाह उपभोग	5.90 रू./इकाई	180 रू./कनेक्शन/माह
स्वी. स.भार 5 किवा से अधिक अ–धरेलू सेवा		
प्रथम 100 इकाइयां प्रतिमाह तक का उपयोग	5.10 रू./इकाई	स्वी.स.भा. का 60रू./किवा/माह
100 इकाइयों से अधिक तथा 200 इकाइयां प्रतिमाह तक का उपभोग	5.50 रू./इकाई	स्वी.स.भा. का 60रू./किवा/माह
200 इकाइयों से अधिक प्रतिमाह उपभोग	5.90 रू./इकाई	स्वी.स.भा. का 60रू./किवा/माह
एचटी–अधरेलू सेवा (एचटी–2)		
50 केवीए से अधिक संविदा मांग के लिए		
सभी इकाइयां	5.90 रू./इकाई	विपत्रण मांग का 125 रू./केवीए प्रतिमाह

18.5 श्रेणीकरण में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव

टेलीफोन एक्सचेन्जों हेतु टैरिफ का अ–धरेलू सेवा श्रेणी में समावेशन

18.5.1 डिस्कॉमों ने सभी टेलीफोन सेवा प्रचालकों (भासंनिलि या भिन्न), सहलग्न कार्यालयों सहित, टेलीफोन/मोबाइल एक्सचेन्जों/स्विचों को अ–धरेलू सेवा श्रेणी में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित किया है, क्योंकि टेलीफोन कम्पनियां वाणिज्यिक आधारपर संचालित होती है, अतः उन्हें भारत सरकार के डाक व तार विभाग, जिन्हें अब तक मि.भा./एलटी–7 के अन्तर्गत आवृत कर रखा है, के समान नहीं रखना चाहिए।

18.5.2 आयोग इस प्रस्ताव में बल पाता है। कुछ आपत्तिकर्ताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया। पिछला टैरिफ आदेश 2004 में जारी किया गया था और तब से अब तक टेलीफोन क्षेत्र ने समुद्री–परिवर्तन तथा कुल परावर्तन प्रमाणित किया है। इसलिए आयोग इस सम्बन्ध में डिस्कॉमों के प्रस्ताव को स्वीकार करता है।

18.5.3 डिस्कॉमों ने, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अलावा अन्य किसी अभिकरणों या राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा संचालित व संधारित शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों तथा औषधालयों को अ–धरेलू सेवा श्रेणी में सम्मिलित किया जाना भी प्रस्तावित किया।

18.5.4 शिक्षा तथा स्वास्थ्य उद्योग ने वर्षो पर्यन्त एक स्थूल संवृद्धि देखी है और इन संस्थाओं की सेवाओं के अतिरिक्त भार धटक, भार मांग तथा उपभोग पैटर्न में सरकार द्वारा धारित या संचालित संस्थाओं की तुलना में काफी अन्तर है। इसलिए ऐसी गतिविधियों को अ–धरेलू की परिधि से बाहर रखने में कोई तार्किकता नहीं है। आयोग डिस्कॉमों के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। उन्ही सिद्वान्तों को अपनाते हुये, राज्य सरकार या राज्य सरकार के अभिकरणों के अलावा अन्य किसी द्वारा संचालित निदान गृह (क्लीनिक) तथा उपचर्या गृह (नर्सिंग होम्स्) भी अधरेलू सेवा श्रेणी के अन्तर्गत आवृत होंगे। तथापि, रैड–क्रॉस सोसायटी द्वारा संचालित अस्पताल/औषधालय, उपचर्यागृह या निदान गृह मिश्रित भार श्रेणी में ही बने रहेंगे।

18.6 सार्वजनिक पथ प्रकाश सेवा (एलटी–3)

18.6.1 डिस्कॉमों ने सार्वजनिक पथ प्रकाश के लिए, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले तथा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, दोनों क्षेत्रों के लिए टैरिफ बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया।

18.6.2 डिस्कॉमों ने एक लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थाई प्रभारों को 30 रू./लैम्प बिन्दु से बढ़ाकर 50 रू./लैम्प बिन्दु/माह तथा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 45 रू.

/लैम्प बिन्दु/माह से बढ़ाकर 60 रू./लैम्प बिन्दु/माह किया जाना प्रस्तावित किया है।

18.6.3 उन्होनें विद्युत प्रभारों को भी एक लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए 3.50 रू.प्रति इकाई से बढाकर 4.10 रू. प्रति इकाई तथा एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए 3.75 रू. प्रति इकाई से बढ़ाकर 4.50 रू. प्रति इकाई किया जाना प्रस्तावित किया है।

18.6.4 डिस्कॉमों ने इसके अतिरिक्त वर्तमान में टाइम स्विच अधिष्ठापना वाले पथ प्रकाशों पर, 30 पैसे प्रति इकाई की प्रयोज्य वर्तमान छूट को, टाइम स्विच के कार्यरत रहने के प्रमाण में हर छठे महीने सत्यापन किये जाने के अध्यधीन, जारी रखना प्रस्तावित किया, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया।

18.6.5 आयोग, डिस्कॉमों द्वारा स्थाई प्रभारों तथा विद्युत प्रभारों सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकार करता है। विद्यमान टैरिफ में स्थाई प्रभार 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 300 रू. प्रति सेवा कनेक्शन प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 30 रू./बिन्दु/ माह है तथा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 900 रू. प्रति सेवा कनेक्शन प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के साथ 45 रू./बिन्दु/माह है। चूंकि डिस्कॉमों ने स्थाई प्रभारों में वृद्धि प्रस्तावित की है और उसे स्वीकार कर लिया गया है, सर्विस कनेक्शन की उच्चतम सीमा को स्पष्टतया बढ़ाना होगा। इसे टैरिफ संरचना में उचित रूप से समावेशित कर लिया गया है। प्रस्तावित तथा अनुमोदित टैरिफ निम्नलिखित सारणियों में दी गई है :

सारणी –60 सार्वजनिक पथ प्रकाश (एलटी–3) श्रेणी– विव 2011–12 के लिए विद्यमान तथा प्रस्तावित टैरिफ

विशिष्टियां	विद्यमान टैरिफ		प्रस्तावित टैरिफ	
सार्वजनिक पथ प्रकाश	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार
1 लाख से कम जनसंख्या	3.50 रू./इकाई	30 रू./लैम्प बिन्दु/माह	4.10 रू./इकाई	50 रू./लैम्प बिन्दु/माह
1 लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या	3.75 रू./इकाई	45 रू./लैम्प बिन्दु/माह	4.50 रू./इकाई	60 रू./लैम्प बिन्दु/माह

सारणी –61 सार्वजनिक पथ प्रकाश (एलटी–3 श्रेणी) – विव 2011–12 के लिए अनुमोदित टैरिफ

विशिष्टियां	आयोग द्वारा अनुमोदित	
सार्वजनिक पथ प्रकाश	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार
1 लाख से कम जनसंख्या	4.10 रू./इकाई	500 रू./सेवा कनेक्शन/माह की अधिकतम सीमा के साथ 50 रू./लैम्प बिन्दु/माह
1 लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या	4.50 रू./इकाई	1200 रू./सेवा कनेक्शन/माह की अधिकतम सीमा के साथ 60 रू./लैम्प बिन्दु/माह

18.7 कृषि आपूर्ति (एलटी–4)

18.7.1 डिस्कॉमों ने उनकी याचिका में उल्लेख किया कि राज्य में 2004 से टैरिफ संशोधित नहीं की गयी है। तथापि, इस अवधि के दौरान आपूर्ति की औसत लागत बढ़ गयी है जो प्रति सहायिकी मांग में वृद्धि की अग्रग है। तद्नुसार, उन्होनें मीटरित तथा गैर– मीटरित दोनों कृषि श्रेणी की टैरिफ में वृद्धि प्रस्तावित की है, जिन्हें निम्नलिखित उप–पैराओं के बाद सारणियों में सारांशित किया गया है।

18.7.2 डिस्कॉमों ने मीटरित कृषि उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा दक्ष पम्प सैट (3 स्टार तथा ऊपर) के अतिरिक्त स्प्रिंकलर्स सैट अधिष्ठापित किये जाने पर 10 पैसे प्रति इकाई का प्रोत्साहन दिया जाना भी प्रस्तावित किया।

18.7.3 राजस्थान सरकार चौबीसों धण्टे आपूर्ति प्राप्त न करने वाले मीटरित तथा गैर– मीटरित दोनों कृषि उपभोक्ताओं को सहायिकी समर्थन उपलब्ध करवाती रहेगी। डिस्कॉमों ने प्रस्तुत किया कि विद्यमान सहायिकी को कृषि मीटरित उपभोक्ताओं के लिए 0.20 प्रति इकाई से बढ़ाकर 0.33 रू. प्रति इकाई कर दिया जायेगा। फ्लेटरेट उपभोक्ताओं के मामलें में, सरकारी सहायिकी विद्यमान 55 रू. प्रति एचपी से बढ़ाकर 74 रू.प्रति एचपी होगी।

18.7.4 इसके अतिरिक्त, डिस्कॉमों ने उपभोक्ताओं की मीटरित श्रेणी के लिए न्यूनतम प्रभारों को समाप्त दिया जाना प्रस्तावित किया है, क्योंकि स्थाई प्रभार पहले से ही ऊर्जा आहरण पर ध्यान दिये बिना संगृहीत किये जा रहे है।

18.7.5 कृषि आपूर्ति हेतु विद्यमान तथा प्रस्तावित टैरिफ नीचे सारांशित है –

सारणी –62 कृषि श्रेणी (एलटी–4 श्रेणी) – वित्त 2011–12 के लिए विद्यमान तथा प्रस्तावित टैरिफ

विशिष्टियां	विद्यमान टैरिफ				प्रस्तावित टैरिफ			
कृषि आपूर्ति	विद्युत प्रभार (विप्र)			स्थाई प्रभार (स्था.प्र)	विद्युत प्रभार			स्थाई प्रभार
मीटरित (एजी/एमएस/एलटी– 4)	वि. प्र.	राज. सरकार द्वारा सहायिकी	सहायिकी के बाद प्रभावी वि.प्र.		वि. प्र.	राज. सरकार द्वारा सहायिकी	सहायिकी के बाद प्रभावी वि.प्र.	
सामान्य (चौबीसों धण्टे आपूर्ति प्राप्त नहीं कर रहे)	1.10 रू. /इकाई	0.20 रू. /इकाई	0.90 रू. /इकाई	50 रू./ कनेक्शन /माह	1.23 रू. /इकाई	0.33 रू. /इकाई	0.90 रू. /इकाई	50 रू./ कनेक्शन / माह
फार्म हाउस	3.40 रू. /इकाई		3.40 रू. /इकाई	50 रू./ कनेक्शन / माह	4.05 रू. /इकाई	0.65 रू. /इकाई	3.40 रू. /इकाई	50 रू./ कनेक्शन / माह
उपरोक्त मदों में आवृत न होने वाले तथा चौबीसों धण्टे आपूर्ति प्राप्त करने वाले अन्य सभी एवं पॉल्ट्री फार्म	2.10 रू. /इकाई		2.10 रू. /इकाई	50 रू./ कनेक्शन / माह	2.55 रू. /इकाई	0.45 रू. /इकाई	2.10 रू. /इकाई	50 रू./ कनेक्शन / माह

विशिष्टियां	विद्यमान टैरिफ				प्रस्तावित टैरिफ			
कृषि आपूर्ति	विद्युत प्रभार (विप्र)			स्थाई प्रभार (स्था.प्र)	विद्युत प्रभार			स्थाई प्रभार
फ्लेट/बिना मीटर (एजी/एफआर/एलटी–4)								
सामान्य (चौबीसों धण्टे आपूर्ति प्राप्त नहीं कर रहे)	140 रू. /एचपी / माह	55 रू/ एचपी /माह	85 रू./ एचपी/माह	20 रू./ कनेक्शन/ माह	159 रू. /एचपी / माह	74 रू/ एचपी /माह	85 रू./ एचपी/माह	20 रू./ कनेक्शन/ माह
चारा	200 रू. /एचपी / माह		200 रू./ एचपी/माह	20 रू./ कनेक्शन / माह	240 रू. /एचपी / माह	40 रू/ एचपी /माह	200 रू./ एचपी/माह	20 रू./ कनेक्शन / माह
उपरोक्त मदों में आवृत न होने वाले तथा चौबीसों धण्टे आपूर्ति प्राप्त करने वाले अन्य सभी एवं पॉल्ट्री फार्म	230 रू. /एचपी / माह		230 रू./ एचपी/माह	20 रू./ कनेक्शन / माह	230 रू. /एचपी / माह	50रू/ एचपी /माह	230 रू./ एचपी/माह	20 रू./ कनेक्शन / माह

18.7.6 इस श्रेणी के लिए निम्नतर टैरिफ के विरूद्व हितधारकों की ढ़ेर सारी आपत्तियां थी और उनका विवाद था कि जहां तक प्रति – सहायिकी का सम्बन्ध है विद्युत अधिनियम, टैरिफ नीति तथा टैरिफ विनियमों के प्रावधानों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। यह बल भी दिया गया था कि निम्नतर टैरिफ भूजल के अविवेकपूर्ण उपयोग की अग्रग होती है, जो भूजल के रिक्तिकरण का कारक है और जिससे भार मांग तथा ऊर्जा उपभोग में और वृद्धि हो रही है। यह तर्क दिया गया था कि समुचित प्रोत्साहन संरचना वाली उच्चतर टैरिफ ऊर्जा संरक्षण के साथ–साथ भू–जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का भी अग्रणी हो सकता है।

18.7.7 कृषि श्रेणी के लिए टैरिफ को अपेक्षाकृत दुर्बलतम गुणवत्ता आपूर्ति, प्रतिबन्धित आपूर्ति वह भी

गैर– चरम धण्टों के दौरान के सन्दर्भ में देखना है। कृषि में उपभोग अपेक्षाकृत उच्च है। क्योंकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में भूजल काफी गहरा है तथा कृषि जलवायु विषयक स्थितियां प्रतिकूल है। टैरिफ नीति भी उन क्षेत्रों, जहां प्रतिकूल भूजल स्तर स्थितियां सिचाई हेतु विद्युत के उच्चतर उपभोग की अग्रग है, में उच्चतर स्तर की सहायिकी की जरूरत को मान्यता देती है।

18.7.8 चर्चा की गयी स्थिति को ध्यान में रखते हुये इस श्रेणी की टैरिफ में उच्च वृद्धि अनपयुक्त रहेगी और प्रति– सहायिकी में कमी शनैः शनैः होनी है।

18.7.9 कृषि क्षेत्र में विद्युत दक्षता/डीएसएम सम्भावना काफी उच्च है। आपूर्ति की उच्च लागत तथा निम्नतर टैरिफ के कारण इसमें अत्यन्त अल्प पे–बैक अवधि होती है। कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा दक्षता साधनों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार, आयोग मीटरित कृषि उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा दक्ष पम्प–सैट (3 स्टार तथा ऊपर) के अतिरिक्त स्प्रिंकलर्स सैट अधिष्ठापित किये जाने के लिए विद्युत प्रभारों में 10 पैसे प्रति इकाई प्रोत्साहन सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीाकर करता है।

18.7.10 न्यूनतम प्रभारों को समाप्त किये जाने के डिस्कॉमों के प्रस्तावों के बारे में आयोग महसूस करता है कि न्यूनतम प्रभारों का प्रावधान उन मामलें में, जहां उपभोग न्यूनतम स्तर से कम रहता है, ऊर्जा के अपव्यय का अग्रणी हो सकता है। इसके अलावा, अन्य सभी श्रेणियों के लिए, आयोग पहले ही न्यूनतम विपत्रण के प्रावधान को समाप्त कर चुका है। इसलिए आयोग, न्यूनतम विपत्रण को समाप्त किये जाने सम्बन्धी डिस्कॉमों के प्रस्ताव को स्वीकार करता है।

18.7.11 तद्नुसार, आयोग द्वारा इस श्रेणी के लिए विनिर्धारत की गयी टैरिफ निम्नानुसार है :

सारणी –63 कृषि श्रेणी (एलटी–4) – विव 2011–12 के लिए अनुमोदित टैरिफ

कृषि आपूर्ति	विद्युत प्रभार (विप्र)			स्थाई प्रभार
मीटरित (एजी/एमएस/एलटी–4)	वि. प्र.	राज. सरकार से प्राप्त होने वाली इंगित सहायिकी *	सहायिकी के बाद प्रभावी वि.प्र.	
(i) सामान्य (चौबीसों धण्टे आपूर्ति प्राप्त नहीं कर रहे)	1.36 रू./इकाई	0.33 रू./इकाई	1.03 रू./इकाई	60 रू./ कनेक्शन/माह
(ii) फार्म हाउस	4.20 रू./इकाई	0.65 रू./इकाई	3.55 रू./इकाई	60 रू./ कनेक्शन/माह
(iii) उपरोक्त मदों में आवृत न होने वाले तथा चौबीसों धण्टे आपूर्ति प्राप्त	2.60 रू./इकाई	0.45 रू./इकाई	2.15 रू./इकाई	60 रू./ कनेक्शन/माह

करने वाले अन्य सभी एवं पॉल्ट्री फार्म				
फ्लेट/बिना मीटर (एजी/एफआर/एलटी–4)				
(i) सामान्य (चौबीसों धण्टे आपूर्ति प्राप्त नहीं कर रहे)	175 रू. /एचपी / माह	74 रू/ एचपी /माह	101 रू./ एचपी/माह	25 रू./ कनेक्शन/माह
(ii) चारा योजना	250 रू. /एचपी / माह	40 रू/ एचपी /माह	210 रू./ एचपी/माह	25 रू./ कनेक्शन/माह
(iii) (i) और (ii) मदों में आवृत न होने वाले तथा चौबीसों धण्टे आपूर्ति प्राप्त करने वाले अन्य सभी एवं पॉल्ट्री फार्म	290 रू. /एचपी / माह	50 रू/ एचपी /माह	240 रू./ एचपी/माह	25 रू./ कनेक्शन/माह

* डिस्कॉमों के प्रस्तावों से यह लगता है कि, उनकी दरें पूर्व के स्तर पर रखने की दृष्टि से सरकार कृषि उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के प्रति डिस्कॉमों को सहायिकी उपलब्ध करवाने को प्रवृत्त है। यदि सरकार कृषि उपभोक्ताओं की प्रभावी दरों को उसी स्तर पर रखना चाहती है, तो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सहायिकी उस सीमा तक बढ़ जायेगी।

18.8 लधु उद्योग (एलटी–5)

18.8.1 लधु औद्योगिक सेवा के अन्तर्गत, डिस्कॉमों ने सम्बद्ध भार के 5 कि.वा. तक तथा 5 कि.वा. से अधिक परन्तु 18.65 कि.वा. (25 एचपी) तक के उपभोक्ताओं के लिए विभेदी टैरिफ रखा जाना प्रस्तावित किया। उन्होनें स्थाई प्रभारों को 35 रू./एचपी/माह से बढ़ाकर 50 रू. /एचपी/माह किये जाने का अनुरोध किया। 5 कि.वा. तक के उपभोक्ताओं के मामलें में विद्युत प्रभारों के लिए डिस्कॉमों ने 3.50 रू./इकाई से बढ़ाकर 4.10 रू./इकाई किया जाना प्रस्तावित किया। इसी प्रकार 5 कि.वा. से अधिक परन्तु 18.65 कि.वा. (25 एचपी) से अनधिक भार वाले उपभोक्ताओं के लिए डिस्कॉमों ने विद्युत प्रभारों को 3.50 रू./इकाई से बढ़ाकर 4. 50 रू./इकाई किया जाना प्रस्तावित किया, जैसाकि नीचे सारणी से देखा जा सकता हैः–

सारणी –64 लधु उद्योग (एलटी–5)– विव 2011–12 के लिए विद्यमान तथा प्रस्तावित टैरिफ

विशिष्टियां	विद्यमान टैरिफ		प्रस्तावित टैरिफ		
	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार	विशिष्टियां	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार
एलटी श्रेणियां					
लधु औधोगिक सेवा (एलटी–5)			लधु औधोगिक सेवा (एलटी–5)		
5 कि.वा. तक	3.50 रू. /इकाई	35 रू./ एचपी/माह	5 कि.वा. तक	4.10 रू. /इकाई	50 रू./ एचपी/माह

5 कि.वा. से अधिक परन्तु 18.65 (25 एचपी) से अधिक नहीं	3.50 रू. /इकाई	35 रू./ एचपी/माह	5 कि.वा. से अधिक परन्तु 18.65 (25 एचपी) से अधिक नहीं	4.10 रू. /इकाई	50 रू. /एचपी/माह

18.8.2 आयोग ने नोट किया है कि स्थाई प्रभारों में डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तावित वृद्धि उच्चता की ओर है। आयोग ने विद्युत प्रभारों को योक्तिक बनाया है, जबकि स्थाई प्रभारों को उपान्तिक रूप से बढ़ाया है जो डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तावित स्थाई प्रभारों से कम है। तद्नुसार, आयोग इस श्रेणी के लिए टैरिफ निम्नानुसार विनिर्धारित करता है :–

सारणी –65 लधु उद्योग (एलटी–5 श्रेणी) – विव 2011–12 के लिए अनुमोदित टैरिफ

लधु औधोगिक सेवा (एलटी–5)	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार
5 कि.वा. तक	4.00 रू./इकाई	स्वीकृत सम्बद्व भार का 45 रू./ एचपी/माह
5 कि.वा. से अधिक परन्तु 18.65 (25 एचपी) से अधिक नहीं	4.35 रू./इकाई	स्वीकृत सम्बद्व भार का 45 रू./ एचपी/माह

18.9 मध्यम उद्योग (एलटी–6 तथा एचटी–3)

18.9.1 मध्यम उद्योगों के मामले में याचिकाकर्ताओं ने एचटी–3 उपभोक्ता श्रेणी के लिए स्थाई प्रभारों को 80 रू./केवीए/माह से बढ़ाकर 125 रू./केवीए/माह किया जाना प्रस्तावित किया है। एलटी पर, मध्यम औधोगिक उपभोक्ताओं के लिए डिस्कॉमों ने स्थाई प्रभारों में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की है। विद्युत प्रभारों के अन्तर्गत डिस्कॉमों ने एलटी तथा एचटी उपभोक्ता दोनों श्रेणियों में वृद्धि हेतु निवेदन किया है। एलटी श्रेणी के अन्तर्गत उन्होनें 3.75 रू. /इकाई को बढ़ाकर 4.75 रू./इकाई किया जाना प्रस्तावित किया है, जबकि एचटी श्रेणी के अन्तर्गत उन्होनें 3.75 रू./इकाई को बढ़ाकर 5.00 रू./इकाई किया जाना, नीचे दी गयी सारणी के अनुसार प्रस्तावित किया है –

सारणी –66 मध्यम औद्योगिक सेवा (एलटी–6 तथा एचटी–3)– विव 2011–12 के लिए विद्यमान तथा प्रस्तावित टैरिफ

विशिष्टियां	विद्यमान टैरिफ		प्रस्तावित टैरिफ		
	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार	विशिष्टियां	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार
मध्यम औधोगिक सेवा (एलटी–6)					
स्वीकृत सम्बद्ध भार 18.	3.75 रू.	50 रू./	स्वीकृत सम्बद्व भार 18.65	4.75 रू.	50 रू./

65 कि.वा. (25 एचपी) से अधिक परन्तु 112 किवा (150 एचपी) से अनधिक एवं/या 50 केवीए की अधिकतम मांग	/इकाई	एचपी/माह	कि.वा. (25 एचपी) से अधिक परन्तु 112 किवा (150 एचपी) से अनधिक एवं/या 50 केवीए की अधिकतम मांग	/इकाई	एचपी/माह
एचटी श्रेणियां					
मध्यम औधोगिक सेवा (एचटी–3)					
स्वीकृत सम्बद्ध भार 18. 65 कि.वा. (25 एचपी) से अधिक परन्तु 112 किवा (150 एचपी) से अनधिक एवं/या 125 केवीए की अधिकतम मांग	3.75 रू. /इकाई	80 रू./ केवीए /माह	स्वीकृत सम्बद्ध भार 18. 65 कि.वा. (25 एचपी) से अधिक परन्तु 112 किवा (150 एचपी) से अनधिक एवं/या 125 केवीए की अधिकतम मांग	5.00रू. /इकाई	125 रू./ केवीए/माह

18.9.2 एचटी मध्यम औद्योगिक श्रेणी के स्थाई प्रभारों के बारे में आयोग ने प्रेक्षित किया कि डिस्कॉमों ने स्थाई प्रभार वृहत् औद्योगिक श्रेणी के बराबर प्रस्तावित किये है, जो अनुचित लगते हैं। इसलिए आयोग एचटी मध्यम श्रेणी के लिए स्थाई प्रभार 112 रू./केवीए/माह विनिर्धारित करता है।

18.9.3 टैरिफ प्रतिरूप के बारे में विभिन्न हितधारकों द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुये तथा इस श्रेणी के एचटी एवं एलटी उपभोक्ताओं के लिए विद्यमान विद्युत प्रभारों को ध्यान में रखते हुये आयोग एचटी तथा एलटी दोनों श्रेणी के लिए विद्युत प्रभारों को उसी स्तर पर विनिर्धारण करना उचित मानता है, जो एलटी मध्यम औद्योगिक श्रेणी के लिए प्रस्तावित है। तद्नुसार, आयोग द्वारा इस श्रेणी के लिए विनिर्धारित टैरिफ निम्नानुसार होगी –

सारणी –67 मध्यम औद्योगिक सेवा (एलटी–6 तथा एचटी –3) – विव 2011–12 के लिए अनुमोदित टैरिफ

विशिष्टियां	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार
मध्यम औद्योगिक सेवा (एलटी–6)	4.75 रू./इकाई	स्वीकृत सम्बद्ध भार का 50 रू./ एचपी/माह
मध्यम औद्योगिक सेवा (एचटी–3)	4.75 रू./इकाई	विपत्रण मांग का 112/केवीए/माह

18.10 मिश्रित भार हेतु प्रचुर आपूर्ति (एलटी–7 तथा एचटी–4)

18.10.1 मिश्रित भार हेतु प्रचुर आपूर्ति के अन्तर्गत, डिस्कॉमों ने स्थाई प्रभारों को 80 रू./केवीए/माह

से बढ़ाकर 125 रू./केवीए/माह एचटी उपभोक्ताओं के लिए किये जाने का निवेदन किया है। एलटी श्रेणी के लिए, याचिकाकर्ताओं ने स्थाई प्रभारों में कोई वृद्धि नहीं चाही है। विद्युत प्रभार, एलटी श्रेणी के लिए 3.75 रू./इकाई से बढ़ाकर 4.75 रू./इकाई तथा एचटी श्रेणी के लिए 3.75 रू./इकाई से बढ़ाकर 5.00 रू./इकाई, निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित किया है –

सारणी –68 मिश्रित भार हेतु प्रचुर आपूर्ति श्रेणी (एलटी–7 तथा एचटी –4) – विव 2011–12 के लिए विद्यमान तथा प्रस्तावित टैरिफ

मिश्रित भार हेतु प्रपुंजापूति	विद्यमान टैरिफ		प्रस्तावित टैरिफ	
	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार
अनुसूची एमएल/एलटी –7				
50 केवीए तक	3.75 रू./इकाई	50 रू./एचपी/माह	4.75 रू./इकाई	50 रू./एचपी/माह
अनुसूची एमएल/एचटी –4				
50 केवीए से ऊपर	3.75 रू./इकाई	80 रू./केवीए/माह	5.00 रू./इकाई	125 रू./केवीए/ माह

18.10.2 इस श्रेणी के लिए डिस्कॉमों ने उसी प्रकार की वृद्वि प्रस्तावित की है, जो मध्यम औद्योगिक श्रेणी के लिए प्रस्तुत की गई थी। ऐतिहासिक रूप से भी इस श्रेणी की टैरिफ मध्यम औद्योगिक के समान ही है। इसे देखते हुये आयोग ने इस श्रेणी के लिए टैरिफ का विनिर्धारण उसी स्तर पर किया है, जो मध्यम औद्योगिक श्रेणी के लिए, निम्नानुसार है –

सारणी –69 मिश्रित भार हेतु प्रचुर आपूर्ति श्रेणी (एलटी–7 तथा एचटी –4) – विव 2011–12 के लिए अनुमोदित टैरिफ

विशिष्टियां	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार
अनुसूची एमएल/एलटी –7	4.75 रू./इकाई	स्वीकृत सम्बद्व भार का 50 रू./ एचपी/माह
अनुसूची एमएल/एचटी–4	4.75 रू./इकाई	विपत्रण मांग का 112 रू./केवीए प्रतिमाह

18.11 वृहत् उद्योग (एचटी–5)

18.11.1 डिस्कॉमों ने स्थाई प्रभारों को 90 रू./केवीए/माह से बढ़ाकर 125 रू./केवीए/माह किया जाना प्रस्तावित किया है। विद्युत प्रभारों को डिस्कॉमों ने 4.01 रू./इकाई से बढ़ाकर 5.25 रू./इकाई किया जाना प्रस्तावित किया है। डिस्कॉमों ने इसके अतिरिक्त, ऊर्जा कमी के

परिदृश्य में रेलवेज् तथा सार्वजनिक जलदाय सहित वृहद औद्योगिक उपभोक्ता के उपभोग से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को समाप्त किया जाना भी प्रस्तावित किया।

18.11.2 वृहत् औद्योगिक श्रेणी के लिए विद्यमान तथा प्रस्तावित टैरिफ संरचना निम्नानुसार है–

सारणी –70 वृहत् औद्योगिक सेवा (एलटी–5)– विव 2011–12 के लिए विद्यमान तथा प्रस्तावित टैरिफ

विशिष्टियां	विद्यमान टैरिफ		प्रस्तावित टैरिफ		
	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार	विशिष्टियां	विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार
वृहत् औधोगिक सेवा (एचटी–5)					
150 एचपी से ऊपर स्वी. स.भा. एवं/या 125 केवीए से ऊपर संविदा/अधिकतम मांग वाले	4.01 रू. /इकाई	90 रू./ केवीए/माह	150 एचपी से ऊपर स्वी.स.भा. एवं/या 125 केवीए से ऊपर संविदा/अधिकतम मांग वाले	5.25 रू. /इकाई	125 रू./ केवीए/माह

18.11.3 वर्तमान ऊर्जा कमी परिदृश्य को देखते हुये, आयोग डिस्कॉमों की उपभोग आधारित प्रोत्साहन योजना को समाप्त किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है।

18.11.4 भारी संख्या में औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा संगठनों ने पूर्व में चर्चित विभिन्न कारणों से वृहत् उद्योगों की टैरिफ में वृद्धि का विरोध किया। यद्यपि, हितधारकों ने उल्लेख किया कि डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि इस श्रेणी के लिए अत्यधिक है लेकिन उसके साथ ही तथ्य यह भी है कि इस श्रेणी के लिए टैरिफ में 2001 से वृद्धि नहीं की गयी है। पिछले 10 वर्ष के दौरान आपूर्ति की लागत भरपूर बढ़ गयी है और डिस्कॉम उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए संधर्ष कर रही है। तथापि, टैरिफ का विनिर्धारण करते समय आयोग ने हितधारकों द्वारा दिये गये सुझावों तथा बतायी गयी कठिनाइयों पर उचित विचार किया है, तद्नुसार आयोग ने इस श्रेणी के लिए टैरिफ का विनिर्धारण निम्नानुसार किया है –

सारणी –71 वृहत् औद्योगिक श्रेणी (एलटी–5) – विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ

विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार
5.00 रू./इकाई	विपत्रण मांग का 125 रू./केवीए प्रतिमाह

19 टैरिफ के सामान्य निबन्धन व शर्तें

19.1 डिस्कॉमों ने टैरिफ के अलावा ''टैरिफ के सामान्य निबन्धन व शर्तें'' शीर्षकान्तर्गत कई प्रस्ताव दिये है, उन पर नीचे विचार विमर्श किया जा रहा है :

19.2 एलटी उपभोक्ताओं द्वारा एचटी पर आपूर्ति लेने के लिए छुट –

19.2.1 डिस्कॉमों ने एचटी पर आपूर्ति लेने वाले एलटी उपभोक्ताओं को एक समान छूट का प्रस्ताव किया। उन्होनें उल्लेख किया कि वर्तमान में सा.पथ प्रकाश, कृषि (मी.) तथा लधु औद्योगिक शक्ति उपभोक्ताओं को विपत्रित राशि पर 7.5 प्रतिशत छूट अनुमत की जाती है जबकि धरेलू उपभोक्ताओं को निम्नतर छूट दी जा रही है तथा 7.5 प्रतिशत की दर पर एक समान छूट दिये जाने से किसी भी प्रकार की अस्पष्टता दूर होगी तथा अधिकाधिक उपभोक्ताओं को एचटी आपूर्ति पर जाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

19.2.2 एकरूपता बनाने के लिए, एचटी आपूर्ति पर जाने के लिए प्रोत्साहन दिये जाने के डिस्कॉमों के प्रस्ताव को आयोग स्वीकार करता है।

19.3 उच्चतर वोल्टेज अधिभार

19.3.1 एचटी उपभोक्ताओं को 33 केवी/132 केवी पर, विशेष रूप से 11 केवी से 33 केवी परिवर्तन चाहने वाले उपभोक्ताओं को पर्याप्त प्रोत्साहन के लिए डिस्कॉमों ने 1 प्रतिशत, 3 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वर्तमान छूट को बढ़ाकर 33 केवी, 132 केवी तथा 220 केवी पर आपूर्ति लेने पर क्रमशः 3 प्रतिशत, 4 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव दिया।

19.3.2 आयोग ने दिनांक 31.8.2007 के पत्र द्वारा नोट किया था कि वर्तमान में प्रयोज्य वोल्टेज छूट पर्याप्त नहीं है और 33 केवी आपूर्ति के लिए 1 प्रतिशत तथा 132 केवी आूपर्ति के लिए 3 प्रतिशत को उपान्तिक उर्ध्वगामी किया गया। यह भी उल्लेख किया गया था कि वोल्टेज छूट में और उर्ध्वगामी संशोधन, यदि आवश्यक हो तो, आयोग को अपनी वित्तीय विवक्षा, यदि कोई है, सहित अगले टैरिफ प्रस्ताव के समय प्रस्तावित किया जाये।

19.3.3 यद्यपि डिस्कॉमों ने वित्तीय विवक्षा प्रस्तुत नहीं की है परन्तु आयोग डिस्कॉमों द्वारा यथा प्रस्तावित उच्चतर वोल्टेज छूट को स्वीकार किया जाना उपयुक्त मानता है क्योंकि यह उपभोक्ताओं को उच्चतर वोल्टेज अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो तन्त्र के सृदृढ़ीकरण तथा हानियों में कमी का परिणामी होगा।

19.4 उच्चतर वोल्टेज छूट

19.4.1 डिस्कॉमों ने यह भी प्रस्तावित किया कि संविदा मांग के अनुसार विनिर्दिष्ट वोल्टेज से कम वोल्टेज पर आपूर्ति लेने वाले एचटी उपभोक्ता नीचे इंगित दरों पर अधिभार के संदाय के लिए, उत्तरदायी होंगे –

220 या 132 केवी के 11 केवी पर आपूर्ति लेने वाले उपभोक्ता	5 प्रतिशत
220 या 132 केवी के 33 केवी पर आपूर्ति लेने वाले उपभोक्ता	3 प्रतिशत
33 केवी के 11 केवी पर आपूर्ति लेने वाले उपभोक्ता	3 प्रतिशत

19.4.2 भाग III के भाग –2 में यथा परिचर्चित, हितधारकों के सुझावों के आलोक में आयोग वोल्टेज अधिभार के प्रस्तावों में कोई औचित्य नहीं पाता है क्योंकि यह वोल्टेज छूट की तुलना में असामान्यता पैदा कर सकता है।

19.5 शक्तिधटक उपाबन्ध में परिवर्तन

19.5.1 विभिन्न हितधारकों ने प्रस्ताव के लिए वैज्ञानिक आधार की अनुपस्थिति के बारे में टीका–टिप्पणी की और उल्लेख किया कि अतिरिक्त केपेसिटरों का परिवर्धन तन्त्र पर अति वोल्टेज का कारक होगा और ग्रिड प्रबन्धन की समस्या पैदा करेगा क्योंकि तन्त्र इतने अधिक केपेसिटरों को आत्मसात करने में समर्थ नहीं हो पायेगा और केपेसिटरों की अतिरिक्त अधिष्ठापना विभिन्न सब–स्टेशनों पर अधिष्ठापित शंट–केपेसिटरों के बन्द होने और किये गये निवेश को व्यर्थहीन बनाने का अग्रग होगा। डिस्कॉम अपने उत्तर में हितधारकों द्वारा मांगा गया वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत नहीं कर सकी।

19.5.2 आयोग ने अन्य राज्यों में, शक्तिधटक से सम्बन्धित प्रावधानों का अध्ययन किया और पाया कि अधिभार व प्रोत्साहन की राजस्थान में प्रचलित विद्यमान योजना पूर्णतः संतुलित है। इसलिए हितधारकों की प्रक्षेतियों के कारण तथा डिस्कॉमों से किसी अनुसमर्थनीय तकनीकी अध्ययन या आधार के अभाव में आयोग, शक्तिधटक उपाबन्ध में प्रस्तावित परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त नहीं है।

19.6 दिन के समय (टीओडी) की टैरिफ

19.6.1 डिस्कॉमों ने, यह उल्लेख करते हुये कि टीओडी टैरिफ मांग पक्ष प्रबन्धन का महत्वपूर्ण औजार है, और उनके भार वक्र को चौरस करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग में लिया जा रहा है। उनकी अनुपूरक याचिका द्वारा डिस्कॉमों ने एचटी धरेलू

उपभोक्ताओं, एचटी कृषि उपभोक्ताओं तथा रेलवेकर्षण को छोड़कर 50 केवीए से ऊपर संविदा मांग वाले सभी एचटी उपभोक्ताओं के लिए टीओडी टैरिफ निम्नानुसार कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित किया –

सारणी –72 टीओडी, समय स्लॉट तथा अधिभार/छूट

विशिष्टियां	समय स्लॉट	विद्युत प्रभारों में अधिभार/(छूट)
चरम धण्टे	18.00 बजे से 23.00 बजे (पूरेवर्ष)	+ 10 प्रतिशत अधिभार
	6.00 बजे से 9.00 बजे (अक्टूबर से मार्च)	
गैर–चरम धण्टे	23.00 बजे से 5.00 बजे	– 10 प्रतिशत (छूट)

19.6.2 भारी संख्या में हितधारकों ने राज्य में टीओडी टैरिफ लागू किये जाने के बारे में उनका दृष्टिकोण बताया। आयोग राज्य में टीओडी टैरिफ लागू किये जाने की तीव्र इच्छा रखता है, परन्तु डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के आधार पर यह डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तावित समय–स्लोट तथा छूट को उचित सिद्ध करने में सक्षम नहीं है।

19.6.3 जैसाकि डिस्कॉमों द्वारा बताया गया टीओडी टैरिफ को, उपभोक्ताओं को उनके उपभोग को गैर– चरम धण्टे पर स्थानान्तरित किये जाने हेतु परिकल्पित किये जाने की आवश्यकता है। टीओडी टैरिफ को दो तरफा औजार अर्थात् गैर– चरम धण्टों के दौरान उपभोग को प्रोत्साहित तथा चरम धण्टों के दौरान उपभोग को हतोत्साहित दोनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तथापि, उपयुक्त टीओडी टैरिफ के लिए पूर्वापेक्षा चरम तथा गैर– चरम धण्टों को सुस्थापित किया जाना है। आयोग के पास उपलब्ध सूचनायें इंगित करती है कि राज्य में चरम धण्टे काफी भिन्नता रखते हैं। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि चरम धण्टे याचिका में इंगित चरम धण्टों से मेल खाए। ऐसी दशा में, टीओडी टैरिफ के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार, उपभोक्ताओं के लिए कठोर होंगे और प्रस्ताव के प्रयोजन को प्राप्त नहीं कर पायेंगे। इसलिए अलग– अलग मौसमों तथा आपूर्ति के महीनें के लिए भार पार्श्व के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित इसे पुनर्परिकलित किये जाने की जरूरत है। इसके आधार पर आयोग को एक नयी याचिका प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त प्रेक्षेतियों के कारण टीओडी टैरिफ के प्रस्तावों को फिलहाल स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

19.7 **ईंधन अधिभार :**

डिस्कॉमों ने उपभोक्ताओं से, राविविआ टैरिफ विनियम, 2009 के अन्तर्गत आयेाग द्वारा

अनुमोदित सूत्र के अनुसार ईंधन अधिभार की वसूली अनुमोदित किये जाने का निवेदन किया है। आयोग प्रेक्षित करना चाहेगा कि डिस्कॉम पहले से ही टैरिफ विनियम, 2009 में बताये गये सूत्र के अनुसार ईंधन अधिभार उद्ग्रहित किये जाने के लिए प्राधिकृत हैं।

20. **टैरिफ संशोधन के कारण राजस्व**

इस आदेश द्वारा आयोग द्वारा अनुमत किये गये टैरिफ संशोधन के कारण 12 महीने की अवधि के लिए डिस्कॉमों से, नीचे सारणी में यथादर्शित अतिरिक्त राजस्व उत्पादित किये जाने की अपेक्षा है। यह किसी भी प्रोत्साहन/अधिभार या छूटों की विवक्षा, जिसकी विवक्षा यथा –विद्यमान जैसी हो सकती है, को ध्यान में नहीं रखता है। श्रेणियों के परिवर्तन को भी ध्यान में नहीं रखा गया है, क्योंकि इसका राजस्व पर संधात बहुत कम होगा। आयोग द्वारा राजस्व की संगणना, इसके द्वारा विनिर्धारित टैरिफ पर किया गया है। यदि राज्य सरकार उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी के लिए, राविविआ (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2009 में यथा विनिर्दिष्ट रीति से अग्रिम रूप से सहायिकी उपलब्ध करवाती है, तो डिस्कॉमें उस श्रेणी के लिए सहायिकी प्राप्त दर प्रयुक्त कर सकती है।

सारणी –73 जयपुर डिस्कॉम – विव 2011–12 के लिए विद्यमान तथा आयोग द्वारा यथानुमोदित संशोधित टैरिफ पर राजस्व

(करोड़ रू.)

उपभोक्ता श्रेणी	विद्यमान टैरिफ पर राजस्व	संशोधित टैरिफ पर राजस्व	अनुमत वृद्धि
घरेलू	1353	1650	297
अघरेलू	594	724	130
सार्वजनिक पथ प्रकाश	39	48	9
कृषि (मी.)	506	624	118
कृषि (फ्ले.)	69	86	17
लधु उद्योग	117	146	29
मध्यम उद्योग	295	365	70
वृहत् उद्योग	1697	2134	437
सार्वजनिक जलदाय – लधु	89	107	18
सार्वजनिक जलदाय – मध्यम	11	14	3
सार्वजनिक जलदाय – वृहत्	54	67	13

मिश्रित भार	227	282	55
विद्युतकर्षण	173	218	—
योग	5224	6465	1241
अन्य आय– किराया आदि	124	124	0
योग	5348	**6589**	1241

सारणी –74 अजमेर डिस्कॉम –विव 2011–12 के लिए विद्यमान तथा आयोग द्वारा यथानुमोदित संशोधित टैरिफ पर राजस्व

(करोड़ रू.)

उपभोक्ता श्रेणी	विद्यमान टैरिफ पर राजस्व	संशोधित टैरिफ पर राजस्व	अनुमत वृद्धि
घरेलू	817	974	157
अघरेलू	269	332	63
सार्वजनिक पथ प्रकाश	19	22	3
कृषि (मी.)	311	384	73
कृषि (फ्ले.)	143	179	36
लधु उद्योग	100	125	25
मध्यम उद्योग	272	338	66
वृहत् उद्योग	987	1256	269
सार्वजनिक जलदाय – लधु	81	97	16
सार्वजनिक जलदाय – मध्यम	13	16	3
सार्वजनिक जलदाय – वृहत्	59	74	15
मिश्रित भार	150	187	37
विद्युतकर्षण	—	—	—
योग	3220	3984	764
अन्य आय– किराया आदि	94	94	0
योग	3314	**4078**	764

सारणी –74 जोधपुर डिस्कॉम –विव 2011–12 के लिए विद्यमान तथा आयोग द्वारा यथानुमोदित संशोधित टैरिफ पर राजस्व

(करोड़ रू.)

उपभोक्ता श्रेणी	विद्यमान टैरिफ पर राजस्व	संशोधित टैरिफ पर राजस्व	अनुमत वृद्वि
घरेलू	775	931	156
अघरेलू	272	333	61
सार्वजनिक पथ प्रकाश	61	72	11
कृषि (मी.)	602	744	142
कृषि (फ्ले.)	166	208	42
लधु उद्योग	93	116	23
मध्यम उद्योग	206	260	54
वृहत् उद्योग	465	590	125
सार्वजनिक जलदाय – लधु	101	121	20
सार्वजनिक जलदाय – मध्यम	45	57	12
सार्वजनिक जलदाय – वृहत्	166	208	42
मिश्रित भार	250	312	62
विद्युतकर्षण	–	–	–
योग	3204	3954	750
अन्य आय– किराया आदि	167	167	0
योग	3371	**4121**	750

21. संशोधित टैरिफ पर राजस्व अधिशेष/धाटा

21.1 टैरिफ संशोधन के कारण वार्षिक आधार पर सभी डिस्कॉमों को अतिरिक्त राजस्व का परिकलन यद्यपि 2756 करोड़ रू. है, परन्तु चूंकि आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ संशोधन लधु अवधि के लिए प्रभावी रहेगा अतः टैरिफ संशोधन किये जाने के कारण अतिरिक्त राजस्व पूरे वर्ष के लिए उपलब्ध नही हो पायेगा और इसका परिकलन जविविनिलि के लिए लगभग 697 करोड़ रू., अविविनिलि के लिए 429 करोड़ रू. तथा जोविविनिलि के लिए 421 करोड़ रू. तथा सभी डिस्कॉमों के लिए 1548 करोड़ रू. होगा। संशोधित टैरिफ पर विव 11–12 के पूरे वर्ष तथा शेष अवधि के लिए राजस्व धाटे की स्थिति निम्नवत् रहेगी :

सारणी –76 विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा यथानुमोदित राजस्व धाटा – जविविनिलि

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विद्यमान टैरिफ	पूरे वर्ष के लिए संशोधित टैरिफ पर	वर्ष के शेष भाग के लिए संशोधित टैरिफ पर
समग्र राजस्व आवश्यकता	8334	8334	8334
राजस्व उत्पादन (अन्य आय सहित)	5348	6589	6045
राजस्व धाटा	**2986**	**1745**	**2289**
विद्युत कर प्रतिधारण सहित सरकार से समर्थन	366	366	366
राज. सरकार से संक्रमणकालीन नकद समर्थन	152	152	152
शुद्ध राजस्व धाटा	**2468**	**1227**	**1171**

सारणी –77 विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा यथानुमोदित राजस्व धाटा – अविविनिलि

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विद्यमान टैरिफ	पूरे वर्ष के लिए संशोधित टैरिफ पर	वर्ष के शेष भाग के लिए संशोधित टैरिफ पर
समग्र राजस्व आवश्यकता	5469	5469	5469
राजस्व उत्पादन (अन्य आय सहित)	3314	4078	3743
राजस्व धाटा	**2155**	**1391**	**1726**
विद्युत कर प्रतिधारण सहित सरकार से समर्थन	251	251	251
राज. सरकार से संक्रमणकालीन नकद समर्थन	124	124	124
निवल राजस्व धाटा	**1780**	**1016**	**1351**

सारणी –78 विव 2011–12 के लिए आयोग द्वारा यथानुमोदित राजस्व धाटा – जोविविनिलि

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विद्यमान टैरिफ	पूरे वर्ष के लिए संशोधित टैरिफ पर	वर्ष के शेष भाग के लिए संशोधित टैरिफ पर
समग्र राजस्व आवश्यकता	6446	6446	6446
राजस्व उत्पादन (अन्य आय सहित)	3371	4121	3792

राजस्व धाटा	**3075**	**2325**	**2654**
विद्युत कर प्रतिधारण सहित सरकार से समर्थन	228	228	228
राज. सरकार से संक्रमणकालीन नकद समर्थन	124	124	124
निवल राजस्व धाटा	**2723**	**1973**	**2302**

21.2 डिस्कॉमों ने विव 11–12 के सम्पूर्ण धाटे को प्रस्तावित टैरिफ में पूरा जाना प्रस्तावित नहीं किया है क्योंकि इसके फलस्वरूप राज्य में उपभोक्ताओं को टैरिफ प्रधात लगेगा, अतः अनिधिबद्ध अन्तर पर ट्रयू–अप/पश्चादवर्ती टैरिफ संशोधन के समय विचार किया जाना प्रस्तावित किया है। आयोग का मत है कि अनिधिबद्ध अन्तर, डिस्कॉमों की अपकर्षि वित्तीय स्थिति को केवल बदतर करेगा। इसलिए आयोग डिस्कॉमों को, वर्ष की शेष रही अवधि के लिए संशोधित टैरिफ पर आधारित, आयोग द्वारा विनिर्धारित किये गये अनिधिबद्ध अन्तर को विनियामक परिसम्पत्ति के रूप में मानने के लिए अनुमत करता है। विनियामक परिसम्पत्ति के निधियन के लिए डिस्कॉमों को अल्पकालीन ऋण लिया जाना डिस्कॉमों को अनुमत किया जाता है। इस प्रकार से सृजित की गई विनियामक परिसम्पत्तियों को आगे के वर्षों में, डिस्कॉमों द्वारा दायर की नई वाराआ के निर्धारण पर आधारित आयोग के निर्देशानुसार, परिशोधित किया जायेगा।

21.3 इसके साथ ही आयोग, आपत्तिकर्ताओं द्वारा माल–सूची प्रबन्धन, बकाया की वसूली, अत्यधिक अल्पकालीन विद्युत क्रय तथा सरकारी सहायिकी प्राप्ति में विलम्ब आदि सम्बन्धी उठाये गये मुद्दों के बारे में चिन्तित है, जिसके लिए सुधार लाये जाने हेतु डिस्कॉमों को पर्याप्त कदम उठाने हैं। आयोग डिस्कॉमों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि मालसूची इष्टतम स्तर पर रखी जाये, बकाया में आगे और वृद्धि न हो तथा अल्पकालीन विद्युत क्रय पर विवेकपूर्ण नियन्त्रण किये जाने हेतु प्रभावी नियन्त्रणात्मक उपाय करने के निर्देश देता है। डिस्कॉमों को राज्य सरकार से विभिन्न मदों पर प्राप्य तथा प्राप्त हुयी सहायिकी की अलग–अलग विस्तृतियां प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये जाते है।

21.4 यह टैरिफ, आयोग द्वारा पृथक् आदेश से संशोधित न किये जाने तक लागू रहेगी। सभी विद्यमान प्रावधान, जिन्हें इस आदेश द्वारा आशोधित नहीं किया गया है, प्रचलित रहेंगे।

डिस्कॉमें टैरिफ की प्रमुख विशेषताओं को एक सप्ताह के अन्दर– अन्दर उनके अपने– अपने आपूर्ति के क्षेत्रों में व्यापक प्रसारण वाले दो दैनिक हिन्दी समाचार– पत्रों में तथा एक अंग्रेजी में प्रकाशित करेंगी। टैरिफ केवल इस प्रकार के प्रकाशन के पश्चात् ही लागू होंगी। डिस्कॉमें विद्यमान टैरिफ संरचना को इस आदेश के अनुसार संशोधित करेंगी और उपभोक्ताओं के लाभ हेतु टैरिफ की विस्तृतियों वाली टैरिफ पुस्तिका हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित करेंगी। यह जन सामान्य के लिए सामान्य कीमत पर उपलब्ध करवायी जायेगी।

21.5 इस आदेश की प्रति याचिकाकर्ताओं, आपत्तिकर्ताओं, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा राजस्थान सरकार को भिजवायी जायेगी और आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवायी जायेगी।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(एस. धवन)	**(एस. के. मित्तल)**	**(डी.सी.सामन्त)**
सदस्य	**सदस्य**	**अध्यक्ष**